सप्तदश माला, खंड 1, अंक 8

बुधवार, 26 जून, 2019
5 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2019 / 1941 (शक)
अंक 8, बुधवार, 26 जून, 2019 / 5 आषाढ़, 1941 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 64	9-37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 80	38
अतारांकित प्रश्न संख्या 652 से 881	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था

सभा पटल पर रखे गए पत्र 39-40

याचिका समिति 41

68वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्रालय से संबंधित "भारतीय रेल में पुलों का रख-रखाव: एक समीक्षा' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री सुरेश सी. अंगड़ी 42

समितियों का निर्वाचन 43-45

1. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलौर 43
2. रबर बोर्ड 44
3. तंबाकू बोर्ड 45

कार्य मंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन 46

सभापति तालिका के लिए नामांकन 47

नियम 377 के अधीन मामले 116-125

(एक) बिहार में मुजफ्फरपुर जिले और उसके आस-पास के जिलों में जापानी एन्सेफ़लाइटिस का उन्मूलन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 116-117

(दो) महाराष्ट्र के दिन्डोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वजल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु सहायता उपलब्ध किए जाने के बारे में

डॉ. भारती प्रवीण पवार 118

(तीन) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 ई के निर्माण की वजह से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में

श्री अर्जुन लाल मीणा 119

(चार) केरल में चेल्लानम, वाईपिन और कुझुप्पिल्ली के तटीय क्षेत्रों के किनारे एक पत्थर की दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हिबी इडन 120

(पांच) केरल में ईडुक्की जिले के बाढ़ पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

एडवोकेट डीन कुरियाकोस 121

(छह) राजस्थान के नागौर जिले में रेलवे पुल के निर्माण हेतु समुचित धनराशि दिए जाने की आवश्यकता।

श्री हनुमान बैनिवाल 122

(सात) असम के मंगलदाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री दिलीप साईकिया 123

(आठ) महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-222 पर दो एन.एच.ए.आई. परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सेना विभाग की भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता।

डॉ. सुजय विखे पाटील 124

(नौ) आवासहीन लोगों के लिए आवासीय योजना के बारे में

डॉ. ढालसिंह बिसेन 125

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 और विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019 को अस्वीकृत किए जाने का निरनुमोदन 126-198

विचार करने के लिए प्रस्ताव 126-128

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 126-134, 189-191

श्री पीयूष गोयल 126-128, 183-188

श्री राजीव प्रताप रूडी 138-146

डॉ. शशि थरूर 147-150

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 151-152

श्री डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस.	153-156
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ	157-160
श्री विनायक भाऊराव राऊत	161-162
श्री कौशलेन्द्र कुमार	163-164
श्री भर्तृहरि महताब	165-171
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले	172-175
श्री जयदेव गल्ला	176-177
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	178-179
श्रीमती अनुप्रिया पटेल	180-182
खंड 2,3 और 1	196-197
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	198

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 26 जून, 2019 / 5 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 61

(प्रश्न संख्या 61)

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देश के दूरसंचार क्षेत्रों में कार्यरत एमटीएनएल एवं बीएसएनएल टेलीफोन उपभोक्ताओं को सभी उपकरण उपलब्ध होने, योग्य एवं उच्च प्रशिक्षण प्राप्त उच्च अधिकारियों के होने के बावजूद भी अच्छी सेवा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कम मानव शक्ति एवं कम उपकरण वाले प्राइवेट क्षेत्रों की दूरसंचार कम्पनियाँ देश की सरकारी कम्पनियों एमटीएनएल एवं बीएसएनएल को पछाड़ रही हैं। असंतोषजनक सेवा और खराब टेलीफोन सेवा के कारण लोग एमटीएनएल एवं बीएसएनएल की सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट कम्पनियों की सेवाएँ ले रहे हैं, जिससे एमटीएनएल एवं बीएसएनएल को लगातार घाटा हो रहा है और प्राइवेट कम्पनियों को लाभ मिल रहा है, जिसमें वोडाफोन और एयरटेल आदि कम्पनियाँ हैं।

ऐसी परिस्थिति में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने एमटीएनएल एवं बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों की वर्तमान और खराब व्यवस्था की जिम्मेदारी की समीक्षा की है? अगर हाँ, तो दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, माननीय सदस्या ने एक गंभीर और बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया है। मैं सदन की समझदारी के लिए इसको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा। एक बात मैं कहूँगा कि कॉम्पिटीशन आया है। प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं। लेकिन फिर भी, बीएसएनएल का मार्केट शेयर 31 मार्च, 2017 को 9.63 प्रतिशत था, अब 31.03.2019 को वह बढ़कर 10.72 प्रतिशत हुआ है। एमटीएनएल में थोड़ी-सी कमजोरी

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

आई है। एक बात इस सदन को बताना बहुत जरूरी है कि बीएसएनएल के पास अधिकारी समेत 1,65,169 एम्प्लॉइज हैं। एमटीएनएल में 21,679 एम्प्लॉइज हैं। बीएसएनएल की जो एम्प्लॉई कॉस्ट है, वह इनकम का 75.06 पर्सेंट है और एमटीएनएल का 87.15 पर्सेंट है। बाकी कम्पनियों में, किसी का 2.94 पर्सेंट है, किसी का 5.59 पर्सेंट है।

हमारे पास कर्मचारी ज्यादा हैं। हमारा काम है उनकी चिन्ता करना क्योंकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वह कश्मीर की बाढ़ हो, नेपाल का भूकम्प हो, अभी ओडिशा में जो आपदा आई, तमिलनाडु की बाढ़ हो, उनमें बीएसएनएल ही आगे बढ़कर फ्री सेवा देता है ताकि लोगों को सुविधा मिले।

अब हम क्या कर रहे हैं, मंत्री बनने के बाद मैंने स्वयं छह-सात मीटिंग्स ली हैं। मैं इनको और प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में सभी संभावनाओं की तलाश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि बीएसएनएल ने अपने समय में कई प्रकार के कार्यक्रम किये हैं, इस दिशा में और भी कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ।

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय में एमटीएनएल एवं बीएसएनएल की जो दयनीय हालत हो गई है, उसका मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है। मैं यही जानना चाहती हूं कि जो परिस्थिति है, वह उसको वॉच करने की है या उसके मूल कारणों का पता लगाने की है? वह पता नहीं लग पा रहा है। हम मीटिंग बुलाते हैं या आप जो मीटिंग बुलाते हैं, उसमें इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। जैसे एक कमेटी बनाई जाती थी और कमेटी में निर्देश दिया जाता था कि ये-ये दिक्कतें आ रही हैं, उनमें सुधार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। वह मीटिंग कभी छः महीने में या एक साल में बुलाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं निकलता। जो आदमी क्वेश्चन उठाता है या जहां से भी विभाग को खबरें देता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे इस तरह की कमेटियों को टाइट कर के बनाने का काम करें, जिससे हमारा और आपका नाम हो। आप बहुत मेहनत करने वाले मंत्री हैं। आपने बहुत अच्छे से जवाब लिखा है, लेकिन थोड़ी सी कमी दिख रही है। बीएसएनल और एमटीएनएल के टावर नहीं मिलते हैं, जिसके कारण लोग प्राइवेट नेटवर्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कतें होती हैं। धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, श्रद्धामना रमा देवी जी का सुझाव एक एक्शन के लिए है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और इनवॉल्वमेंट हो, ताकि उनके सुझावों पर हम और प्रभावी रूप से विकास के कार्य कर सकें।

श्री मनोज कोटक : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपनी इक्विटी के एवज में 4जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए सरकार से गुज़ारिश की है? आने वाले दिनों में 5जी और 6जी का पूरे विश्व में जाल फैलेगा, तब एमटीएनएल और बीएसएनएल इसके साथ कम्पीट कर सकें और अच्छे तरीके से ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकें, जिससे सरकार की ये दोनों कंपनियां अच्छे मुनाफे तक जाएं। मंत्री जी ने मार्केट शेयर बढ़ा है, यह तो बताया, लेकिन टोटल मार्केट शेयर कितना बढ़ा है और उसमें इन दोनों कंपनियों का क्या प्रतिशत है, यह भी मंत्री जी बताएं। धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, हमें एक बात समझनी चाहिए। इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां बहुत आई हैं। इससे कॉम्पटिशन भी होता है, प्रतिस्पर्धा होती है और कुछ डिसर्पशंस भी होते हैं, लेकिन इसका जनता को फायदा भी मिलता है। आज भारत में मोबाइल रेट और डेटा रेट दुनिया में लोएस्ट है, यह हमें समझना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वह कॉम्पटिशन फेयर होना चाहिए।

माननीय सदस्य ने 4जी की बात कही है। पूर्व में एक विचार हुआ था, चूंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल सरकारी पीएसयूज़ हैं, अगर हम इनको स्पैक्ट्रम के ऑक्शन में भाग नहीं लेने देंगे, तो संभवत: लगेगा कि सरकार इनके पीछे खड़ी है। हां, माननीय सदस्य का एक बहुत ही उचित विचार है कि 4जी की उपलब्धता इन दोनों कंपनियों को हो। मैं इसके बारे में पूरी संभावना तलाशूंगा।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

डाटा उपलब्ध है और मैं उस डाटा पर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन बात अभी भी कहीं और ही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेट बैंकिंग और नेट प्रणाली उपलब्ध है। आज इंटरनेट तक पहुँच प्रदान

करने की आवश्यकता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों या शहरों सहित कहीं और, किसी भी नेट बैंकिंग और नेट प्रणाली के लिए 3जी पर्याप्त नहीं है और 4जी की आवश्यकता है। क्या आप चीजों के बेहतर होने का इंतजार करेंगे या आप इसके बारे में कुछ करेंगे?

सरकार का इरादा डिजिटल इंडिया बनाने का है। बहुत अच्छी बात है और हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन एक प्रभावी डिजिटल इंडिया बनाने के लिए आपको टावर की गुणवत्ता में सुधार करना होगा और इसको 4जी करना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से एक नपा तुला सवाल पूछ रहा हूँ। क्या हम इसे 4जी बनाने की स्थिति में हैं? क्या हम मोबाइल टावरों की दक्षता में सुधार करने की स्थिति में हैं? इसके बारे में सबका अपना अनुभव है। मुझे लगता है कि सभी संसद सदस्यगण इसके बारे में बात करना चाहते हैं। हमने इस मामले को 16वीं लोक सभा की समिति में उठाया था। हमें जो एम.टी.एन.एल. टेलीफोन दिया गया है, उससे हमें कुछ नहीं मिलता है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्याण बाबू ने जो प्रश्न पूछा है, उसके दो घटक हैं। पहला भाग यह है कि क्या हम टावर और नेटवर्क सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। जवाब है, 'हाँ' और 50,000 टावर लगाए गए हैं। यदि मैं आपको सही संख्या दूं तो पिछले पाँच वर्षों में, बी.एस.एन.एल. द्वारा स्थापित बी.टी.एस. की संख्या 25200 है और बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. समेत देश में कुल 20 लाख बी.टी.एस. काम कर रहे हैं। इसलिए, यह किया गया है और मैं आपको उठाए गए अन्य चरणों का विवरण दे सकता हूं।

4जी की उपलब्धता के संबंध में मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 4जी अच्छा डिजिटल कनेक्शन देता है। इस बिंदु पर अच्छी तरह से विचार किया गया है, लेकिन जहाँ तक भारत की बैंकिंग प्रणाली का संबंध है, आपको याद होगा, चाहे वह 2जी हो या 3जी, बैंक उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए यह कहना कि 4जी के अभाव में, बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से पटरी से उतर गई है, यह थोड़ा सही नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों को 4जी नेटवर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पदभार संभालने के पहले दिन कहा था कि मैं उन्हें व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सभी विकल्प खोजूँगा। मैंने उन्हें यह बता भी दिया है और आज

एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों को भी अवगत कराया कि उन्हें भी एक साथ मिलकर अधिक पेशेवर तरीके से काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं हमेशा बहुत दृढ़ता से महसूस करता हूँ एक उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी होना चाहिए। जब सुनामी या भूकंप की बात आती है या तमिलनाडु में बाढ़ हो या हाल ही में ओडिशा में आए चक्रवात की बात हो, तो केवल बी.एस.एन.एल. जैसी संस्थाएं ही मुफ्त सेवा और राहत प्रदान करती हैं। इसी तरह हमें काम करना है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह बिल्कुल सही है कि बी.एस.एन.एल. जैसी कंपनियां जब भारत में होती हैं तो प्रतिस्पर्धा देती हैं, लेकिन मेरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना उचित होगा कि जब आपदा आती है तो सिर्फ बी.एस.एन.एल. लगती है और बाकी कंपनियां ध्यान नहीं देती हैं। यह उचित नहीं होगा क्योंकि जब हजार मिलियन सबस्क्राइबर्स हैं तो सबके टावर्स होते हैं, सब चलते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा और कोटेक इक्विटी की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बी.एस.एन. एल. का जो घाटा है, लगभग 90 हजार करोड़ है। यह उसी प्रकार से है, जैसे एयर इण्डिया का है। यह हमारी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। हमारा दायित्व बनता है इनके कर्मचारियों को बचाना और इसको प्रॉफिट में लाना। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है और इनके ही बी.एस.एन.एल. की बैलेंस शीट है, इन्होंने कहा है कि कंज्यूमर्स का प्रतिशत बढ़ा है। इन्होंने कहा है कि वह 9 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2017 में इनकी आय 31,53,344 लाख थी और जब 1 प्रतिशत बढ़ गया है तो इनकी वर्ष 2018 में 31 मार्च तक आय 6 लाख 46 हजार लाख कम हो गई, जो 25,07,064 लाख हो गई है। अगर इस प्रकार के आंकड़े पब्लिक डोमेन में हों और हम फिर भी उसके बाद यह कहते रहें, आज भी हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, वह बी.एस.एन.एल. का करते हैं, पार्लियामेंट के सभी सदस्य। हमारा कमिटमेंट है। जब कोई टेलीफोन नहीं था तो बड़े-बड़े सेट इसी पार्लियामेंट में 1996 में दिये गए थे, जो बी.एस.एन.एल. के थे। आज भी हम लोग लॉयल हैं, लेकिन हमारे लिए कठिनाई है कि जब हम फोन करते हैं और फोन कटता है तो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। जब उधर से बिलिंग होती

रहती है तो देश में सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हर आदमी जिसके पास बी.एस.एन.एल. है, वह सरकार पर अंगुली उठाता है, जब वह उस फोन को उपयोग करता है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। महोदय यह विषय बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से एयर इण्डिया का संकट पूरे भारतवर्ष में है और हम अपना पैसा, सरकार का खजाना लगाकर चला रहे हैं उसी प्रकार से बी.एस.एन.एल. को भी सरकार का खजाना लगाकर चला रहे हैं। यह कब तक चलता रहेगा? माननीय मंत्री जी इसका दूरगामी रास्ता क्या होगा, उसके बारे अगर टिप्पणी करना चाहें तो कीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आरम्भ में ही कहा कि इस विभाग के एक महीने पूर्व मंत्री बनने के साथ ही मैंने कहा था कि इसकी और तेज गति हो, इस कंपनी का स्वास्थ्य बढ़े। इसके लिए मैं सारी संभावनाओं की तलाश करूंगा और तलाश हो रही है। आपने जो एक बात बैलेंस शीट की कही, उसको मैं स्वयं एग्जामिन करूंगा और उसके बारे में टिप्पणी करुंगा। माननीय रूडी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस विभाग को मैंने पहले भी देखा था। कई बार प्राइवेट कंपनियां नेचुरल कैलामिटी में दो दिन के लिए फ्री करती हैं और बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. जब तक कैलामिटी खत्म नहीं होती है तब तक फ्री करती है। इस दृष्टिकोण से मैंने कहा था। इसलिए यह देशहित में है कि यह कंपनियां स्वस्थ हों।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : माननीय अध्यक्ष जी, शुक्रिया जो आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। मेरा स्पेसिफिक सवाल मंत्री जी से है कि हमारे बॉर्डर इलाकों में आपकी यह सुविधा बहुत कमजोर है। हमारे लोग और जो वहां फौजी हैं, वे घर से बात नहीं कर सकते हैं। श्रीनगर के आपके केन्द्र में मशीनें पड़ी हुई हैं, मगर उनको लिफ्ट करने के लिए बड़ा हेलीकॉप्टर चाहिए, जो एयरफोर्स से चाहिए। अगर यह सुविधा इनको मिल जाएगी तो इन मशीनों को वहां तक पहुंचा सकेंगे और हमारे बॉर्डर इलाकों में आपके बी.एस.एन.एल. की सुविधा ठीक हो जाएगी। उसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। शुक्रिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आपने श्रीनगर की जो स्पेसिफ़िक समस्या बताई है, उसको मैं स्वयं देखूँगा, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हमारी सेना के जवान, जो बॉर्डर पर हैं, वह अपने परिवार से बात कर सकें, इसके लिए बीएसएनएल ने कई कार्यक्रम चलाए हैं। मैं इसकी स्वयं समीक्षा करूँगा कि इसको और मजबूत किया जाए। श्रीनगर का विषय मैं स्वयं देखूँगा।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती संगीता आजाद।

श्रीमती संगीता आजाद : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 17वीं लोक सभा में प्रथम बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देती हूँ और हमारे क्षेत्र लालगंज की जनता की भी बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे यहाँ भेजा है। माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में बी.एस.एन.एल. की कुल कितनी लैण्डलाइन व मोबाइल कनेक्शन वर्तमान में उपलबध हैं? यदि इन कनेक्शनों में लगातार गिरावट हुई है तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में बी.एस.एन.एल. को अपना वज़ूद कायम रखने के लिए कौन-कौन से सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि किन कारणों के चलते बी.एस.एन.एन. की सेवाएँ शाम होने के बाद से ही बाधित हो जाती हैं? कहीं इनकी सेवाओं को बाधित करने के लिए दूसरी निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाने का मकसद तो नहीं है? धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने आज़मगढ़ जिले के बारे में एक संख्या जानने की बात कही है, जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। आज़मगढ़ में कितने टावर्स हैं, कितने मोबाइल्स हैं, उनका डिटेल लेकर मैं आपको जरूर भेज दूँगा, लेकिन जहाँ तक आपने बाकी गुणवत्ता की कमी का सवाल किया है, उसका मैंने विस्तार से उत्तर अवश्य दिया है। फ्री रोमिंग की सुविधाएँ हमने दी हैं, जो केबल कनेक्टिविटी कॉपर की है, उसको फाइबर से कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात है, उसमें आज एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी हो गई है, यह सारा काम सफलता से बी.एस.एन.एल. ने किया है। जो हमारे नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम, जो पूरी सेना के लिए हम काम कर रहे हैं, वह काम बी.एस.एन.एल. कर रही है। जो नक्सलाइट इलाके हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, जो पूर्व में गृह मंत्री थे, उनके उस समय के विभाग से को-ऑर्डिनेशन करके जितने लेफ्ट-विंग एक्स्ट्रीमिस्ट एरियाज़ हैं, उसमें लगभग तीन हज़ार टॉवर लगाकर इसी बी.एस.एन.एल. ने काम किया है। ऐसे कई काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, एक प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा हो, यह हमारी कोशिश होगी।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रक्षा खाडसे।

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया कि बी.एस.एन.एल. में सुधार हेतु सरकार के माध्यम से काफी कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है कि प्राइवेट कंपनी को भी हम आग्रह कर सकते हैं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में और आ.दिवासी क्षेत्रों में जाकर काम करे, क्योंकि अभी सभी योजनाएँ इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, बैंकिंग व्यवस्था इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन यह व्यवस्था न होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिक्कत आती है, धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, जो निजी कंपनियाँ हैं, उनका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा, उस बात को मैंने स्वयं संज्ञान में लिया है कि कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ पर निजी कंपनियों का प्रभाव कम है। उनका सुझाव बहुत सही है। इस बात की मैं कोशिश करूँगा कि बी.एस.एन.एल. के साथ-साथ बाकी निजी कंपनियाँ भी सुदूर जंगल के क्षेत्रों में जाएँ। यहीं पर, इस सदन को यह भी जानने की जरूरत है कि बी.एस.एन.एल. और प्राइवेट कंपनियों में क्या अंतर है? बी.एस.एन.एल. आदिवासी इलाकों में कमिटमेंट के साथ जाती है, भले ही प्रॉफिट हो या नहीं हो, क्योंकि वहाँ जाना जरूरी है। यह दृष्टिकोण प्राइवेट कंपनियों का भी हो, यह हमारी कोशिश होगी।

(प्रश्न संख्या 62)

[अनुवाद]

श्री एम. के. राघवन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद।

अमेरिकी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 5 जून, 2019 से अधिमान्यताओं की सामान्यीकृत पद्धति (जी.एस.पी.) के तहत भारत को मिलने वाले विशेषाधिकारों को समाप्त कर देगी। जी.एस.पी., जिसे 1974 में लागू किया गया था और यह न केवल सबसे बड़ी बल्कि सबसे पुरानी अमेरिकी व्यापार प्राथमिकता योजना भी है, भारत जैसे नामित देशों से कई उत्पादों को शुल्क मुक्त आयात विशेषाधिकार प्रदान करता है।

महोदय, हम जी.एस.पी. के तहत कुल 48 अरब डॉलर के निर्यात में से लगभग 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान अमेरिका को निर्यात करते हैं। दुर्भाग्य से, जी.एस.पी. वापसी के फैसले का हमारे निर्यात पर काफी प्रभाव पड़ेगा। जी.एस.पी. के तहत यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध सख्त व्यापार रुख अपनाने का संकेत देती है।

मेरा मानना है कि भारत का जी.एस.पी. दर्जा खोना, आर्थिक झटका होने के बजाय एक कूटनीतिक झटका है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार व्यापार संबंधी असंतोष को कैसे संबोधित करने का प्रस्ताव रखती है जो निश्चित रूप से निकट भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार विवाद में बदल जाएगा और भारत जी.एस.पी. लाभों को बहाल करने के लिए कैसे बातचीत करेगा।

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा और भारत के लोगों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगभग 45 वर्षों से प्राथमिकताओं की एक चैनलीकृत प्रणाली की पेशकश की गई है। यह शायद 1975 से हो सकता है जिसका उल्लेख कल भी किया गया था। लेकिन यह एक गैर-भेदभावपूर्ण और एकतरफा रियायत थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कम विकसित या सबसे कम विकसित देशों और विकासशील देशों, जो उस समय बड़ी कठिनाई में थे, को देना शुरू की थी। समय के साथ, इससे निश्चित रूप से भारत को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अधिक उत्पादों का निर्यात करने में मदद मिली

है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता और तुलनात्मक लाभ में अपनी ताकत का लाभ उठाते हुए स्वतंत्र रूप से खड़ा होने, प्रतिस्पर्धी बनने और अपनी शर्तों पर अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम रहा है।

आज, समग्र रूप से देखें तो, हम अकेले अमेरिका को 50 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करते हैं जो 4 लाख करोड़ रुपये के बराबर आता है। जिस जी.एस.पी. का हम आनंद ले रहे थे, वह केवल कुछ उत्पादों में ही लिया जा रहा था, जो कि 42,000 करोड़ रुपये की बड़ी बास्केट में से कुल 40,000 करोड़ रुपये था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 42,000 करोड़ रुपये की इस निर्यात बास्केट में लगभग दो-तिहाई उत्पादों को चार प्रतिशत के तहत लाभ मिल रहा था। हमारा भारतीय उद्योग जी.एस.पी. लाभ के बिना भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी मजबूत है, जो कि अपेक्षाकृत कम धनराशि थी।

मैं यह कहकर शुरुआत करना चाहूंगा कि अमेरिका ने एकतरफा रुख अपनाया है। हमारा मानना है कि यह विश्व व्यापार संगठन और गैट के मानदंडों के अनुसार बिल्कुल नहीं है जो बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर पारस्परिक रूप से सहमत हुए हैं। लेकिन, मेरा मानना है कि ये जाहिर तौर पर ऐसे मुद्दे हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सामने आते हैं। समय -समय पर देशों को एक-दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है। व्यापार चर्चाएं और वार्ताएं हमेशा होती रहती हैं।

लेकिन एक बात बहुत साफ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगी। व्यापार वार्ता कभी भी राष्ट्रीय हितों और भारत के लोगों के हितों पर हावी नहीं होगी।

जाहिर तौर पर, व्यापार वार्ता चल रही है। यह विशेष घटना चुनाव के बीच में हुई जब जाहिर तौर पर आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी और इस सभा में हम सब भी चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त थे। 30 मई को नई सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 31 मई को 5 जून से शुरू होने वाली जी.एस.पी. रियायतें वापस लेने का फैसला किया। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे बहुत मजबूत और अच्छे संबंध हैं।

हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दो बड़े लोकतंत्र अपने लोगों, नेताओं और राष्ट्रों के बीच मजबूत संबंधों के माध्यम से एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आगे आने वाले वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध और मजबूत और बेहतर होगें।

मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और भारत की जनता को इस बिंदु पर आश्वस्त कर सकता हूं। भारत अमेरिका के साथ कई कूटनीतिक सामरिक व्यापार मामलों में जुड़ा है जो देश के सार्वभौम हितों के आधार पर है। दोनों देश अपने आपसी व्यापार और व्यावसायिक हितों की रक्षा करते हैं।

दोनों देश अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हैं और पिछले पांच वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विकसित संबंधों को देखते हुए आज हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है।

श्री एम.के. राघवन : अध्यक्ष महोदय, हम यह भी जानते हैं कि अमेरिका भारत पर जी.एस.पी. के इस शांति प्रयास को देकर रासायनिक और फार्मास्युटिकल उत्पादों को पेटेंट संरक्षण देने का दबाव बना रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि जी.एस.पी. जैसे मामलों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होते हैं। भारत पहले से ही विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान निकाय में कई मामलों का सामना कर रहा है।

मेरा द्वितीय मुद्दा यह है। क्या माननीय मंत्री भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दे सकते हैं? क्या जी20 बैठक के मौके पर माननीय प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच आगामी बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी?

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब व्यापार, पेटेंट और सेवाओं के संबंध में विभिन्न देशों के साथ बातचीत की बात आती है, तो ये सभी विषय हैं जिन पर विभिन्न सरकारों के बीच परस्पर विचार-विमर्श होता है। देश में व्यापार और वाणिज्य के समग्र हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय हित में निर्णय लिए जाते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा था, भारत हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि जब इस तरह के मामलों पर चर्चा की जाती है तो भारतीय उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के हितों को संरक्षित किया जाता है और उन पर उचित विचार किया जाता है। मुझे

नहीं पता कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से मिली कि हम पेटेंट कानूनों की वजह से जी.एस.पी. के साथ समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इसपर चर्चाएं हुई हैं। भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी लगातार बातचीत कर रही है, और यह मुद्दा कभी भी सामने नहीं आया। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि सुनी-सुनाई बातों पर या समाचार पत्रों के प्रतिवेदन पर आधारित मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए खासकर जब वे अंतरराष्ट्रीय वार्ता और अंतरराष्ट्रीय चर्चा जैसे बहुत नाजुक मुद्दों से संबंधित हों क्योंकि यह केवल भारत के हितों और वार्ता के हितों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि आप हमारे आने से पहले कई वर्षों तक सरकार में रहे, मुझे यकीन है कि आप अंतरराष्ट्रीय विवादों, व्यस्तताओं और बातचीत को सदन में खुले तौर पर चर्चा करने के बजाय बैठक कक्ष के भीतर ही निपटाने के महत्व को भी समझते हैं। महोदय, यह कहकर, माननीय सदस्य ने निर्यात को समर्थन देने का भी मुद्दा उठाया। …(*व्यवधान*) मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत सरकार ने, पिछले पांच वर्षों के दौरान, लगातार ज्यादा से ज्यादा रियायतें दी हैं, निर्यातक समुदाय के साथ लगातार बैठ कर काम किया है यह देखने के लिए कि हम उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कैसे मजबूत कर सकते हैं। सरकार में हमारे दूसरे कार्यकाल के पिछले 25 दिनों में, मैंने निर्यात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के साथ अत्यधिक विस्तृत चर्चा की। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के कार्यभार संभालने के बाद से, हमने छोटे व्यापारियों, *किराना* स्टोर मालिकों और एम.एस.एम.ई./उद्योग संघों के साथ व्यापक चर्चा की है। इन चर्चाओं का उद्देश्य यह समझना था कि हम उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में कैसे सहायता कर सकते हैं। मैंने बैंकरों, वित्तीय संस्थानों और निर्यात ऋण गारंटी निगम के साथ विचार-विमर्श किया है, जो बीमा के माध्यम से निर्यात का समर्थन करता है। ये सभी कदम हमें कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और भारतीय निर्यात को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मदद कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दीपक बैज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि अमेरिका से आने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के कारण क्या सस्ती दर पर भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुएं मिलेंगी? इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा जीएसपी हटाने के कारण भारतीय व्यापारियों तथा उत्पादकों पर इसका क्या असर होगा?

श्री पीयूष गोयल : महोदय, अमेरिका ने कन्सेशन विदड्रा किया है। भारत का जो निर्यात होता है, उसके ऊपर जो कन्सेशन था, उसे विदड्रा किया है। उससे भारत के उपभोक्ताओं के ऊपर वास्तव में कुछ असर पड़ने की संभावना नहीं है। भारत के अंदर जो सामान आता है, उसके साथ इस जीएसपी विदड्राल का कोई संबंध नहीं है। हमारा जो कन्जूमर डिपार्टमेंट है, जो पूरे समय प्राइजेज को मॉनीटर करता रहता है और वाणिज्य विभाग भी, ये दोनों विभाग संतुलन के साथ काम करते हैं। देश में कीमतों के ऊपर हम लगातार निगरानी करते रहते हैं। वास्तव में, इस देश में पहली बार इतनी कम महंगाई की दर बढ़ने का जो दौर देखा है, वह अपने आपमें ऐतिहासिक रहा है।

कहां हम डबल डिजिट मंहगाई, जैसे कभी 12 पर्सेंट तो कभी 14 पर्सेंट पर होते थे। सन् 1974-75 में तो मंहगाई की ग्रोथ 34 पर्सेंट हुई थी। ... (व्यवधान) तो वहां से ले कर कहाँ सन् 2014 से 2019 के बीच मंहगाई की दर पांच सालों में एवरेज़ सिर्फ चार-साढ़े चार प्रतिशत के करीब रही है। ... (व्यवधान) और आजकल की मंहगाई की दर तो शायद तीन प्रतिशत से भी कम हो गई है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनीश तिवारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा दिया गया लंबा जवाब सुना। मैं उन्हें बस यही बताना चाहूंगा आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान जीएसपी की यह स्थिति अपने आप नहीं बनी। यह कुछ ऐसा है जो वर्ष 2016 में राष्ट्रपति ट्रम्प के पदभार संभालने के बाद से बदतर होता जा रहा है।

मेरा माननीय वाणिज्य मंत्री से एक प्रश्न है कि सरकार स्थिति को संभालने में असमर्थ क्यों थी और जी.एस.पी. को क्यों लागू करना पड़ा, विशेषकर यह देखते हुए कि यह मुद्दा वर्ष 2016 से चल रहा है और यू.एस.टी.आर. के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है।

यदि आप मुझे अनुमति दें तो मेरा दूसरा प्रश्न माननीय प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से है, क्योंकि वे दोनों यहां उपस्थित हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो आज हमारे देश में हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या वह अमेरिकी विदेश मंत्री को उनकी बैठक के दौरान यह बताएंगे कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका की इस दादागिरी और बांह मरोड़ने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं करेगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अभी माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछिए। यह डबल क्वेश्चन हो गया।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पीयूष गोयल: महोदय, माननीय सदस्य इस सरकार के कार्यभार संभालने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और मुझे विश्वास है कि वह पूरी तरह से समझते हैं कि जब कोई मंत्री विस्तृत जवाब देता है तो सभा इसकी सराहना करता है। वे अगर इसे समय लेने वाला कहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह उनकी अपनी पार्टी के सदस्य का अपमान है जिन्होंने सबसे पहले प्रश्न उठाया था, जिन्हें मैं बहुत विस्तृत उत्तर के साथ संबोधित करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके अलावा, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि फ़िलिबस्टरिंग, संयुक्त राज्य सीनेट में किया जाता है, भारत में नहीं।

दूसरा, मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य को जानकारी मिली है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2016 से जी. एस. पी. को वापस लेने पर विचार कर रहा था। मैंने ऐसा कोई समाचार लेख; या ऐसी कोई जानकारी नहीं पढ़ी है जिससे हमें यह सुराग मिले कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2016 से इसे हटाने पर विचार कर रहा था। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्हें जानकारी हो सकती है; शायद उनके पास बेहतर संपर्क हैं जो उन्हें इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे कहना होगा कि अगर मैं माननीय सदस्य की बात मान भी लूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2016 से इसे वापस लेने पर विचार कर रहा था, तो यह केवल एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है, क्योंकि जी.एस.पी. मूल रूप से, जैसा कि मैंने पहले सदस्य को बताया था, सबसे कम विकसित देशों और विकसित हो रहे देशों के लिए था। इसमें एक बेंचमार्क था जो केवल उन देशों पर लागू होता है जिन्हें उच्च आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अब भारत को तेजी से विकासशील देश के रूप में ताकत के नजरिए से देख रहा है, खासकर पिछले पांच वर्षों में, तो यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है।

(प्रश्न संख्या 63)

[हिन्दी]

श्री संतोख सिंह चौधरी: स्पीकर महोदय, बड़ा डीटेल्ड आंसर मंत्री जी ने दिया है। मैं यह भी समझता हूँ कि जो परमाणु शक्ति है, उस फील्ड में भारतवर्ष ने अपना बहुत बड़ा स्थान कायम किया है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वह क्लाइमेट चेंज है। परमाणु शक्ति इसका एक सॉल्युशन है। परंतु यह भी सही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स को भी खतरा बढ़ा है। समुद्री तूफान, सुनामी, पानी के तापमान का बढ़ना आदि इन सबकी वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत बढ़ा है। न्यूक्लियर डिज़ास्टर का रिस्क भी बहुत बढ़ा है।

उदाहरण के तौर पर सन् 2011 में जपान में फूकूशिमा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट को भूकंप के बाद बंद करना पड़ा था। इसी तरह सन् 2014 में भारतवर्ष में कलपक्कम प्लांट को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा था।

स्पीकर महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स से ऊर्जा बनने का जो खर्च आता है, वह बिजली के दूसरों स्त्रोतों से बहुत अधिक आता है। यह खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है, जबकि सोलर और विंड जैसे स्त्रोतों से बिजली पैदा करने की लागत लगातार कम हो रही है। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि सोलर से एक मेगावॉट का जो खर्च आता है, वह चार से पांच करोड़ रुपये आता है और न्यूक्लियर पॉवर से जो खर्च आता है, वह 15 करोड़ रुपये आता है। मैं यह समझता हूँ कि सोलर, विंड और दूसरे स्त्रोतों से जो रोज़गार की संभावनाएं हैं, वे भी ज्यादा हैं। जो रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट है, वह भी बढ़ जाती है। साथ में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, उसको सेफली डिस्पोज़ करना भी इतना आसान नहीं है। इन्हीं कुछ कारणों से यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा और जापान जैसे देश अपने बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स डीकमीशन कर रहे हैं। एक प्लांट को डीकमीशन करने में भी कई साल लगते हैं और उस पर बहुत भारी रकम लगती है। इस ट्रेंड के उलट हम भारत में एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स स्थापित कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में जब बिजली पैदा करने के अन्य स्वच्छ

और सस्ते स्रोत मौज़ूद हैं तो क्या नए न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करना जस्टिफाइड है, वाज़िब है? इन सब बातों पर मैं भारत सरकार की राय जानना चाहता हूँ।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें दो-तीन प्रश्न आ गए हैं। पहला तो सेफ्टी को ले कर है। सदस्य जी का यह कहना है कि यदि उसमें कुछ सेफ्टी रिलेटेड कोई आकांक्षाएं हैं तो शायद प्लांट और लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। दूसरा, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ले कर है।

जहां तक सेफ्टी का संबंध है, इन्होंने फूकूशिमा का उदाहरण दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम में पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एक मंत्र का पालन किया जाता है कि 'सुरक्षा पहले, उत्पादन बाद में, उस पर कभी कोई समझौता अथवा कम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है। जब कोई नया प्लांट प्लान किया जाता है तो कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्लानिंग के दौरान उसका हर तीन महीने में जायज़ा लिया जाता है। फिर जब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, हर छह महीने बाद लिया जाता है। जब वह काम करना शुरू कर देता है तो हर पांच वर्ष के बाद और फिर दस वर्ष के बाद उसका पुन: लाइसेंस रिन्यु करने का रहता है। जहां तक सुनामी की इन्होंने बात की है, हमारे अधिकतर प्लांट्स ईस्टर्न कोस्ट और वैस्टर्न कोस्ट पर हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर जहां बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है और सबसे नज़दीक सुनामिक ज़ोन जो वहां पड़ता है, वह इंडोनेशिया में लगभग 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है। वह भी सेफ्टी की दृष्टि से बड़ा सिक्योर है। वैस्टर्न कोस्ट, जहां हमारे तारापुर इत्यादि के प्लांट्स है, उनका नियरेस्ट सुनामिक ज़ोन पड़ता है कराची के आगे वैस्ट पाकिस्तान में, जो पहले वैस्ट पाकिस्तान था और अब पाकिस्तान है, वह भी लगभग 900 किलोमीटर है। उस दृष्टि से हमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कॉस्ट इफेक्टिवनेस का सवाल है, महोदय, इन्होंने ठीक कहा है कि इसमें दो बातें हैं। यह कहना शायद पूरी तरह उचित न हो कि न्यूक्लियर एनर्जी का कोई औचित्य है भी कि नहीं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि आने वाले वर्षों में, भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत परमाणु ऊर्जा बनने जा रही है, और साथ ही साथ यह क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। यह भी इन्होंने ठीक कहा है कि उसकी लागत वर्तमान में लगभग 15 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है, जबकि दूसरे

सोर्स की लागत लगभग 5-10 करोड़ रुपये के लगभग है। अपने-अपने मैरिट्स रहते हैं। सोलर एनर्जी यद्यपि क्लीन सोर्स है, लेकिन वह स्टेबल नहीं रहता है।

इसी तरह थर्मल पावर का क्लाइमैटिक और पॉल्यूशन वाला भी एंगल है और लागत भी ज़्यादा रहती है। इसके साथ-साथ मैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपके माध्यम से यह भी हाउस के साथ साझा करूँ कि पिछले 4-5 वर्षों में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी गाइडेंस में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि हमारे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को बल मिले, प्रोत्साहन मिले, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास की हौसला अफजाई हो और आर्थिक सहयोग भी मिले। उदाहरण के तौर पर एक मिनट में मैं आपको यह बता दूँ, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते मंत्रिमण्डल ने यह फैसला किया है कि हर वर्ष एक नया रिएक्टर लगाया जाएगा, देश में आने वाले कुछ वर्षों के लिए, ताकि हमारे एटॉमिक एनर्जी प्लांट की एक्सपेंशन भी हो और उसकी जनरेशन भी बढ़े। पहली बार मंत्रिमंडल के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दस करोड़ रुपये प्रति वर्ष अगले दस वर्ष के लिए इस बजट में निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है ज्वाइंट वेंचर्स को लेकर। पहले चूँकि एटॉमिक एनर्जी में हमें धनराशि और बजट की दिक्कतें और दुविधाएँ रहती थीं, क्योंकि यह पूरी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में था। अब यह निर्णय लिया गया और उसको संसद में भी लाया गया कि पीएसयूज की भागीदारी रहेगी, जिसमें हमें आर्थिक सहयोग मिलेगा। एफडीआई का निवेश, जहाँ तक एक्विपमेंट्स बनाने का संबंध है, इसी तरह एक फैसला करके 12 रिएक्टर एक ही निर्णय के द्वारा किए गए, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। कहने का तात्पर्य यह है और एक महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 50-60 वर्ष तक ये एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स देश के कुछ हिस्सों में सीमित थे, दक्षिण में अधिकतर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र। पहली बार इनको उत्तर भारत की तरफ एक्सपैंड किया गया है। दिल्ली राजधानी से ही लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में गोरखपुर नाम के स्थान पर काम जारी है। दो-तीन वर्ष में वह फंक्शनल हो जाएगा।

श्री संतोख सिंह चौधरी : सर, मेरा सैकेंड सप्लीमेंट्री है कि परमाणु ऊर्जा नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक परपज को पूरा करने का भी साधन है। उदाहरण के लिए इस क्षेत्र में यूएसए ने अपने डोमिनेंस के कारण ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को स्थापित करने में अहम रोल निभाया है। इसलिए परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा और जियो पॉलिटिक्स दोनों में इनवेस्टमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। स्पेस

रिसर्च भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है और भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन (इसरो) ने सैटेलाइट लॉन्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। इसरो ने करीब 30 देशों में 200 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसके साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकार्ड भी शामिल है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास अन्य देशों को परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए कैपिटल एंड एक्सपर्टीज से मदद करने की कोई योजना है ताकि इस क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र का जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और डोमिनेंस है, वह बढ़ सके?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय 22 रिएक्टर फंक्शनल हैं और वर्तमान सरकार ने एक निर्णय लेते हुए 9 न्यूक्लियर पावर और 12 एडिशनल रिएक्टर 2024-25 तक लगाने का फैसला किया है। इसमें कुछ दूसरे देशों की कॉलेबोरेशन भी रहेगी और पाँच-पाँच भिन्न-भिन्न वेन्यूज पर ये लगाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त जापान के साथ प्रधान मंत्री जी का जब दौरा था, एक अलग से एमओयू और उनके साथ एक समझौता साइन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि बड़ी मात्रा में और जैसा मैंने कहा कि अब एफ.डी.आई. के निवेश का रास्ता भी खोला गया, हालांकि सीमित तरीके से, इस अर्थ में कि वे परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे उपकरण और आपूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। निश्चय ही इसमें धनराशि उपलब्ध हो, बजट की दिक्कतें न हों और फॉरेन कॉलेबोरेशन हो। जहाँ तक आपने दूसरे देशों के कुछ एक उनके प्रावधान हैं, उनकी बात की। एक सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज ट्रीटी रहती है जो अंतर्राष्ट्रीय है। भारत उसका हिस्सा है और हमने उससे बढ़ कर एक कदम आगे जाकर एक इन्श्योरेंस पूल काम किया है, जिसका आपके पहले वाले प्रश्न से भी संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय जो बाहर से हमारे साथ कॉलेबोरेशन होगी, उनको किसी प्रकार की शंका न रहे, उसको भी एड्रेस किया गया है। उसमें लगभग 2600 करोड़ रुपये की कॉम्पनसेशन का रहता है।

अगर कोई हादसा या दुर्घटना हो जाए। अगर मैं बहुत आंकड़ों में जाऊँगा तो पहले 1200 फिर 1500 और यदि न हो तो चूँकि हम कम्पेन्सेटरी कन्वेन्शन के हस्ताक्षरकर्ता हैं, तो उसमें भी भारत इस समय निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है।

डॉ. संजय जायसवाल: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज कैगा न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन के यूनिट 1 ने दिसम्बर, 2018 में लगातार 941 दिन चलकर ब्रिटेन के हैशम प्लांट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और सभी वैज्ञानिकों का इस देश की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही मैं यह बताता हूँ कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में कितने संबल हैं। अभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे तो मुझे 2011 की लोक सभा याद आ गई। उस समय गुजरात को केवल इसलिए सजा दी गई थी कि नेशनल प्रोग्राम सोलर एनर्जी बनाने से पहले आपने काम क्यों शुरू कर दिया, इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।

मेरा प्रश्न यह है कि थर्ड फेज में माननीय मंत्री जी ने यह फैसला किया था कि हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की बात करेंगे और हम लोग थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को बनाएंगे। यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स में आज भी हमें यूरेनियम के इम्पोर्ट की जरूरत पड़ती है। आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में विश्व न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से यही प्रश्न है कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का भविष्य में देश का क्या प्रोग्राम है? न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी सबसे क्लीन टेक्नोलॉजी होगी और फिर हमें कोई इम्पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इस पर हमारे देश ने काम करना शुरू किया है या नहीं?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, आदरणीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, जो इन्होंने 962 दिन के एक रिकॉर्ड का उल्लेख किया है। उसमें साथ में मैं यह भी जोड़ देता हूँ कि हमारा तारापुर का जो प्लांट महाराष्ट्र में है, उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह भी विश्व में अपने में एक रिकॉर्ड है। विश्व में ऐसा बहुत कम बार होता है कि एक साल तक लगातार 365 दिन कोई रिएक्टर चलता रहे। हमारे यहाँ ऐसा 28 मर्तबा हो चुका है। इस दृष्टि से भी हमारा रिकॉर्ड रहा है।

जहाँ तक थोरियम का संबंध है, आदरणीय सदस्य का कहना ठीक है। हम दुनिया में थोरियम के सबसे बहुमूल्य भंडार घरों में से एक हैं और आने वाले वर्षों में थोरियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनने

जा रहा है। इसमें आरम्भ में कुछ दिक्कतें अवश्य थीं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ लगभग 12 मिलियन टन मोनोज़ाइट का रिजर्व है, क्योंकि यह मोनोज़ाइट से बनता है। हमने योजना बनाई है कि वर्ष 2031-32 तक भंडार में दस गुना वृद्धि होगी। उसमें थोरियम का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त थोरियम केवल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नहीं, मैं एक बड़ी रोचक बात यह भी साझा करूँ कि थोरियम का इस्तेमाल नॉन एटॉमिक एप्लिकेशंस में भी होता है, जैसे हमारे बल्ब के फिलामेंट्स हैं, जैसे हमारी वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे हमारे लैम्प के फिलामेंट्स हैं। थोरियम के अतिरिक्त परमाणु अनुप्रयोग भी हैं। दिक्कत इसमें केवल यह आई थी, पिछले तीन-चार वर्ष से पहले, 2012-13 के लगभग कि कुछ-कुछ तस्करी के समाचार आने लगे। केरल और तमिलनाडु के रेत तटों पर पाए जाने वाले आठ खनिजों में से मोनाज़ाइट सहयोगी खनिजों में से एक है। ग्रेनाइट भी उनमें से एक है। कुछ लोग ग्रेनाइट की खुदाई करने का कान्ट्रेक्ट लेते थे, साथ-साथ वे मोनोज़ाइट लेकर निकल जाते थे। अब उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इमेजिंग से हमें पता चल जाता है। कहीं संदिग्ध मूवमेंट हो रही हो, तो उसका भी पता लगता है। जो हमारे चैक गेट्स हैं, चाहे रेडियो गेट्स हैं, उन्हें और ज्यादा सुदृढ़ कर लिया गया है। निश्चय ही थोरियम कार्यक्रम की तरफ बढ़त करने के लिए ये सारे प्रावधान किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, मैं अपना प्रश्न माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। परमाणु रिएक्टर कचरे के भंडारण के संबंध में एक बड़ी चिंता है, विशेष रूप से, मेरे राज्य में, कुडनकुलम में जहां एक रूसी संयंत्र स्थापित किया गया है। सरकार उपयोग किए गए ईंधन या परमाणु कचरे को अस्थायी रूप से भंडारण करने की योजना बना रही है। यही तमिलनाडु के लोगों की चिंता है। पहले से ही, हमारे लोग तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र लगने से डरे हुए हैं। वहाँ इसका कड़ा विरोध हुआ। हम पहले ही दुनिया में तीन बड़े परमाणु संयंत्र आपदाएं देख चुके हैं। इसके अलावा, परमाणु कचरे का भंडारण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। क्या यह संभव है सरकार परमाणु ईंधन या कचरे को रिएक्टरों से दूर ले जाए और उसका रेगिस्तानी इलाकों में भंडारण करे जहां कोई मानव उपस्थिति नहीं है? यह अधिक सुरक्षित होगा।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक प्रश्न उठाया है जो काफी समय से चर्चा में है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों, विशेष रूप से तमिलनाडु से प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रतिवेदन किया था। लेकिन, मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँगा कि इस संबंध में कोई आशंका नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो विशेष रूप से केवल कुडनकुलम प्लांट के साथ हो रहा है। वही प्रक्रिया राजस्थान और महाराष्ट्र में स्थित संयंत्रों में अपनाई जाती है। वास्तव में, यदि आप मुझे केवल एक मिनट इसका वैज्ञानिक विवरण बताने की अनुमति दें, रिएक्टर के भीतर ही, एक स्टोरेज सिस्टम जिसे रिएक्टर वेस्ट या आईआरडब्लू, ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए, जब भी रिएक्टर प्रक्रिया में होता है, प्रयोग करने योग्य या प्रयुक्त सामग्री - मैं इसे बेकार भी नहीं कहूंगा क्योंकि यह फिर से प्रयोग करने योग्य हो सकता है - एक चैम्बर के भीतर संग्रहीत किया जाता है जो रिएक्टर का ही एक हिस्सा होता है। यह वहां कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए संग्रहीत होता है और उसके बाद नहीं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर यह उससे बाद जमा रहता है, तो प्रयोग करने योग्य ईंधन जो बाहर निकलेगा, उसके लिए जगह नहीं होगी और रिएक्टर रूक जाएगा। इसलिए, कुछ दिनों के बाद, इसे अवे फ्राम रिएक्टर वेस्ट (ए.आर.डब्ल्यू.) में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहाँ, यह लगभग 50 वर्षों तक संग्रहित होता है। इसे गहरे नीचे, पृथ्वी की सतह से कम से कम 30 मीटर नीचे संग्रहीत किया जाता है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। यह एक मानक प्रक्रिया है, जिसका पालन पूरी दुनिया में किया जाता है, यहाँ तक कि भारत के अन्य रिएक्टरों में भी अपनाया जाता है। फिर भी, किसी अफवाह की वजह से कुछ आशंका जताई गई और यह चर्चा का विषय बन गया। लेकिन मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा चूंकि वह एक पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए भी इस बारे में आशंकाओं को दूर करें और इस जागरूकता अभियान को और अधिक सफल बनाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हसनैन मसूदी: जनाब स्पीकर साहब, जम्मू-कश्मीर में बिजली की फ़राहमी की शदीद कमी है। इस हद तक कमी है कि कश्मीर डिवीजन में सब-ज़ीरो टेम्परेचर में दस से बारह घंटे की लोड शेडिंग होती है। आजकल जम्मू में, जहां 45 डिग्री सेल्सियस के आस-पास टेम्परेचर है, वहां भी दस से बारह घंटे की लोड शेडिंग होती है।

मैं आप की वसादत से जनाब वज़ीर मौसुफ़ से यह जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार कब जम्मू-कश्मीर को उसके पावर प्रोजेक्ट्स वापस करने जा रही है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के कारण, मांग-आपूर्ति की कमी का राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं कि मरक़ज़ी सरकार जम्मू-कश्मीर को उसके पावर प्रोजेक्ट्स को वापस देने के लिए वादहबन्द है, जो कि बड़े अर्से से सेन्टर की तहरीर में है। इसे कब तक वापस देने का इरादा है और क्या इसमें कोई शुरुआत हुई है?

[अनुवाद]

डॉ. जितेंद्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का स्वागत करता हूं। लेकिन कृपया मुझे यह बताने की अनुमति दें कि यह प्रश्न वास्तव में विद्युत मंत्रालय से संबंधित है और सीधे परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित नहीं है। जहाँ तक परमाणु ऊर्जा विभाग का संबंध है, मैं आपके प्रश्न के पहले भाग की प्रशंसा करता हूँ कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को भारत में, जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे सीमांत राज्यों में भी महसूस किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम पिछले चार-पांच वर्षों में अन्य स्थानों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ हम परमाणु संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में हम वापस हरियाणा पहुँच गए हैं। हम पहले से ही एक संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। हम पंजाब में भटिंडा और पटियाला के पास नए स्थलों की खोज की प्रक्रिया में हैं। उत्तर पूर्व में, मेघालय में हमारे पास एक विशाल भंडार है। लेकिन केवल भूस्खलन और कुछ भूकंपीय प्रवणता के कारण हम थोड़ा रूक गए हैं। तो, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक परमाणु ऊर्जा की उपलब्धता का सवाल है, हम धीरे-धीरे देश के विभिन्न भागों में जा रहे हैं। संभवत: एक दिन जम्मू-कश्मीर को भी वह लाभ मिलेगा।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में होगा कि आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले, जो कि मेरा अपना जिला है, में एक परमाणु संयंत्र प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना की स्थिति क्या है? यह लंबे समय से निर्माणाधीन है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसमें कोई बाधाएं हैं, या इसकी पर्याप्त प्रगति हो रही है। धन्यवाद।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूं। अभी तक, हमारे सामने कोई बाधा या गतिरोध नहीं आया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया और इसे क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक जाँच एवं संतुलन सुनिश्चित किया जाता है, इसलिए इसमें कुछ समय लगता है।

(प्रश्न संख्या 64)

श्री रघु राम कृष्ण राजू : मुझे एक मामला प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों से संबंधित है।

यह एम.ई.आई.एस. और अन्य योजनाएँ जो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उपलब्ध हैं, के बदले में परिवहन और विपणन सहायता के संबंध में है, और यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है जिसे मुख्य रूप से भारत का राइस बोल कहा जाता है। इसे भारत का जलीय कृषि केंद्र भी कहा जाता है। सत्तर प्रतिशत समुद्री खाद्य पदार्थ मेरे गोदावरी जिलों से निर्यात हो रहा है। एम.ई.आई.एस. योजना और अन्य योजनाओं को हटाने से बहुत चिंता उत्पन्न हो गई है। वे परिवहन प्रोत्साहन का प्रस्ताव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक उल्लेख करना चाहूँगा। समुद्री खाद्य झींगा के एक कंटेनर के लिए, उन्हें एम.ई.आई.एस. के माध्यम से लगभग 7 लाख रुपये मिलेंगे और कंटेनर परिवहन लागत लगभग 2.5 लाख रुपये है। यहाँ तक कि यदि आप पूरी परिवहन सब्सिडी दे देते हैं, फिर भी उन्हें हर कंटेनर पर लगभग 3 से 3.5 लाख रुपये का नुकसान होगा। अंतत: बोझ समुद्री खेती वाले किसानों पर पड़ेगा। वे पहले से ही काफी नुकसान झेल रहे हैं, जो एक बड़ा बोझ बन जाएगा।

इसी तरह, चावल निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी न्यूनतम होगी। यह जो उन्हें अभी मिल रहा था, वह मुश्किल से 20 फीसदी है। इसलिए, हमारे क्षेत्र में किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे ध्यान से सुनें और सुनिश्चित करें कि किसानों को कोई और नुकसान न हो।

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जब मत्स्य पालन और किसानों से संबंधित मामलों की बात आती है तो यह सरकार पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक संवेदनशील रही है। उल्लेखनीय है कि हमने पिछले पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से इस देश में 15 करोड़ से अधिक किसानों और लगभग डेढ़ करोड़ मछुआरों को सहायता प्रदान की है। यह हमारे लिए इस समुदाय का समर्थन करने की मंशा का प्रमाण है। मुझे लगता है माननीय सदस्य ने एम.ई.आई.एस. योजना और कृषि निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी को एक साथ मिला दिया है। एम.ई.आई.एस. योजना का इस प्रश्न में संदर्भित योजना से कोई लेना-देना नहीं है। परिवहन और विपणन सहायता योजना, एक नई योजना है जिसे

हमने हाल ही में 27 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया था। यह किसी अन्य योजना के बदले में नहीं है। अगले एक वर्ष तक हम कृषि उत्पादों की माल ढुलाई और विपणन के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने जा रहे हैं। हमारे पास उत्पादों की लंबी सूची है। यह मंत्रालय में उपलब्ध होने जा रही है। यह ध्यान से आकलन किया गया है कि किन उत्पादों को सहायता की जरूरत है और मछली और माँस जैसे मूल्य संवर्धित उत्पाद इस नीति के अंतर्गत रखे गए हैं। इसलिए, मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा लाभ है जो कि आंध्र प्रदेश के मछुआरों को भी मिलेगा।

मुझे माननीय सदस्य को यह बताना है कि यह सरकार नागरिकों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करती है। उनका यह अनुरोध है कि हमें धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनना चाहिए, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम किसानों का स्वागत करते हैं, हम गोदावरी के मछुआरों का भी स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि वे हमें बताएँ कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं तथा हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं। मछुआरों को बेहतर बनाने में सहायता करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, यही कारण है कि हमने मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्पित एक नया विभाग शुरू किया है।

मुझे विश्वास है कि वे गोदावरी जिले के निवासियों के साथ बातचीत करके उन तरीकों का पता लगाने में प्रसन्न होंगे जिनसे हम सुधार कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष, बारह बजने से पहले मुझे मौका नहीं मिलेगा। चूँकि माननीय सदस्य ने पहले के एक प्रश्न में फ़िलिबस्टरिंग के बारे में बात की है, मैंने सोचा कि मुझे सभा को सूचित करना चाहिए कि फ़िलिबस्टरिंग एक राजनीतिक प्रक्रिया है जहाँ एक या

अधिक संसद या कांग्रेस के एक या अधिक सदस्य प्रस्तावित कानून पर चर्चा करते हैं ताकि निर्णय लेने में देरी हो या प्रस्ताव पूरी तरह से रोका जा सके। इसलिए, मैं जानता हूँ कि तिवारी जी को अंग्रेजी का अद्भुत ज्ञान है। अनेक माननीय सदस्य उन शब्दों को भी नहीं समझते हैं जिनका वह उल्लेख कर रहे हैं। हालाँकि, मेरा मानना था कि उन्हें फ़िलिबस्टरिंग की अवधारणा पर शिक्षित किया जाना चाहिए।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि, ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (<u>व्यवधान</u>)

**प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 80

अतारांकित प्रश्न संख्या 652 से 881)

** प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश सी. अंगड़ी): मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 39/17/19]

(3) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 40/17/19]

अपराह्न 12.01 ½ बजे

याचिका समिति

68वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)

[हिन्दी]

महासचिव : स्पीकर सर, मैं केवड़ा और मैंथा कृषि/तंबाकू उद्योग में नियोजित लाखों तंबाकू किसानों, श्रमिकों की आजीविका बचाने तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 'खाद्य' की परिभाषा को सुसंगत करने के संबंध में श्री संजय बेचन के अभ्यावेदन पर 68वां प्रतिवेदन** प्रस्तुत करती हूं।

** याचिका समिति के तत्कालीन सभापति ने अध्यक्ष के निर्देशों के निर्देश 71क के अनुसरण में 09.03.2019 को 16वीं लोक सभा के अध्यक्ष को 68वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सभा के विघटन के बाद, अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अन्तर्गतप्रतिवेदन को मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित करने का आदेश दिया।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्रालय से संबंधित ' भारतीय रेल में पुलों का रख-रखाव: एक समीक्षा' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[**]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश सी. अंगड़ी): मैं रेल मंत्रालय से संबंधित ' भारतीय रेल में पुलों का रख-रखाव: एक समीक्षा' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[**] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 41/17/19।

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

समितियों का निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बंगलौर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलौर अधिनियम, 2012 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। ”

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलौर अधिनियम, 2012 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

(दो) रबड़ बोर्ड

[अनुवाद]

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं: -

"कि रबर नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबर अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड़) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, रबर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। ”

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि रबर नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबर अधिनियम 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, रबर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

(तीन) तंबाकू बोर्ड

[अनुवाद]

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूंः

> "कि तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, तंबाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, तंबाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्ययधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

<u>कार्य मंत्रणा समिति</u>

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

सभापति तालिका के लिए नामांकन

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने निम्नलिखित तीन सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामित किया है।

1. श्री ए.राजा
2. श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी
3. श्री भर्तृहरि महताब

माननीय अध्यक्ष : अब शून्य काल।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बुदुर): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है और 140 वर्ष बाद जल आपातकाल से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मेरे नेता डॉ. एम.के. स्टालिन ने परसों पूरे राज्य में प्रदर्शन का आह्वान किया है।

महोदय, नया नीति आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। पूर्व योजना आयोग ने अपने पहले प्रतिवेदन में कहा है कि भारत में दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी निवास करती है और हमारे पास ताजे पानी के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक हमारे देश में 40 फीसदी लोगों के पास पानी नहीं होगा।

उन्होंने अपने दूसरे प्रतिवेदन में यह कहा है कि भारत के 21 शहरों में पानी नहीं होगा और पानी की कमी के कारण दो लाख लोगों की मौत हो जाएगी। इसमें आगे यह कहा गया है कि एक समय के बाद भारत के 600 मिलियन लोगों के पास बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। यह भारतीय परिदृश्य है।

जहाँ तक तमिलनाडु का संबंध है, अकेले चेन्नई शहर में 10,000 टैंकर और लॉरी शहर में जल आपूर्ति के लिए आते हैं। मेट्रो सिटी में पानी की यह स्थिति है। इस शहर में पानी की आपूर्ति चार झीलों से होती है - चेम्बरमबक्कम, चोलावारम, पुंडी और रेड हिल्स। पानी की सभी भंडारण टंकियाँ सूख चुकी हैं। इस वर्ष 29 मई को राज्य में उपलब्ध कुल 76 मिलियन टी.एम.सी. जल उपलब्ध था जबकि पिछले वर्ष यह मात्रा 2964 मिलियन टी.एम.सी. थी। आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी चल रही हैं। अब तक सभी टंकियाँ सूख चुकी होंगी।

तमिलनाडु की सभी नदियाँ जैसे कावेरी, वैगई, थेनपेनई, पलार और अमरावती सूख चुकी हैं और रेगिस्तान की तरह दिखती हैं। ऐसे में सभी जल के स्रोत सूख गए हैं। लोगों के पास पीने के पानी की आपूर्ति का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

इसलिए, भारत सरकार से मेरा अनुरोध और माँग है कि तुरंत रेल-टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाए।

दूसरी बात यह है कि तटीय क्षेत्र के 13 जिलों में कम से कम 20 जगहों पर अलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, कम से कम अब, भारत सरकार को यह देखने के लिए आगे आना चाहिए कि चेन्नई शहर में पानी की नियमित आपूर्ति की उचित व्यवस्था की जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह ज़रूरी है कि तय किया जा सके कि सभी लोगों की प्यास बुझायी जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री बी. मणिक्कम टैगोर को श्री टी.आर. बालू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र माल्दहा उत्तर के एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिये। अब किसी सदस्य को चेयर को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है आपका नाम लॉटरी में खुला है, इसलिए आप सीधा बोले।

श्री खगेन मुर्मु: ठीक है, महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या बाढ़ की है। हर साल मेरे लोक सभा क्षेत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। हर साल मेरे लोक सभा क्षेत्र में बाढ़ की वजह से करोड़ों लोगों के जन-धन और फसलों की हानि होती है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के रतुआ ब्लाक के महानंदटोला और बिलाईमारी तथा हरिश्चंद्रपुर-2 के भालुका एवं भाकुरिया उत्तर तथा दक्षिण सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से आम जनता को काफी नुकसान होता है।

मेरे लोक सभा क्षेत्र की एक और प्रमुख गंगा की सहायक नदी फुलाहार है, जिसमें बाढ़ के कारण भाकुरिया और उसके आस-पास की करीब हजारों एकड़ जमीन और हजारों की संख्या में आम जनता प्रभावित होती है। फुलाहार नदी में बाढ़ से होने वाले कटान के कारण भाकुरिया की लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। इसके अलावा गंगा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र मानिकचक ब्लाक, कालियाचक 2 और 3, पारदेवनापुर, शोभापुर जो कि मालदा दक्षिण के तथा फरक्का ब्लाक, शमशेरगंज ब्लाक, सुती-1,

सुती-2, रघुनाथगंज-1 और 2, लालगोला, रानीनगर, कांदी ब्लाक, जो कि मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा नदिया जिले के भी कुछ हिस्से हैं जो गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ के पानी से काफी प्रभावित होते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गंगा और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ से होने वाले नुकसान का समुचित समाधान करने की कृपा करें तथा प्रभावित क्षेत्र की आम जनता को हो रहे नुकसान तथा हुए नुकसान के लिए राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था जल्द से जल्द करने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं यह भी माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बाढ़ की समस्या का पूर्ण समाधान करने की कृपा करें ताकि आम जनता को इस त्रासदी से निजात मिल सके, धन्यवाद सर।

[अनुवाद]

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सभा और भारत सरकार का ध्यान बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड में परिवर्तन के परिणामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2014 में और 2014 से पहले, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी स्केल-1 और बहुउद्देशीय कार्यालय सहायक पद हेतु होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के लिए स्थानीय भाषा में पेशेवर दक्षता होना अनिवार्य था।

मैं वर्ष 2014 की अधिसूचना से एक वाक्य पढ़ता हूँ। इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में मैट्रिक, 10+2, स्नातक में अध्ययन की गई स्थानीय भाषाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान एक अनिवार्य आवश्यकता है।

हालाँकि, महोदय, इस अनिवार्यता को वर्ष 2014 के बाद संशोधित कर दिया गया था। 2014 के बाद, अधिसूचना के द्वारा निम्नलिखित बदलाव किया गया - "जो उम्मीदवार चयन के समय स्थानीय भाषा की वांछनीय योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें प्रवीणता हासिल करने के लिए नियुक्ति की तारीख से छह महीने का समय दिया जाएगा। इस अवधि को आर.आर.बी. द्वारा नियमों के दायरे में बढ़ाया जा सकता है और यह विस्तार एक वर्ष तक हो सकता है। "

इसलिए, स्थानीय भाषा में प्रवीणता की आवश्यकता में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, स्थानीय भाषा जानने वाले लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों खासकर कर्नाटक में ग्रामीण बैंकों मे रोजगार नहीं मिल रहा है।

मैं बस इस विसंगति को आपके संज्ञान में लाकर, अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। महोदय, वर्ष 2014 से - क्रमशः 64 प्रतिशत, 61 प्रतिशत और 81 प्रतिशत – बाहरी लोगों को कर्नाटक के ग्रामीण बैंकों में नौकरी मिल रही है।

**....*मेरा केवल इतना अनुरोध है कि कर्नाटक के युवाओं को कर्नाटक के ग्रामीण बैंकों में रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए, कन्नड़ युवाओं को न्याय सुनिश्चित करने और उन्हें रोजगार पाने में सक्षम बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2014 से पहले के दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए। कर्नाटक के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 25 सदस्यों को लोक सभा में भेजा। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हमेशा कर्नाटक के युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सभी प्रयास करके उन्हें प्रेरित करते रहे हैं और इस प्रकार, उन्होंने उनका विश्वास बरकरार रखा है*।

मैं राज्य सरकार से इस अधिसूचना को वापस लेने का आग्रह करता हूँ। महोदय, पिछले सप्ताह, इस परीक्षा के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वर्ष 2015-16 से पहले और वर्ष 2014 की अधिसूचना से पहले की स्थिति बहाल करें। इस अवसर के लिए धन्यवाद।

**....* मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री एस.सी. उदासी को श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं आपके माध्यम से, यूपीए सरकार में जो 126 पिलाटस मल्टी मॉडल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदे गए, उसमें अभी सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर की तरफ मैं सदन और पूरे देश-दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

सर, यूपीए सरकार ने 2005 में ऑफसेट क्लॉज के नियम को बदला। 2008 में संजय भण्डारी जी की एक ओआईएस कंपनी थी, उसके साथ पिलाटस ने एक ऑफसेट एग्रीमेंट साइन किया और 2009 में उसे पैसा मिलना शुरू हुआ।

अध्यक्ष महोदय, पिलाटस कंपनी की कमीशनखोरी में,... ** का एमिरेट्स का एक एकाउण्ट – 1021497657901 है। 13 जून, 2009 को यह पैसा सनटेक कंपनी में गया, उस कंपनी ने एक फ्लैट – 12, ब्रैंसन स्क्वायर, लंदन में खरीदा। उस कंपनी जैसी एक अन्य कंपनी वर्टेक्स होल्डिंग कंपनी थी, जिसने ठीक उतने ही दाम पर वह फ्लैट 2010 में खरीद लिया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 12, ब्रैंसन स्क्वायर, लंदन का जो मकान है, वह ... * का है या नहीं, इसे सरकार को बताना चाहिए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय यह है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए जुलाई, 2011 में कोरिया की जो एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज थीं, जो कोरिया के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि पिलाटस को जिस आरएफक्यू में दिया गया है, वह किसी कीमत पर पूरा नहीं करेगा। ... (व्यवधान) जो हमारे रक्षा मंत्री थे, माननीय मनोहर परिकर साहब ने 2016 में इसके ऊपर कहा कि उस वक्त कोरिया के मंत्री ने जो ऑब्जेक्शन दायर की थी, वह सही थी।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसके ऑब्जेक्शन के बाद भी किस तरह से यह एयरक्राफ्ट दिया गया। दूसरा, इनको गुस्सा आता है। मैं आपको टिकट के साथ बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त को ...** को एमीरेट्स की फ्लाइट, ईके-71 में जिनेवा जाने का टिकट दिया। ... (व्यवधान) उसी तरह से 17 अगस्त को उसी संजय भंडारी ने उनको एलेक्स 563 …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं यह कह रहा हूं कि उनको ज्यूरिख़ जेनेवा जाने के लिए टिकट दिया। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से चार-पांच प्रश्न पूछना चाहता हूं। ... (व्यवधान) इनका ...* से क्या रिलेशन है। ... (व्यवधान) इनका फ्लैट नम्बर-42, अपर ब्रूक स्ट्रीट, मेफेयर, लंदन किसका है?...(व्यवधान) ग्रासवेनर प्रॉपर्टी 238, एजवेयर लंदन किसका है? फाइव विकरेज रोड एजबेस्टन, बर्मिंघम लंदन प्रॉपर्टी किसका है?... (व्यवधान) फोर बेड रूम अपर स्टोरी बिल्डिंग, सरटोगा लंदन में किसका है। ... (व्यवधान) आर्लिंगटन रोड सेंट जॉन, लंदन में, यह प्रॉपर्टी किसकी है?... (व्यवधान) लैंड फॉर सोलर वाला प्रोजैक्ट, जो बीकानेर में खरीदा गया, यह किसका है?... (व्यवधान) पांच सौ एकड़ लैंड फरीदाबाद में ली गई, यह किसकी है? …(व्यवधान) डीएलएफ में, मंगनोलिया में, चार फ्लैट्स किसके हैं?... (व्यवधान) ये सभी ...* के हैं। ...(व्यवधान) मैं सरकार के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें इमीडिएट ... * के साथ एफआईआर करके, उस समय के तत्कालीन मंत्री को जेल जाना चाहिए। ... (व्यवधान) मेरा कांग्रेस पार्टी से आग्रह है, एक कहावत है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः, …(व्यवधान) जय हिंद, जय भारत।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं प्रतापगढ़ से चुन कर आया हूं। मैं प्रतापगढ़ की ईश्वर स्वरूप जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 17 वीं लोक सभा में हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में नगर क्षेत्र भगवा चुंगी से सैयावांध नाले तक लगभग तीन किलोमीटर नाले का निर्माण एन.एच.- 96 से अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड सुल्तानपुर इकाई द्वारा किया जाना था, किन्तु लगभग छः वर्षों से धन उपलब्ध होने के बाद भी नाले का निर्माण नहीं हो सका और उसमें विभागीय अधिकारियों की मिली-भगत से यू.पी. ए. सरकार में सीनियर लीडर के घनिष्ठ सहयोगी, जो अमेठी का रहने वाला है, अधूरे नाले के निर्माण का पैसा आहरित कर लिया। कई बार धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी द्वारा डीओ लेटर भेजने और मेरे द्वारा विधायक रहने के दौरान उत्तर प्रदेश की सदन में भी इस मामले को उठाया गया था। मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के कठोर निर्देश पर टी.ए.सी. की जांच में शिकायतें पाए जाने पर कंपनी को लगभग 13 करोड़ रुपए की रिकवरी जारी करने, काली सूची में डालने का पत्र जारी कर जिम्मेदार लोगों ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हालात इतने बदतर हैं कि शहर के पॉश इलाके में बारिश से पहले ही गंदा पानी भरा था और थोड़ी बारिश के बाद लोगों के घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और नाले में बरसात का पानी भरा होने के साथ ही कई कॉलोनियों में भी जल निकासी पूरी तरह से ठप्प पड़ी है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य शून्य काल में पढ़ा नहीं जाता है, शॉर्ट मे अपनी बात कीजिए।
माननीय सदस्य आप बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित जी, आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र पालघर समुद्र तटीय होने के कारण वहां के जीवन यापन का मुख्य स्त्रोत मात्सियकी व्यापार है। अभी सरकार के द्वारा मात्सियकी का अलग मंत्रालय बनाने पर व्यापार को एक नया आयाम मिलेगा।

महोदय, मेरा कहना है कि जब तक मात्सियकी व्यवसाय को कृषि का दर्जा नहीं मिलता है, यह व्यापार उपेक्षित महसूस करेगा और तमाम सरकारी सुविधा से वंचित रहेगा। मैं सदन में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को इस व्यापार से जुड़ी कुछ मुख्य बातों से अवगत कराना चाहता हूं।

मच्छीमार नौकाओं को डीजल की कीमतों में हर साल बढ़ोतरी होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी डीजल में जो तीन रुपये प्रति लीटर सब्सिडी मिलती है, उसे बढ़ाकर पांच रुपये प्रति लीटर करके इस बार के बजट में सुविधा दी जाए।

महोदय, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने भाऊचा धक्का मुम्बई का एकमेव बंदरगाह होते हुए भी उसे अप्रैल, 2019 से वाहतुक बंद करके मछुआरों की सभी सुविधाएं जैसे कि डीजल, पानी, मच्छी की बिक्री बंद कर दी है, लेकिन उसे दुरुस्त करने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। सितम्बर महीने से महुआरों का सीज़न शुरू होगा, इसलिए मंत्री जी से विनती है कि इन समस्याओं का पर्याय रास्ता निकालना चाहिए और जल्द से जल्द निर्णय लेकर बंदरगाह चालू किया जाए।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): माननीय अध्यक्ष, केंद्र सरकार ने 2015-16 के केंद्रीय बजट में तिरूवनन्तपुरम में वर्तमान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग (एन.आई.एस.एच.) को राष्ट्रीय पुनर्वास एवं विकलांगता अध्ययन विश्वविद्यालय (एन.यू.आर.डी.एस.) के रूप में अपग्रेड करने का वादा किया था। केरल सरकार इस उद्देश्य के लिए तिरूवनन्तपुरम जिले में 50 एकड़ भूमि आवंटित करने पर सहमत हो गई है और सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्रदान कर दी हैं।

तिरूवनन्तपुरम में एन.यू.आर.डी.एस. स्थापित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में एन.आई.एस.एच., वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डी.ओ.पी.टी. से परामर्श करने के बाद एक विधेयक तैयार किया गया था। दुर्भाग्यवश, विधेयक को संसद में कभी पुर:स्थापित नहीं किया गया क्योंकि मंत्रिमंडल ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। अचानक, सरकार ने अपने सार्वजनिक आश्वासन को, जिसे सभा पर भी किया गया था, से मुकरने का निर्णय लिया और तिरूवनन्तपुरम में एन.यू.आर.डी.एस. की स्थापना करने की अपनी योजनाओं को छोड़ दिया; एन.यू.आर.डी.एस. की स्थापना के लिए अधिकांश बुनियादी काम पहले ही पूरा हो चुका है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह एक चौंकाने वाला निर्णय है। यह वास्तव में केरल राज्य के साथ केंद्र के सामंती व्यवहार के उदाहरण का हिस्सा है।

एन.आई.एस.एच. को विकलांगता अध्ययन के क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। एन.आई.एस.एच. द्वारा बच्चों के लिए किए गए कॉक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रम का केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में विस्तार किया गया था। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ अकादमिक कार्यक्रमों में शामिल हो गया है। एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विस्तार किए जाने के लिए यह एक आदर्श स्थान है।

मैं सरकार से अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने और केरल के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह करता हूं, खासकर राज्य की राजधानी तिरूवनन्तपुरम में, जहां भाजपा प्रभावशाली है। यह महत्वपूर्ण है कि 2015 और 2019 के चुनाव अभियान के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं को *खोखले* वादे या राजनीतिक बयानबाजी के रूप में खारिज नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और एडवोकेट अदूर प्रकाश को डॉ. शशि थरूर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामदास तडस (वर्धा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र राज्य में औसतन से कम वर्षा होने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा एवं अमरावती जिले के कपास एवं संतरा उत्पादक कृषकों की स्थिति बहुत ही खराब है। विगत दिनों केंद्रीय टीम द्वारा पूरे महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके का सर्वे किया गया था एवं मेरे संसदीय क्षेत्र में भी टीम का आगमन हुआ था। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन वह प्रस्ताव अभी तक केंद्र सरकार के पास लंबित है।

अत: मेरा आग्रह है कि महाराष्ट्र के सभी जिलों के साथ-साथ मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा एवं अमरावती को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज संतरा एवं कपास उत्पादकों को दिया जाए एवं साथ-ही-साथ सरकार द्वारा किसानों के कर्ज को भी माफ किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य किसी भी विषय पर अपने को संबद्ध करना चाहते हैं, वे अपना नाम सभा पटल पर भेज सकते हैं।

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री रामदास तडस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं। जब वे मेरे संसदीय क्षेत्र करौली के हिंडोन में आए थे, तब देश में जल संचयन और जल के महत्व तथा सदुपयोग को समझते हुए राजस्थान की समस्या को विशेष तौर से समझा। पेयजल और सिंचाई के लिए उन्होंने वायदा किया था कि अगली बार हमारी सरकार बनते ही हम इस महत्वपूर्ण विषय पर काम करेंगे और एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। सबसे पहले मैं सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जल के महत्व को समझते हुए जल शक्ति मंत्रालय बनाया और उसका कैबिनेट मिनिस्टर भी राजस्थान से ही बनाया, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि राजस्थान और गुजरात पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं।

महोदय, पूर्वी राजस्थान को पेय जल और सिंचाई के लिए हमारी पूर्व भाजपा की सरकार ने वर्ष 2017-18 के अंदर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से एक महत्वपूर्ण योजना बनाई थी। जिसमें नदियों से नदियों और बांधों से बांधों को जोड़कर पेयजल और सिंचाई के लिए व्यवस्था की गई थी। पूर्व प्रदेश सरकार की वह योजना केन्द्र सरकार के पास पड़ी है। उसका बजट लगभग 38 हजार करोड़ रुपये का था।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की इस महत्त्वपूर्ण परियोजना को राज्य सरकार के साथ मिलकर जल्द-से जल्द शुरू किया जाए और पूरा किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: सर्वश्री अर्जुन लाल मीणा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, देवजी एम. पटेल, सुभाष चन्द्र बहेड़िया, रामचरण बोहरा और सी.पी. जोशी को डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त लोक महत्त्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

सरकार की अति प्रतिष्ठित और दूरसंचार की सबसे अग्रणी कम्पनी बीएसएनएल है। अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इसके रेवेन्यू का 70 प्रतिशत अंश इसके कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च होता है, जो घाटे का एक प्रमुख कारण है। बीएसएनएल और एमटीएनएल में ऑफिसर्स के कई यूनियन हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर हमारी कम्पनी की वीआरएस और रिटायरमेंट की सीमा 60 से 58 कर दी जाए, तो निश्चित तौर से वह घाटा भी कम कर सकते हैं और उसको रिवाइव भी कर सकते हैं।

फोर-जी की बात आई थी, चार साल पहले प्राइवेट कम्पनियों के पास फोर-जी की उपलब्धता हो गई। इसके लिए बीएसएनएल और सरकार को आधा-आधा बजटरी सपोर्ट देना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि प्राइवेट कम्पनियों के सामने जहाँ हम एक प्रतिस्पर्द्धा के दौर से गुजर रहे हैं, आपने स्वयं इसकी महत्ता को स्वीकार किया है, चाहे असम हो, जम्मू-कश्मीर हो, नैचुरल क्लैमिटी में बीएसएनएल का रोल महत्त्वपूर्ण है। इसलिए फोर-जी के लिए भारत सरकार और बीएसएनएल को जो बजटरी सपोर्ट देना है, उसे देकर इसमें फोर-जी की सुविधा करायी जाए।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में पेयजल की विकट समस्या है। एक मात्र बिसलपुर बांध है। इससे आप स्वयं भलीभांति परिचित हैं कि यदि बिसलपुर बांध नहीं होता, तो शहर और गांव सभी खाली हो जाते। पीने के पानी की ज्वलंत समस्या है। गत् वर्ष वर्षा कम होने की वजह से बिसलपुर बांध बिल्कुल सूखने के कगार पर है। आज हालात यह है कि शहरों में चार-पाँच दिनों पर पीने का पानी आ रहा है और गांवों में आठ-दस दिनों पर पीने का पानी आ रहा है।

मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है, हमारे देश के राष्ट्र-पुरुष और सिद्ध-पुरुष माननीय प्रधान मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जल के संकट को समझा और देश की आज़ादी के बाद पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। हमें खुशी है कि वह मंत्रालय भी राजस्थान से चुनकर आए हुए सदस्य को मिला है।

मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने 2014 में छह हजार करोड़ रुपये मंजूर किये थे। आप जहाँ से आते हैं, चम्बल नदी को ब्राह्मणी नदी में डालकर, उनको लिफ्ट करके बिसलपुर बांध में लाने की व्यवस्था की थी ताकि पूरे अजमेर लोक सभा क्षेत्र में पीने का पानी मिल सके। इसके लिए पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने डीपीआर भी बना ली थी। दुर्भाग्य से, वर्तमान राजस्थान सरकार ने उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। आज समस्या बहुत ही विकट है। नीचे पानी में फ्लोराइड है।

मैंने अपने क्षेत्र में एक ही बात कही थी। अटल जी का जो सपना था नदियों को जोड़ने का, उसको सिद्ध-पुरुष नरेन्द्र भाई मोदी जी पूरा करेंगे। नदियाँ जुड़ जाएंगी, तो हर खेत को पानी मिल जाएगा, हर हाथ को काम मिल जाएगा, नौज़वान को रोज़गार मिल जाएगा, किसान के घर में समृद्धि आ जाएगी और राजस्थान में खुशहाली आ जाएगी।

इसलिए मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इस ओर आवश्यक कदम उठाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री मनोज राजोरिया और श्री सी.पी. जोशी को श्री भागीरथ चौधरी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र हमीरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर आता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कानपुर से सागर राष्ट्रीय राजमार्ग है। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए और औद्योगिक नगरी कानुपर के लिए मध्य प्रदेश से, बल्कि पीछे महाराष्ट्र से होकर हाइवे निकल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र से भवन निर्माण के लिए पत्थर और बालू लेकर करीब 10 हज़ार ट्रक्स उस रास्ते से निकलते हैं। मैं बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से मांग कर रहा हूं। पूर्व की सरकार ने बीओटी प्रोजेक्ट के तहत उसको बनाया था। वह टू-लेन हाइवे है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में 130 किलोमीटर का पैच आता है। मेरी बात सुनकर सदन को लगेगा कि मैं अतिश्योक्ति बोल रहा हूं। हाइवे किनारे के एक-एक गांव से 30-40 नौजवान - जो मोटरसाइकिल से रोज़गार के लिए जाते हैं, सर्विस करते हैं - पिछले तीन सालों में अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि जो भी कंपनी इस बीओटी प्रोजेक्ट में है, उसके साथ एग्रीमेंट कर के उसे बाध्य किया जाए। उस मार्ग को कबरई से लेकर हमीरपुर तक फोर-लेन बनाया जाए और हमीरपुर से कानपुर तक सिक्स-लेन बनाया जाए। अगर बहुत जल्दी इस सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि देश के बहुत से नौजवानों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। इसके साथ-साथ एक कष्ट और भी है। बहुत से बुजुर्गों और बच्चों के माता-पिता ने बच्चों से कह दिया है कि जब तक रोड न बने, तब तक अपनी सर्विस छोड़ दो, अपना काम बंद कर दो, मोटरसाइकिल से नहीं जाना है। इस कारण लोगों ने नौकरियां छोड़ दी हैं और अब वे अपने घरों में हैं। इससे बेरोज़गारी बढ़ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपका संरक्षण चाहते हुए, निवेदन करता हूं कि भारत सरकार इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान अटारी-वाघा सीमा पर व्यापार करने वाले व्यापारियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 16 फरवरी, 2019 को पुलवामा हमले के बाद, केंद्र सरकार ने अटारी सीमा के माध्यम से व्यापार की जाने वाली सभी वस्तुओं पर अधिकसीमा शुल्क लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप, इस स्थान से होने वाले भारत-पाक व्यापार में एक ठहराव आ गया है। 5000 कुली बेरोजगार हो गए हैं। जिन लोगों ने पीढ़ियों से यहाँ काम किया, वे अब खाली बैठे हैं और बेरोजगार हैं। उनके परिवार पीड़ित हैं। 16 फरवरी से पहले अटारी बॉर्डर पर 6000 किलो सूखे फल, 9000 किलो सीमेंट और 500 टन चूना पत्थर फेंका गया था। जब 200% सीमा शुल्क लगाया गया था, तो यह सारी वस्तुएँ वहाँ पर छोड़ दी गई थी। सीमा शुल्क 10 करोड़ रुपये है, जो अन्याय है। यह बाजार दर से कहीं अधिक है।

अत:, मैं केंद्र सरकार से कुलियों के पुनर्वास का अनुरोध करता हूँ। इसके अलावा, व्यापारिक वस्तुओं पर लगाए गए 200% सीमा शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि इन्हें 16 फरवरी, 2019 से पहले ही वहां फेंका गया था। धन्यवाद।

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा से आया हूँ। गुलबर्गा कर्नाटक का सबसे पिछड़ा इलाका है। हमारे पास एक सीमेंट फ़ैक्ट्री थी - सीमेंट कंपनी ऑफ़ इंडिया। जो सरकारी सीमेंट फैक्ट्री थी, वह अब बंद हो गई है। वहां की कॉलोनीज़ के हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बेस्ट अवॉर्ड भी दिया गया था। आज वह सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई है। गुलबर्गा में बहुत सी प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन एक ही सरकारी सीमेंट फैक्ट्री थी। इस सीमेंट फैक्ट्री को सरकार की ओर से डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भेजा गया है। जल्द से जल्द इस सीमेंट फैक्ट्री को चालू कर दिया जाए, तो हम शुक्रिया अदा करेंगे। वहां के हजारों एस.सी., एस.टी. लोग बेघर हो गए हैं। वहां

** मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

की कॉलोनीज़ और स्कूल्स, सब ठप पड़ गए हैं। मेरी सिन्सेयर रिक्वेस्ट है कि यह एक वर्ष के भीतर शुरू होना चाहिए। आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, मीडिया संगठनों और अन्य प्रचार एजेंसियों को केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन जारी करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। अब यह विज्ञापन जारी करने और मीडिया संगठनों को भुगतान करने के लिए डिजिटल माध्यम पर काम करता है।

इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक मीडिया कंपनी को डी.ए.वी.पी. की वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए एक यूज़रनेम और पासवर्ड दिया जाता है। यह पारदर्शिता लाने के लिए है। लेकिन वर्तमान एन.डी.ए. शासन के दौरान क्या हो रहा है? मीडिया वालों का गला दबाया जा रहा है, सारे एडवर्टाइजमेंट बंद किए जा रहे हैं। गलती यह है, उन लोगों का दोष यह है कि यह सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है।

सरकारी विज्ञापनों को रोकने की अलोकतांत्रिक और निरंकुश शैली इस सरकार की ओर से मीडिया को एक संदेश है कि वह अपनी लाइन पर चलें। राफेल सौदा विवादों, पक्षपात और भ्रष्टाचार से घिरा हुआ था। द *हिंदू* अखबार ने इसे उजागर किया, जबकि *टाइम्स ऑफ इंडिया* ने प्रधानमंत्री द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का खुलासा किया; द *टेलीग्राफ* और *एबीपी* ने प्रधानमंत्री के प्रति आलोचना व्यक्त की। यह एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर किसी को इन बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री सी. पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस विषय पर आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं एक गम्भीर विषय को इस सदन में रखना चाहता हूं। … (व्यवधान) देश भर में धर्म, संस्कृति और संस्कार के आधार पर हिन्दुस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है। पिछले कुछ समय से धर्म, संस्कृति पर, हमारे महापुरुषों के ऊपर, राष्ट्रीय विचारों के ऊपर बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। … (व्यवधान)

मुझे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को एक राष्ट्रवादी फोबिया हो गया है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के विवेक को इस प्रकार एक वंशवाद का विषाणु समाप्त करता जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है... ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, आज अपने देश के करोड़ों भारतवासी और साथ ही साथ 1 लाख 7 हजार कर्मचारी बहुत चिंतित हैं। इसका कारण है, बी.एस.एन.एल. की दयनीय अवस्था। आज सवेरे प्रश्नकाल में भी इसके ऊपर चर्चा हुई।

अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गरीब लोगों तक जाती हैं, चाहे वह बैंक का व्यवहार हो, पोस्ट बैंक का व्यवहार हो या कहीं अनुदान की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं बी.एस.एन.एल. से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों के सारे के सारे गांव बी.एस.एन.एल. से जुड़े हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज बी.एस.एन.एल. पूरे तरीके से बंद हो रही है। क्या उसे आप बंद करने वाले हैं? इनकी पर्याय व्यवस्था क्या होनी वाली है, इसके बारे में केन्द्र सरकार को अपना बयान इस हाउस में देने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और खासकर प्रधान मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि यह सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। यह देश के सारे देशवासियों तक पहुंचे, इसके बारे में आप हस्तक्षेप करें और सरकार का ध्यान स्पष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री विनायक भाउराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दम दम): मैं श्री विनायक भाउराव राउत के साथ सहबद्ध हूं।

[हिन्दी]

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। दुनिया का एक हिस्सा है, जिसे दक्षिण एशिया कहते हैं। दुनिया उसे मिडल ईस्ट कहती है। पिछले दो महीने से वहां पर जो घटनाक्रम चल रहा है, उसका एक बहुत दूरगामी प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर पड़ने वाला है। वहां पर पतिस्थितियां बहुत ही तनावपूर्ण बनी हैं, खासकर जिसे स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ कहते हैं, गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। जहां से 80 प्रतिशत दुनिया का कच्चा तेल, सागर के मार्ग से जाता है। वहां पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा खतरनाक बनती जा रही हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 2018-19 में भारत ने ईरान से 23.5 मिलियन टन क्रूड इम्पोर्ट किया था, और भारत की रिफाइनरीज़ के लिए ईरान से जो क्रूड इम्पोर्ट किया जाता है, वह उनकी वर्किंग के लिए अनुकूल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि 2 मई, 2019 को अमेरिका ने भारत व कई अन्य देशों को जो वेवर दे रखा था कि अगर आप ईरान से तेल इम्पोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाई जाएगी, वह वेवर हटा दिया गया है। अब, क्या सरकार ईरान से तेल इम्पोर्ट करती रहेगी और अगर इम्पोर्ट नहीं करेगी, तो सरकार ने और क्या व्यवस्था की है? भारत में जो तेल की कीमत है, मिट्टी के तेल और गैस की कीमत है, यह न बढ़े। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। देश की प्राचीनतम् जातियों में से एक, कौरव जाति, भारत की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हो, ऐसा मेरा आग्रह है। कौरव समाज, जिसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता रहा है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी है। इस समाज ने देश की आज़ादी से लेकर समाज के कल्याण में वृहद् योगदान दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस समाज ने देश को जहाँ एम.एस. चौधरी जैसा विद्वान आई.ए.एस. दिया है, वहीं बाबू नीतिराज सिंह चौधरी जैसा संविधानविद् और लोक सभा का सांसद भी दिया है, जिसने देश की प्रगति और समाज कल्याण के लिए काम किया। समय के साथ कृषि आश्रित कौरव समाज आपसी बंटवारे के चलते सीमान्त और लघु कृषक बनकर रह गए हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। इस मेहनतकश और ईमानदार कौम को प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर रखा है, लेकिन देश की सूची में शामिल न होने के कारण बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जैसे उज्जैन में अंजना समाज है, वैसे ही हमारे नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, भिंड, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर में कौरव समाज है। इस जाति के पिछड़े होने के कारण बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में प्राथमिकता मिले, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कौरव समाज और उज्जैन का हमारा अंजना समाज, जो राजस्थान में भी है, को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करें। मेरा यह आपसे विनम्र आग्रह है।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा एवं श्री देवजी एम. पटेल को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. सुजय विखे पाटिल (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपका ध्यान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.06.2019 को जारी एक अधिसूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें भारत से वस्तु निर्यात योजना अंतर्गत प्याज के लिए प्रदान किए जाने वाले लाभ को वापस लेने का उल्लेख किया गया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, विशेष रूप से महाराष्ट्र का उत्तरी भाग, जहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र अहमदनगर स्थित है। यह पैदावार में लगभग 50 से 60 प्रतिशत का योगदान देता है। योजना के वापस लिए जाने से जहां प्याज के निर्यात के लिए दस प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, वहीं प्याज की कीमतें गिरने का खतरा ज्यादा है। इससे उन किसानों के मन में डर पैदा होगा जो पहले से ही महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह भारत से इस वस्तु निर्यात योजना के लाभों को छह महीनों की अवधि के लिए और बढ़ाएँ।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री परबतभाई पटेल।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष गुजरात के बनासकांठा के किसानों के लिए प्रश्न उठाना चाहता हूँ। महोदय, हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के अन्नदाता की आय को दोगुना करने के सपने को प्राप्त करने के लिए देश के किसान भाइयों द्वारा उपजाई गई पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। इसी के मुताबिक गुजरात में सरसों की खरीदारी की जा रही है। सरसों को खरीदने की अवधि 30 जून को पूरी हो रही है। सरकार ने जो मुद्दत दी थी, किसानों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें से मात्र 25 प्रतिशत खरीद ही की गई है। 75 प्रतिशत की खरीदारी अभी बाकी है। यह अवधि थोड़ी लम्बी की जानी चाहिए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए तय किया है, वह

उनको मिल सके। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह अवधि जल्द से जल्द बढ़ाई जाए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता (पेड्डापल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉ. बाबा साहेब की मेहरबानी से और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के.सी.आर. जी के आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पेड्डापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हूं जो तेलंगाना राज्य में आता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो जिले हैं; एक पेड्डापल्ली और दूसरा मंचेरियल है। ये दोनों जिले मुख्य रूप से ग्रामीण जिले हैं। रामागुंडम में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ-साथ कोल इंडिया भी है। इस क्षेत्र में अधिकांश गरीब लोग और किसान रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से इन दोनों जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए। इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया पेड्डापल्ली और मंचेरियल दोनों में दो नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए कदम उठाएं। अधिकांश श्रमिक और गरीब लोग इस औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके बच्चे कॉर्पोरेट स्कूलों में पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वहां नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए कदम उठाएं।

हमारी तेलंगाना सरकार इन स्कूलों हेतु जमीन और भवन देने के लिए तैयार है। इन दोनों जिलों में पर्याप्त सरकारी भवन और भूमि उपलब्ध है। मैं एक बार फिर प्राधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के इन दो जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए कदम उठाएं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में सदस्यों से शून्यकाल के लिए सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मेरा भी प्रयास है कि जो नये माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, उनको शून्य काल में बोलने का एक मौका इस सत्र में दिया जाए ताकि वे अपनी बात कह सकें। क्योंकि वे 15-16 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र की समस्याओं को ठीक तरह से सदन के माध्यम से उठा सकें। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि शून्य काल में अधिकतम सदस्यों को मौका दिया जाए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि शून्य काल में अपनी बात को संक्षिप्त में कहें ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके। आज नियम 377 के अधीन भी पढ़े जाएंगे। मैं माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं कि मुझे इस आसन से किसी के लिए बेल बजानी न पड़े, इसलिए अपनी बात संक्षिप्त में कहें।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, आप सदन की कार्यवाही चला रहे हैं। सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। इसके बाद एक विधेयक है जिस पर सभी सांसदों को चर्चा करनी है। अगर समय की सीमा तय नहीं होगी तो आपके लिए भी कठिनाई होगी, मंत्री का आगमन और साथ ही साथ अगली कार्यवाही कैसे प्रारम्भ होगी? इसके लिए आवश्यक है कि लंच के लिए कम से कम आधे घंटे का ब्रेक दिया जाए ताकि अगली कार्यवाही के लिए हम लोग तैयारी कर सकें। ... (व्यवधान) आप ऐसा नहीं कहिए। चूंकि अगली कार्यवाही भी प्रारम्भ करनी है और आप बीच में गैप नहीं देंगे तो कैसे होगा?

माननीय अध्यक्ष : एक बजे के बाद व्यवस्था दी जाएगी।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): अध्यक्ष महोदय, मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र के कल्याण तहसील में टिटवालवार - खड़ोली के बीच में तथा बदलापुर - वांगणी के बीच में कई सालों से स्टेशनों की मांग हो रही है। खड़ोली और टिटवाला के बीच में वर्ष 2019 के चुनाव में गुरौली स्टेशन की मांग करते हुए 50-60 गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया था, लेकिन मैंने जाकर उनको समझाया और इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया था और उनको आश्वस्त किया था कि आने वाले दिनों में गिरौली स्टेशन बनेगा। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास करके इस चुनाव में हिस्सा लिया और मुझे मतदान करके दोबारा चुनकर भेजा।

इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर टिटवाला और खड़ोली के बीच में गैरोली स्थानक बने। इसी तरह से वांगणी और बदलापुर स्टेशन के बीच में 10 किलोमीटर का अंतर है। वहां पर बहुत भारी पैमाने पर नागरिकीकरण हो रहा है। इसलिए कई सालों से चांदोली स्थानक की मांग वहां के लोग कर रहे हैं, तो वहां पर चांदोली स्थानक जल्द से जल्द बने। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि इन दोनों स्थानक बनाने के लिए जल्द से जल्द प्रोसीडर को शुरू कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक गंभीर मुद्दा इस सदन में उठाना चाहता हूं। यह गंभीर मुद्दा मेरे संसदीय क्षेत्र का नहीं है, लेकिन पूरे देश से जुड़ा हुआ है। पिछले सितंबर-अक्टूबर, 2018 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस सदन के सदस्य हैं, वह मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ में गए थे। उन्होंने राजस्थान में कर्ज़ा माफी की घोषणा की थी। पिछली 23 तारीख को मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर का एक गांव धकरी है, उसमें एक किसान सोहनलाल ने आत्महत्या की थी। ... (व्यवधान) उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। ... (व्यवधान) उसमें लिखा है कि कर्ज़ा माफी न होने की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ... (व्यवधान) जब तक कार्रवाई न हो जाए, तब तक मेरी बॉडी को न उठाया जाए। ...(व्यवधान) सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मेरे मरने का कारण राजस्थान की सरकार और उसके मुखिया हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। ... (व्यवधान) और राजस्थान सरकार को... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री दुष्यंत सिंह और श्री देवजी एम. पटेल को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

सुश्री मिमी चक्रवर्ती (जादवपुर): मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह मेरा पहला भाषण है, इसलिए मैं आप सभी से आशीर्वाद लेना चाहती हूं।

चंपाहाटी रेलवे स्टेशन पर एक फ्लाईओवर का निर्माण, जो बरुईपुर पूर्व में है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जादवपुर के लोगों की लंबे समय से मांग रही है। पिछले वर्षों में, उक्त परियोजना पर कोई पहल नहीं की गई है। मौजूदा रेलवे क्रॉसिंग के कारण लाखों लोग अभी भी असामान्य यातायात भीड़ का सामना कर रहे हैं। जब कोई मरीज इलाज मिलने में देरी के कारण इससे पीड़ित होता है और जब छात्र देर से अपने स्कूल पहुंचते हैं, तो यह देखकर ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। सोनारपुर और बिद्याधरपुर में भी इसी तरह की समस्या है। दोनों पूर्वी रेलवे के सियालदह मंडल के अंतर्गत आते हैं। मुझे महती सभा को यह सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि बिद्याधरपुर में भी कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, जो वहां किसी अवांछित दुर्घटना को रोकने की प्रमुख मांगों में से एक है।

इसलिए, मैं सरकार से तत्काल कदम उठाने और बिना किसी विलंब के इस परियोजना को तत्काल शुरू करने का आग्रह करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : आदरणीय स्पीकर महोदय, यह एक ऐसा ईश्यू है, पिछले विधानसभा और संसदीय चुनाव के दौरान अरुणाचल प्रदेश और हमारे क्षेत्र में 13 लोगों का पॉलिटिकल मर्डर हुआ था। 29 मार्च को एक हत्या हुई और 30 मार्च को मेरे ही एक कार्यकर्ता, एक जिला परिषद की लोंगडिंग और तिरप डिस्ट्रिक्ट में हत्या हुई थी। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि सीटिंग एमएलए और उसके बेटे की 21 तारीख को हत्या हुई थी। इस केस को एनआईए को दिया गया है। लेकिन जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी है, अरुणाचल प्रदेश में एक ही क्वेश्चनयर भेजा है। मैं उस परिवार के लिए चिंतित हूं, जिनके यहां हत्या हुई है। आज तक एक आदमी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए मैं अपनी सरकार से यह मांग करता हूं कि 13 लोगों की इलेक्शन में हत्या हुई थी, आज चार महीने हो गए हैं, लेकिन किसी को भी अरेस्ट

नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि चाहे एनआईए हो, सीबीआई हो या जो भी एजेन्सी हो, वे उनको तुरंत न्याय दिलाएं।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री तापिर गाव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, माननीय सांसद के विषय से संबद्ध है कि एक विधायक की हत्या हुई, पूरे परिवार का कत्ल हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। महोदय, मैं देश के संदर्भ में, जिस विषय से सभी लोग संबद्ध होंगे कि वर्ष 1920 से भारत ओलंपिक खेलों में भाग लेता रहा है। लेकिन हर बार ओलंपिक का जब वर्ष आता है और ओलंपिक के खेल होते हैं, तो उस समय सदन में चर्चा होती है और हम अपने मेडल के आंकड़े देखते हैं। अभी राज्यवर्धन राठौर साहब यहां बैठे हुए थे, वह भी हमारे ओलंपियन हैं।

<u>**अपराह्न 1.00 बजे**</u>

साल भर के बाद सन् 2020 में जापान में भी ओलंपिक्स होने हैं। महोदय, हमारी चिंता सिर्फ एक विषय पर है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में जो आज हमारी आबादी है और जिस प्रकार से हम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी आबादी 138 बिलियन पहुंच चुकी है। चीन हमसे लगभग 400 मिलियन ज्यादा है। 136 करोड़ की आबादी हमारी है और 142 करोड़ चीन की है। चीन 70 मेडल्स ले जाता है। अमरीका जिसकी आबादी 33 करोड़ है, वह 121 मेडल्स ले जाता है। यहां तक कि जर्मनी जिसकी आबादी बहुत ही कम है, जमाइका में सिर्फ 30 लाख की आबादी है और वह 11 मेडल्स ले जाता है। न्यूज़ीलैण्ड जिसकी आबादी 47 लाख है, वह 18 मेडल्स ले जाता है। स्विट्ज़रलैण्ड जिसकी आबादी आठ लाख है, वह लगभ 7 मेडल ले जाता है।

महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह विषय, क्योंकि हम सबको खेल से प्रेम है, आपको भी मैं देखता हूँ कि खेल से प्रेम है। इसमें पूरे भारतवर्ष की उस बड़ी पहचान का विषय बनता है, जब हम पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का लक्ष्य रखते हैं, दुनिया में अंतरिक्ष में जाते हैं। ... (व्यवधान) पता नहीं, आपकी भी रुचि इसमें रहती है।

महोदय, इस पर सदन की कोई समिति बनाई जाए ताकि हम भी अपनी तरफ से देख सकें कि ओलंपिक्स के खेलों में जो पिछले सौ वर्षों में हमारी भागीदारी इतनी कम रही है, हमारे बीच में एक अच्युता जी आए हैं, जो ओडिशा से हैं, ये 25 हज़ार आदिवासी बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं, खिलाते हैं। इसी सदन के एक सांसद ऐसे हैं, जिनके दस हज़ार आदिवासी बच्चे पिछले तीन साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम सब लोगों को, वैसे लोगों को, जो हमारे सांसद मित्र दस हज़ार आदिवासी बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसलिए मैं सदन में यह बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक वर्ष का समय है, देश के प्रधान मंत्री जी ने इस विषय पर अपनी बहुत रुचि ली है, सरकार रुचि ले रही है। लेकिन सदन के सभी सदस्यों को इसमें रुचि ले कर सन् 2020 के ओलंपिक्स में भारत सर्वश्रेष्ठ पोज़िशन पर जाए, इसके लिए हमें जो भी पहल करनी पड़े, हमें करनी चाहिए। एक आम सहमति बना कर हम सबको इस देश की प्रतिष्ठा के लिए इस काम को करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री अजय कुमार को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर.वी.एस. रमेश (कुड्डालोर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या के संबंध में लोक सभा में बोलने की अनुमति दी।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काजू प्रसंस्करण की अनेक इकाइयां हैं। कुड्डालोर के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 200 से अधिक काजू प्रसंस्करण इकाइयां हैं। इस प्रसंस्करण उद्योग में पांच लाख से अधिक महिला श्रमिक और दो लाख से अधिक पुरुष श्रमिक कार्यरत हैं। हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए, मैं काजू के लिए एक मुक्त निर्यात क्षेत्र का अनुरोध कर रहा हूं। यदि मुक्त निर्यात क्षेत्र होगा, तो मजदूरों को तदनुसार लाभान्वित किया जाएगा। वे अब काजू पर 2.5 प्रतिशत शुल्क लगा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में काजू उद्योग की सुरक्षा के लिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। काजू निर्यात प्रसंस्करण इकाइयों में सात लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। काजू उद्योग देश के लिए विदेशी मुद्रा कमा रहा है। इसीलिए, आपको कच्ची काजू गिरी के आयात पर प्रतिबंध लगाना होगा।

सुश्री नुसरत जहां रुही (बसीरहाट): मेरे सभी माननीय सहयोगियों को नमस्कार और माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अभिनंदन। मेरी मित्र और सहयोगी सुश्री मिमी की तरह यह मेरा प्रथम भाषण है।

महोदय, शून्यकाल के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देती हूं और मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं।

मेरा मुद्दा बसीरहाट संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण और इसे शुरू किए जाने से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय एक समान पाठ्यक्रम के साथ देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इन विद्यालयों का प्रदर्शन वास्तव में सराहनीय है।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि कृपया पश्चिमी बंगाल के मेरे बसीरहाट संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के कार्य में तेजी लाएं। बसीरहाट एक सीमावर्ती क्षेत्र है जहां केंद्रीय कर्मचारी 24 घंटे चौकसी बरतते रहते हैं। इसके अलावा, बसीरहाट और उसके आस-पास हजारों पूर्व सैनिक परिवार रहते हैं, लेकिन 60 किलोमीटर के दायरे में, कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है।

मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 86.81 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 13.19 प्रतिशत शहरी आबादी के साथ एक पिछड़ा क्षेत्र है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 25.34 प्रतिशत और 6.56 प्रतिशत है। यहां की जनता अपनी कम आय के कारण अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज सकती है।

अत:, मैं सरकार से विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के कार्य में तेजी लाएं और अगले शैक्षिक वर्ष से सत्र शुरू करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

धन्यवाद।

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार (थेनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने राज्य से संबंधित मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरे सहयोगियों ने राज्य में जल की वर्तमान कमी की स्थिति के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार के विरुद्ध अनेक मुद्दे उठाए हैं। खराब मानसून और जल स्रोतों की तबाही इसका एक बड़ा कारण है। विपक्ष द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ...(*व्यवधान*) मैं तमिलनाडु में सरकार चला रहे दल का प्रतिनिधित्व करने वाला यहां एकमात्र सदस्य हूं ...(*व्यवधान*) इस सभा में तमिलनाडु के विपक्षी दलों के 37 सदस्य हैं। मेरे पास तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाने वाली सूची है और यदि वे चाहें तो मैं उन्हें सूची दे सकता हूं और यदि वे चाहें तो वे इसे अपने मीडिया में डाल सकते हैं क्योंकि उन्हें मीडिया का समर्थन प्राप्त है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसे कुछ भी छिपाए बिना मीडिया में रखें। …(*व्यवधान*) महोदय, क्या आप मुझे तमिलनाडु राज्य से संबंधित मुद्दों पर बोलने का मौका देंगे? ...(*व्यवधान*) मैं प्रतिनिधि हूं। ...(*व्यवधान*)

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बुदुर): महोदय, यह उचित नहीं है। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं ... (*व्यवधान*)

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार (थेनी): महोदय, हमने राज्य में पानी की समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं...(*व्यवधान*) महोदय, मैं झूठे वक्तव्य नहीं दे रहा हूं ...(*व्यवधान*)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, राज्य में कमजोर सरकार है। जब हमारी सरकार सत्ता में थी उस समय राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 17वीं लोक सभा में पहली बार बोलने का मौका दिया है, मैं दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ और नगीना लोक सभा के क्षेत्र के तमाम हमारे मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सदन में मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे लोक सभा क्षेत्र नगीना में नदी का कटान जो गंगा, रामगंगा और खोह नदी से कटान होता है, इस कटान को न रोकने की वजह से तमाम गाँव की फसलें उजड़ जाती हैं, गाँव भी बह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र नगीना लोक सभा में जो रामगंगा बहती है, गौरवधइया ग्राम सभा से होकर जाती है और बिजनोर लोक सभा क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है, जहाँ तमाम कटान होता है, वह रोका जाए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कटान को ध्यान में रखते हुए और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी फसल बर्बाद न हो। आपका जो किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य है, अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। उसे ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): स्पीकर महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बहुत ही सीरियस मामला है, जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। आज 'एंटी ड्रग डे' है। हमारे देश की आबादी में 65 प्रतिशत युवा 35 वर्ष से नीचे हैं। पड़ोसी मुल्क से बहुत सारी ड्रग्स यहाँ पर भेजी जाती हैं। वैसे वह लड़ नहीं सकते तो हमारी आबादी को खोखला करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी दवाइयों की फैक्टरियाँ हैं, देहात में, जिले में, गाँव में और शहरों में जो दवा के नाम पर ड्रग्स बनाती हैं। यह नशा बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है हमारे युवा के लिए, हमारे देश के लिए। यह बहुत पुरानी बीमारी है। यह बहुत पुरानी एक सोची हुई साज़िश यहाँ 1960 से चली आ रही है।

हमारी सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। मैं 600 फिल्में कर चुका हूँ। मेरे बहुत सारे स्टार मित्र बॉलीवुड से हैं। वे गाँव, देहात, शहर में काउन्सलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर इसके लिए हमें घूमना पड़े तो हम घूमेंगे। हम इसकी अवेयरनेस करवायें। मेरा भारत नशा मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी): महोदय, मैं एक बहुत पिछड़े क्षेत्र कालाहाण्डी से आता हूँ। कालाहाण्डी में दो जिले पड़ते हैं और वे दोनों जिले माननीय मोदी जी की परिकल्पना के हिसाब से आकांक्षी जिले हैं। वहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। राज्य सरकार ने दो बार पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं हो पाया। वहाँ से विशाखापट्नम और रायपुर आने-जाने के लिए सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जूनागढ़ तक रेलवे लाइन पहुँची है, तो जूनागढ़ से विशाखापट्नम तक इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए। रूपरा रोड और नयापारा रोड में किसी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। नयापारा रोड डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हर एक्सप्रेस ट्रेन के रुकने की व्यवस्था की जाए।

मेरा एक छोटा सा निवेदन और है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में बरगढ़ से बोरिगुमा, रेलवे लाइन में केसिंगा टाउन पड़ता है। वहाँ ओवरब्रिज की मंजूरी हो चुकी है। रायपुर से गोपालपुर का, एन.एच. में खरियार रोड में एक ओवरब्रिज मंजूर हो चुका है, लेकिन उसे बनने में देरी हो रही है, वहाँ रास्ता अच्छा नहीं है। चार साल से टेंडर हो चुका है, लेकिन वह बन नहीं पा रहा है।

एक माननीय सदस्य बता चुके हैं कि किस प्रकार रास्ता नहीं बनने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। लोग गड्ढ़े में गिरते हैं और मर जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह इन चार कामों पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर इन्हें पूरा करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एच. वसंतकुमार (कन्याकुमारी): महोदय, मैं कन्याकुमारी से निर्वाचित हुआ हूं जो भारत के अंतिम छोर पर है। करोड़ों लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं लेकिन कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। पर्याप्त रेलगाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। विमानपत्तन वहां नहीं है। मछुआरा समुदाय समुद्री कटाव के कारण पीड़ित है। हम यह भी चाहते हैं कि आई.टी.डी.सी. की एक इकाई स्थापित की जाए ताकि पर्यटन का विकास हो। इससे लोगों को कन्याकुमारी में गांधी मंडपम, कामराज मंडपम और विवेकानंद रॉक सहित तीर्थ स्थलों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। चूंकि हम भारत के अंतिम छोर पर स्थित हैं, कृपया हमारी मांगों पर विचार कीजिए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करे। तभी भारत को अधिक विदेशी मुद्रा की आय होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी पर्यटक इस जगह आ रहे हैं। इसलिए, हम चाहते हैं कि एक विमानपत्तन, एक हेलीपैड और अधिक रेलगाड़ियाँ और हमारे मछुआरों को समुद्री कटाव से बचाने के लिए कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री एच. वसंतकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं रतलाम, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूँ कि दिसम्बर, 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है और तब से हमारे कार्यकर्ताओं पर भारी अत्याचार हो रहा है। अभी दो दिन पहले की बात है कि आपसी विवाद की सूचना देने के लिए हमारे चार कार्यकर्ता रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में गए। उन चारों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बिना पूछे, बिना कारण बताए इतना पीटा, इतना पीटा कि आज वे चारों अस्पताल में भर्ती हैं।

महोदय, यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी तीन बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बिना कारण बताए, बिना वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ

कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगे और यदि मध्य प्रदेश शासन कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए तो मध्य प्रदेश शासन को भंग कर देना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय दूरसंचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल सेवाएं (डी.एस.पी.टी.) पूरे जम्मू और कश्मीर में बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान की जाती हैं। 13 मई, 2019 के बाद से, लगभग 338 डी.एस.पी.टी. जो लेह सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्रों में चालू थे, जिनमें कारगिल जिले के 68 डी.पी.टी. भी शामिल थे, एन.एस.एस. उपग्रह ट्रांसपोंडर के निष्क्रिय होने के कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। और जम्मू-कश्मीर में लगभग 1000 से अधिक डी.एस.पी.टी. प्रभावित हुए हैं।

मुझे पता चला है कि वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए एस.ई.एस. नेटवर्क द्वारा बी.एस.एन.एल., इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को प्राथमिक जानकारी दी गई थी। डी.एस.पी.टी. सेवाओं की बहाली के लिए, अन्य उपग्रहों में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे यह बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर में बी.एस.एन.एल. सर्कल कार्यालय को डी.एस.पी.टी. सेवाओं के पुनरुद्धार के लिए बी.एस.एन.एल. की आगे की रणनीतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

ऑनरेबल स्पीकर सर, यह केवल लोगों की सुविधा के साथ जुड़ा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा है। मेरे क्षेत्र लद्दाख के दूरदराज एरिया, जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, जैसे सिंगालालोक, चुमूर, देमचोक, चुशूल, द्रास, जास्कर - इस तरह के जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां आर्मी को भी यह सुविधा दी जाती है।

इन डी.एस.पी.टीज़. के नहीं चलने की वज़ह से वहां पर तैनात आर्मी को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। आपके माध्यम से टेलीकॉम मिनिस्ट्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इम्मीडिएट एक्शन लेकर इस डी.एस.पी.टीज़. को रिवाइव किया जाए। इसके साथ ही साथ, इन दूरदराज के इलाकों में मोबाइल

टावर्स की उपलब्धता, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंडिंग के तहत नॉन-कॉमर्शियल वाएबिलिटी के तहत होता है, उसका प्रबंध किया जाए।

धन्यवाद जी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, मैं दिन्डोरी महाराष्ट्र से हूं। मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में प्याज उत्पादकों की समस्या की तरफ दिलाना चाहूंगी। प्याज उत्पादन में आज किसानों को प्याज की बुवाई, सिंचाई, कटाई, बिजली एवं अन्य कार्यों में भारी लागत का सामना करना पड़ रहा है। प्याज के उत्पादन में लागत ज्यादा और प्याज की कीमत कम मिल रही है, जिसकी वज़ह से प्याज का उत्पादन घाटे का सौदा हो गया है। अनेक वर्षों से, मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी और नासिक जिले में आवश्यकता के हिसाब से कम बरसात होने से हर साल सूखा पड़ रहा है, जिसके कारण प्याज उत्पादकों को प्याज का काम उत्पादन होने के कारण उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। प्याज उत्पादन के लिए प्याज उत्पादक विभिन्न एजेंसियों से लोन लेते रहते हैं, परन्तु प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से लोन को वापस करने में उन्हें काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं।

महोदय, सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार प्याज के उत्पादक किसानों को प्याज के लिए कम से कम दो हजार रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करके प्याज उत्पादक किसानों के परिवारों को राहत प्रदान करे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): महोदय, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर, जिला - झुन्झुनू, राजस्थान में एस.एम.एस. कम्पनी, नागपुर द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच करवाने के विषय में मेरा निवेदन है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर, जिला - झुन्झुनू, राजस्थान में भारत सरकार का उपक्रम चलता है। पुरानी सरकारों की अनदेखी व अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी के कारण विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप का यह मुख्य प्लांट वर्तमान में खराब स्थिति में है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने एस.एम.एस. कम्पनी, नागपुर को लेबर कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है, जो स्वयं काम न करके, सब-कॉन्ट्रैक्टर को लेबर सप्लाई सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जो नियम विरुद्ध है। ब्लास्टर कार्मिक को एस.एम.एस. कम्पनी, नागपुर द्वारा 63 हजार रुपये में कार्मिक देय तय किया हुआ है, जबकि सब-कॉन्ट्रैक्टर उसी कार्मिक को 22 हजार रुपये देता है। सब-कार्मिकों को प्रताड़ित किया जाता है। भ्रष्टाचार को देखते हुए सब-कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जाए और भ्रष्टाचार की जांच करवायी जाए।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर, जिला - झुन्झुनू, राजस्थान में नई टेक्नोलॉजी का नया मिनी प्लांट लगाया जाए और गैस के प्लांट्स पुन: चालू करवाए जाएं। बंद पड़ी समस्त यूनिटों का आधुनिकीकरण करवाकर पुन: चालू करवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मैं नए माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि शून्य काल में वे बिना पढ़े बोलने का प्रयास करें। पढ़ने के लिए मैं नियम-377 के अन्तर्गत कोशिश करूंगा कि नियम-377 के लिए अधिकतम समय एलाऊ करूं, ताकि सभी माननीय सदस्यों को मौका मिले। इसलिए इसका प्रयास हम सबको करना चाहिए।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): अध्यक्ष महोदय, हुगली वासियों की तरफ से आपको प्रणाम तथा अभिनंदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पश्चिमी बंगाल राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से संबंधित गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूं, हमारा बंगाल रामकृष्ण परमहंस का बंगाल है, जो विवेकानन्द जी का बंगाल है, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, जो नज़रूल इस्लाम का बंगाल है, वह अभी जल रहा है। यह जो हिंसा है, वह दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। आपसे मैं यह निवेदन करती हूं, पंचायत चुनाव से लेकर लोक सभा चुनाव तक हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए, …**ने हत्या कर दिया है। …(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा चुनाव से लेकर अभी तक हमारे 15 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई हैं। … (व्यवधान) कुछ दिन पहले बशीरहाट में हमारे सात कार्यकर्ताओं का नि-खोज है, पुलिस ने सिर्फ दो बॉडिज़ को आइडेन्टिफाई किया है। अभी तक हमारे जो पांच कार्यकर्ता हैं, वे नि-खोज हैं। पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं किया है। … (व्यवधान) जो हेड है, वह शेख शाहनवाज़ है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। … (व्यवधान) वह अभी बांग्लादेश भाग गया है, कोई-कोई लोग बोल रहे हैं। … (व्यवधान)… †*पुलिस मंत्री है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की है। … (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय, यह सही नहीं है। वह उनका नाम कैसे ले सकती हैं? …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

†* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: नाम नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी गई है।

... (व्यवधान)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, बांकुरा में पुलिस ने हमारे एक छात्र को, जो क्लास-8 का छात्र है, उसको मार दिया गया है। ... (व्यवधान) अभी वह हॉस्पिटल में है और मृत्यु के साथ लड़ रहा है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय, कल से हम कानून और व्यवस्था का मुद्दा भी यहां उठाएंगे। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, भाटपाड़ा में हमारे जो दो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर पुलिस ने गोली चलाई है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

श्री दिलीप शईकीया (मंगलदोई): अध्यक्ष जी, मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं असम के मंगलदोई लोक सभा क्षेत्र से आया हूं। हमारा मंगलदोई और उदलगुड़ी डिस्ट्रिक्ट दोनों ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। जो मंगलदोई टाउन है, वह करीब 17 किलोमीटर एनएच-15 के अंदर से होकर गुजरता है। अभी तक उस हाइवे में किसी बाईपास की व्यवस्था नहीं हुई है। इसके कारण मंगलदोई शहर में रोजना तीन-चार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें एक, दो, तीन, चार लोगों की मौत हो जाती है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस विषय को भारत सरकार के माननीय मंत्री जी संज्ञान में लें और तुरंत बाईपास बनाने का काम शुरू किया जाए। हमारे मंगलदोई शहर में करीब 50 हजार लोग बसते हैं, उनके लिए बहुत ही सुविधा होगी। वहां बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, बड़े नेशनल हाइवे है, बड़े-बड़े ट्रकों का आवागमन होता है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि मंगलदोई शहर में बाईपास का निर्माण शुरू किया जाए।

दूसरा, मैं 377 में भी अपना विषय रखूंगा। अभी तक हमारा क्षेत्र रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। उस समय अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं 377 में अपना विषय रखूंगा। मेरा यह विषय है कि नेशनल हाइवे-15 में जल्द से जल्द बाईपास बनवाया जाए।

श्री संजय सेठ (राँची): अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान बिरसा मुंडा की भूमि झारखंड, रांची से आया हूं। आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, रांची में रांची विश्वविद्यालय 1960 से गठित है। 1960 से गठित यह विश्वविद्यालय जहां जनजातीय समाज के अधिकतर लोग हैं और वहां पर उस विश्वविद्यालय का उस हिसाब से फैलाव नहीं हुआ है, मेरा यह आग्रह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उसको दर्जा दिया जाए। वर्ष 2018 में युवा महोत्सव बहुत बखूबी रांची विश्वविद्यालय ने निभाया। मेरा यह आग्रह है कि जल्द से जल्द वहां युगों की जो बहुत बड़ी डिमांड है, रांची विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री संजय सेठ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका (कोरापुट): अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लोक सभा में यह मेरा पहला कार्यकाल है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ में हुई एक बड़ी रेल दुर्घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो के.बी.के. का एक भाग है। दुर्भाग्य से, समालेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन ने रेलवे के काम में लगी एक टावर कार को टक्कर मार दी। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि रेलवे कर्मचारियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। ट्रेन को सिग्नल कैसे दिया गया और वह टावर कार से कैसे टकराई?हादसे में तीन रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरे रायगढ़ जिले में दो साल पहले हीराखंड एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने से लगभग 39 लोग मारे गए थे और 54 घायल हो गए थे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। दो साल से जांच चल रही है; कोई कार्रवाई नहीं की गई या कार्य योजना नहीं बनाई गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी, श्री मोदी कहते रहे हैं कि वे रेलवे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और वे कमजोर हो रही रेलवे आदि के बुनियादी ढांचे की जांच कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया था, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि क्या माननीय रेल मंत्री जी भी ऐसा ही कुछ करेंगे; क्या वह इस चूक के कारण इस्तीफा देंगे। मेरा प्रश्न यही है।

श्रीमती कनिमोझी (थूथुक्कुडी): थूथुक्कुडी में निर्दोष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की गोलीबारी ने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया। यह 22 मई, 2018 को हुआ। इसमें 13 लोग मारे गए थे। उन्हें मौके पर ही गोली लगी और उनकी मौत हो गई और चोटों के कारण तीन और की मौत हो गई। इस तरह मरने वालों की संख्या 16 है। मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय मदुरै पीठ ने 14.8.2018 के मामले को सी.बी.आई. को सौंपने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि जांच चार महीने में पूरी की जानी चाहिए। लेकिन गोलीबारी के एक साल से अधिक समय हो गया है और न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के 10 महीने बाद भी सीबीआई ने एफआईआर में एक भी पुलिस कर्मी का नाम नहीं लिया है।

जांच की इस स्थिति के साथ, थूथुक्कुडी के लोगों को किसी भी न्याय का फिर से आश्वासन कैसे दिया जाएगा?

महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना का *स्वप्रेरित* संज्ञान लेते हुए अपनी टीम भेजी थी, लेकिन दुर्भाग्य से तमिलनाडु सरकार की प्रतिवेदन पर भरोसा करते हुए उसने अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक किए बिना ही बंद कर दिया है। घायलों और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। घायल आगे का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि मुआवजा अपर्याप्त है और उन्हें दी गई नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं। महोदय, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों को चोट पहुंची है, थूथुक्कुडी के लोगों को न्याय दिया जाए क्योंकि वहां बहुत सारे युवा मारे गए हैं। स्नोलिन नामक 17 साल की एक लड़की को उसके सिर में गोली मार दी गई और उसे मार दिया गया। थूथुक्कुडी के लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री बी. म**णि**क्कम टैगोर को श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, आपने सभी यंगस्टर्स को और न्यू- कमर्स को एप्रीशिएट किया और आप उनको बोलने का मौका देंगे। जिस तरीके से आपने कहा, मैं आपके समक्ष एक चीज लाना चाहूंगी। जितने भी फॉरेस्ट एरिया में गांव हैं, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर बीएसएनल और फॉरेस्ट की जो कनेक्टिविटी है, हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बनना चाहिए, पर मेलघाट जैसी जगहों पर, फॉरेस्ट जैसी जगहों पर, जहां पर बहुत सारी बस्ती बसी हुई हैं और गांव बसे हुए हैं।

जहां लाखों लोग रह रहे हैं, हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्राइबल एरिया है, जो पूरे विदर्भ में सबसे बड़ा माना जाता है। आज अगर वहां कोई लेडी प्रैगनेंट है या किसी को हार्ट की प्रोबल्म है, वहां कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण अगर किसी फीमेल को डिलीवरी कराने जाना है तो वह वहां गांव में कराएगी या रोड पर करेगी, उन्हें वहां फोन या कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है।

मेरी आपसे विनती है कि फॉरेस्ट को आपके द्वारा आदेश दिया जाए कि वहां पर बीएसएनएल की जो भी कनेक्टिविटी है, उन्हें आप अंडरग्राउंड करने दें। वहां सबसे बड़ा प्रोबल्म कनेक्टिविटी करने के लिए

लिए है, अगर हमें फॉरेस्ट वाले परमिशन नहीं देंगे तो मैं इस गांव से उस गांव तक बीएसएनएल को अंडर ग्राउंड करके उनको कनेक्टिविटी किस हालत में दूंगी? यहां मेलघाट है, धारनी, चूरनी है, तेम्बूरसोंडा है, ऐसे ही गोविन्दपुर है, जो अमरावती से बीस किलोमीटर दूर है, वहां से राष्ट्रपति ताई ने रिप्रेजेंट किया था, वहां से वह खुद सांसद रही हैं। उस जगह में और अमरावती जैसे शहर के बीस किलोमीटर में जहां महानुभाव पंथों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अमरावती शहर से वहां तक बीस किलोमीटर पोस्ट कनेक्टिविटी मिस करते हैं। मुझे लगता है उस पर आपको जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे आदिवासी भाइयों और गोविन्दपुर मेल घाट के पूरे क्षेत्र को बीएसएनएल की सुविधाएं मिले ... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : मैं लोक महत्व के विषय पर अपने क्षेत्र अम्बेडकर नगर की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट काराना चाहता हूं। जिला अम्बेडकर नगर के जिला मुख्यालय अकबरपुर में रेलवे क्रासिंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। इस रेलवे क्रासिंग के दोनों तरफ व्यस्त बाजार हैं, एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ अस्पताल है। क्रासिंग हमेशा के लिए बंद होने की वजह से बच्चों, मरीजों और आम जनमानस को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस रेलवे क्रासिंग के नीचे से एक अंडरपास की स्थापना की जाए और उसके लिए तुरंत निर्देशित किया जाए ताकि अम्बेडकर नगर के लोगों को इस समस्या से निजात मिलने का काम हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुभाष सरकार - उपस्थित नहीं।

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती (अनाकापल्ले): रिसपेक्टेड स्पीकर जी, मैं अनाकापल्ले आंध्र प्रदेश की कंस्टीट्यूएंसी से आती हूं।

"बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। **"**

हमारा हिन्दुस्तान लार्ड बुद्ध भगवान की जन्म भूमि है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे पास बोज्जाना कोंडा जैसा एक छोटा पहाड़ी क्षेत्र है। यह बहुत पुरानी है। हर साल, इतने सारे बुद्ध धम्मा इस जगह पर आते हैं। लेकिन हमारे और हमारे पिछले लोक सभा सदस्यों के विभिन्न अभ्यावेदनों के बावजूद वहां समुचित सुविधाएं और विकास नहीं हो रहा है। इसलिए, मैं माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री से इस विरासत स्मारक को संरक्षित करने और मेरे निर्वाचन क्षेत्र अनकापल्ली में बोजन्ना कोंडा के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करूंगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सुभाष सरकार - उपस्थित नहीं।

श्री एस. मुनिस्वामी।

[**]**श्री एस. मुनिस्वामी (कोलार):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोलार लोक सभा क्षेत्र के अपने लोगों की ओर से मुझे 17वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में बोलने का अवसर देने के लिए आपको बधाई देता हूं। स्वतंत्रता के बाद, मेरे कोलार जिले में पहली बार, एक गैर-कांग्रेसी उम्मीदवार, वह भी भाजपा से, श्री नरेन्द्र मोदी जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री का समर्थन करने के लिए चुना गया है। मेरे जिले की जनता भारत सरकार से कल्याण एवं विकास कार्यों की अपेक्षा करती है।

[**] मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

हमारे कोलार जिले के फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है, 14 से 17 साल से बारिश नहीं है उधर, एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं कि उधर पानी नहीं है। हमारे कोलार जिला में हम ज्यादा से सिल्क, मिल्क और गोल्ड पूरी दुनिया को सप्लाई करते रहे, लेकिन अब मेरे कोलार जिले में पानी नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट लोग 1500 से 1800 फीट बोर करें तो भी उधर पानी नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जल सचिव का सेपरेट खाता आपने दिया है। उसकी तरफ से हमारे कोलार जिले के एग्रीकल्चरिस्ट को पानी देंगे तो हम देश के लिए जो एग्रीकल्चर में वेजीटेबल चाहिए, टमाटर चाहिए, सभी हम उधर मैन्यूफैक्चरिंग करके सप्लाई करेंगे।

दया करके हमारे कोलार जिले की रैय्यतों के कष्ट को देखने के लिए, स्पेशल केयर लेकर हमारे कोलार जिले की सहायता करें। बाद में हमारा कोलार जिले का के.जी.एफ. माइन गोल्डफील्ड बंद हुआ है। उधर से कम से कम 25 से 30 लोग बेंगलुरु में काम के लिए जा रहे हैं, उनके लिए उधर स्पेशल इकोनोमिक जोन की तरह से कम्पनी को उधर स्थापित करें तो सभी को इम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए दया करके हमारे कोलार के बारे में आप कुछ करें। बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री एस. मुनिस्वामी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहित देश के किसानों की मांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। वैसे तो एम.एस.पी. पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीद पिछले पांच साल के अन्दर राज्यों में, देश के अन्दर हुई, लेकिन और किसानों की आत्महत्याएं भी देश के विभिन्न कोनों के अन्दर बढ़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी एक मांग है, एम.एस.पी.के अन्दर ज्यादातर जो भी क्राप्स थीं, उसको आप ले रहे हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट फसलें जैसे ग्वार, मोठ, जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अरण्डी, चौला, ग्वारपाठा और मेहंदी, ये सभी बहुतायत में राजस्थान में होती हैं, अन्य स्टेट्स के अंदर भी होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह मांग रहेगी कि इन फसलों को भी एम.एस.पी. के अन्दर समर्थन मूल्य के अन्दर लिया जाए, सूचीबद्ध किया जाए ताकि किसानों को बहुत बड़ी राहत मिले। राजस्थान के

सहकारिता सचिव ने जब विधान सभा में हम थे, बार-बार इस मामले को उठाया, कई बार पत्राचार भी दिल्ली की सरकार से किया, तो मेरी आपके माध्यम से मांग रहेगी कि इन प्रमुख फसलों को जो राजस्थान के अलावा देश के अन्य भागों के अन्दर होती है, इसके अन्दर किसानों को पैसा भी ज्यादा मिलेगा। समर्थन मूल्य की कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे प्याज है, वह राजस्थान के अन्दर बहुत ज्यादा तादाद में होता है और प्याज 100 रुपये क्विंटल किसान बेचने को मजबूर होता है। कई बार वह सड़कों पर प्याज, टमाटर फेंक देता है। ऐसी स्थिति भी देश के अन्दर बनी। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, क्योंकि प्रधान मंत्री जी काफी गंभीर हैं। इस मामले पर ध्यान देकर इन विशिष्ट फसलों को समर्थन मूल्य की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे (रायगढ़): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं रायगढ़ से आ रहा हूं जहां एक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। वह सिकंदर और नेपोलियन से बड़े थे। मुझे उन पर गर्व है।

महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय उठा रहा हूं। यह मराठी भाषा से संबंधित है। यह क्रमशः महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में एक राजभाषा और सह-राजभाषा है। यह भाषा भारत में 83 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि केंद्र मराठी भाषा को नीचा दिखा रहा है। इनमें से एक नई दिल्ली में अपने समाचार मुख्यालय सेवा प्रभाग में ऑल इंडिया रेडियो की केंद्रीय मराठी समाचार इकाई को बंद करके इस भाषा की स्थिति को कम करना है।

इसलिए, महोदय, मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि दिल्ली की केंद्रीय मराठी समाचार इकाई को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि मराठी भाषा को *अभिजात भाषा दर्जा* दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी (देवास): अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के देवास लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने किसानों से 'झूठे' वादे किए थे कि दो लाख रुपये की कर्ज माफी की जाएगी, परन्तु आज दिनांक तक कांग्रेस सरकार ने किसानों की दो लाख रुपये की कर्ज माफी नहीं की है। इस कारण सोसाइटी के लोग किसानों को सोसाइटी से खाद-बीज उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, जिसके कारण किसान बेहद परेशान हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): महोदय, मैं नरसापुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो पश्चिम गोदावरी जिले में है। जैसा कि जिले में 'गोदावरी' नाम है, गोदावरी की सभी धाराएं हमारे चारों ओर हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, जलकृषि, जो हमारी अर्थव्यवस्था का मूल ढाँचा है, के कारण पेयजल की भारी कमी है और लवणता के कारण पूरा जल प्रदूषित हो गया है।

मैं अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को विशेष मामले के रूप में हमें गोदावरी नदी से जल के लिए प्रमुख ट्रंक लाइनें प्रदान करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम बाद में लाइनें बिछाएंगे। चूंकि हमें जलीय कृषि के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये का भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है, इसलिए एक विशेष मामले के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय को कृपया इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सुझाव देते हैं, तो हम उनसे भी मिलेंगे और समर्थन के लिए अनुरोध करेंगे। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सदन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

खजुराहो दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक स्थान है। वहां आधुनिक एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी पिछले कई सालों से लम्बित है। खजुराहो में दो फ्लाइट्स - एक जेट एयरवेज और दूसरी एयर इंडिया - चालू थीं, लेकिन कुछ दिनों से जेट एयरवेज बन्द है और अभी एयर इंडिया की फ्लाइट भी बन्द कर दी गई है। इसके कारण दुनिया भर से बड़ी संख्या में जो पर्यटक खजुराहो में आते हैं, उनका आना प्रभावित हुआ है और क्षेत्र की जनता की भी इस बारे में बहुत बड़ी डिमाण्ड है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्काल एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से खजुराहो और खजुराहो से मुंबई तक प्रारम्भ की जाए। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उसे जल्दी से जल्दी पारित किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। वह क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। आपको और सदन को भी मैं खजुराहो के वर्ल्ड हेरिटेज में आमन्त्रित करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद (अरानी): महोदय, मैं तमिलनाडु में अरानी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसमें मुख्य रूप से किसान और बुनकर रहते हैं। रंगाई उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के कारण तमिलनाडु में, विशेष रूप से तिरूप्पुर में इतनी सारी इकाइयां बंद हो गई हैं। इतने सारे बुनकर प्रभावित हुए हैं और उनमें से बहुत से लोगों को वैकल्पिक पेशा चुनना पड़ा है। अरनी रेशम बहुत प्रसिद्ध है। आम तौर पर, कांचीपुरम रेशम को हर कोई जानता है। अरनी रेशम भी उतना ही प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा है। तो, वे पुरुषों और महिलाओं के लिए आदर और सम्मान कैसे लाते हैं? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह इन लोगों, बुनकरों को आदर और सम्मान दे? अत:, मैं सरकार से अरानी में रेशम पार्क स्थापित करने का अनुरोध करूंगा। भूमि का चयन पहले ही किया जा चुका है; यह वहां मौजूद है।

दूसरी बात, मैलम में, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, कूट्टेरी पट्टू जंक्शन में बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। फ्लाईओवर के लिए परियोजना का प्रतिवेदन पहले से ही तैयार है; फ्लाईओवर के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार है। अत:, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि अरानी संसदीय क्षेत्र में मैलम में लोगों के लिए एक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों से मीडिया में लगातार झारखण्ड की मॉब लिंचिंग पर बातें आ रही हैं, मैं उसकी ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सरायकेला क्षेत्र में, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां तबरेज़ अंसारी नाम के लड़के की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस वक्त वहां की कानून-व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, मैं आंकड़े के साथ इसे पेश करना चाहूंगी कि झारखण्ड में विगत कुछ वर्षों में यह ऐसा 11वां मामला है और सिर्फ इस साल में ऐसे चार मामले रजिस्टर हुए हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखण्ड में कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस पर वहां की सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि इस लड़के को न्याय मिले और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वे भीड़ का हिस्सा हों या कानून से संबंधित व्यक्ति हो, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यह बहुत गंभीर मामला है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मुजफ्फरपुर से शुरू एन्सेफलाइटिस से मरे बच्चों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं कई दिनों से यह मुद्दा उठाना चाह रहा था। तब लगभग सौ बच्चे मरे थे और आज का आंकड़ा 200 के आस-पास पहुंच गया है। यह नेशनल ट्रेजडी है। मरने वाले बच्चे गरीब परिवारों के हैं। सदन में बहुत लोगों ने चर्चा की, सरकार ने चर्चा की, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने भी चर्चा की, लेकिन बिहार में जो बच्चे मरे हैं, उसके ऊपर किसी ने भी चर्चा नहीं की है। यह एक क्रिमिनल नेगलिजेंसी है। इस बीमारी से **पि**छले 20-25 सालों से मौतें हो रही हैं, लेकिन न तो आज तक उसके प्रिवेंशन का कोई फॉर्मूला बना है और न ही उसके अवेयरनेस के बारे में कुछ किया गया है। मेरा आपके माध्यम से

निवेदन है कि हिन्दुस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री और बिहार सरकार को निर्देश दिया जाए कि इसको गंभीरता से लें। इसको प्रिवेंट करने की जरूरत है और जितने बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को मुनासिब मुआवजा मिले।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ताल्लुक रखता हूं। यह वह शहर है, जहां पर दुनिया के दो वर्ल्ड हेरिटेज अजंता और एलोरा हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है, जहां पर दो वर्ल्ड हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जेट एयरवेज बंद हो गई है। एक एयरवेज बंद होने से न जाने कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चूंकि औरंगाबाद एक टूरिज्म सिटी है, वहां बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं। एयरलाइन्स बंद होने से बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। औरंगाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। वैसे मराठवाड़ा एक बैकवर्ड रीजन है। सिर्फ औरंगाबाद में ही इंडस्ट्रीज हैं। आज लोगों के पास बेहिसाब पैसा है, लेकिन वक्त नहीं है। एक एयरलाइन को स्टार्ट करने के लिए हम पिछले कई दिनों से सिविल एविएशन की अथॉरिटीज के साथ बात कर रहे हैं। मैंने खुद कल सिविल एविएशन, सेक्रेट्री और मिनिस्टर से बात की। उनका कहना है कि पायलेट्स दूसरी एयरलाइन्स ज्वाइन कर ले रहे हैं। सवाल सिर्फ पायलेट्स का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि एक एयरलाइन के बंद होने से पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है, होटल्स खाली पड़े हुए हैं और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खाली पड़ी हुई है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ा है।

हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि दिल्ली और मुंबई के लिए जल्द से जल्द कम से कम दो एयरलाइन्स औरंगाबाद के लिए स्टार्ट करें। एक गोल्डेन ट्राइएंगल हुआ करती थी, वह एयरलाइन एयर इंडिया चलाती थी। जो दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, औरंगाबाद और मुंबई को कनेक्ट करती थी। बहुत टूरिस्ट्स इसका फायदा उठाते थे। मैंने सरकार से यह अनुरोध किया है कि प्राइवेट एयरलाइन्स को नहीं, अगर खुद की एयरलाइन, एयर इंडिया को आप आदेश देते हैं, यह दोबारा स्टार्ट किया जाता है तो अच्छा होगा। कल प्रधान मंत्री साहब ने कहा कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत औरंगाबाद से की जाए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और डॉ. हिना विजयकुमार गावीत को श्री सैयद इम्तियाज़ जलील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र से चुन कर आया हूं। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है और लंबे समय से वहां रेल लाइन की मांग है। इस मांग को बार-बार क्षेत्र में उठाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, सागवाड़ा 176 किलो मीटर की दूरी है। पिछले समय में यह कार्य प्रारंभ किया गया था। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच एमओयू हुआ था। परन्तु दुर्भाग्य से आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते इस कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया। उसका कारण कुछ भी हो, परन्तु आदिवासी क्षेत्र होने के नाते, पिछले समय कई मंत्रियों ने कहा कि नो प्रॉफिट, नो लॉस पर ऐसे क्षेत्र में रेल लाइन बिछाना जरूरी है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परियोजना से आदिवासी अंचल के दोनों जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा अहमदाबाद जैसे बड़े जंक्शन से जुड़े जाएं, तो देश के किसी भी कोने में आने-जाने की सुविधा मिलेगी। इसका सीधा लाभ यहां के व्यापारियों, पर्यटन, श्रमिकों तथा उद्योगपतियों को मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र का बहुत लाभ होगा।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि समय पर अपने बच्चों को शिक्षा देने की हर माता-पिता की ज्यादा रुचि है। मैं बालाघाट सिवनी जिले से आता हूं। हमारे यहां वर्तमान में तीन केंद्रीय स्कूल जरूर हैं, लेकिन ये जिला स्तर पर हैं और सीबीएससी के कोर्स में अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट क्षेत्र से सीबीएससी कोर्स कराने में उन पर बहुत आर्थिक भार आता है और दिक्कतें आती हैं। मैं चाहता हूं कि सीबीएससी कोर्स के हमारे जो वर्तमान संचालित स्कूल हैं, उनमें अतिरक्ति कक्षाओं की अनुमति दी जाए, ताकि हम नई कक्षाएं बनाकर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर सकें।

डॉ. राजदीप राय (सिल्चर): अध्यक्ष महोदय, अटल जी का एक सपना पूरे भारत को सड़क के माध्यम से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से जोड़ने का था। उसमें उनका प्लान था कि सिल्चर से सौराष्ट्र का एक फोर लेन एक्सप्रेस-वे हो। वर्ष 2004 में सिल्चर में उसका शिलान्यास हुआ था। भारतवर्ष के लोगों ने वर्ष 2004 में जो निर्णय लिया था, उसका असर सिल्चर के लोगों पर पड़ा। वर्ष 2004 से 2014 तक उस रास्ते का कोई

काम नहीं हुआ और उसमें दो अड़चनें आईं। उसमें वाइल्ड लाइफ की कोई क्लीयरेंस नहीं मिली। वर्ष 2007 या 2008 में तब की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से एक नोटिस आया कि वाइल्ड लाइफ का क्लियरेंस नहीं है और फारेस्ट का भी क्लियरेंस नहीं है। अभी दो-तीन साल पहले वह क्लियरेंस का मामला हट गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सिल्चर से हॉफलाँग या नौगांव होते हुए गुवाहटी का रास्ता 410 किलोमीटर के करीब है। उसमें पैकेज नम्बर 21 है, जो बालाछोड़ा से हरंगाजाओ का रास्ता 31 किलोमीटर है, जिसमें कि प्रोब्लम है, उसका स्टेटस क्या है। आज के समय वहां लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। वहां मानसून सीज़न चल रहा है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से वहां के स्टेटस के बारे में जानना चाहता हूं।

डॉ. चन्द्र सेन जादौन (फिरोजाबाद): महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद से आता हूं। महत्वपूर्ण विषयों में से एक महत्वपूर्ण विषय किसानों की आर्थिक स्थिति का है। देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, जिसमें से 60 प्रतिशत जनता खेतिहर किसान है। किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में किसानों की मुख्य खेती आलू है। सिरसागंज नगर में 70 से 80 कोल्ड स्टोरेज हैं। किसान अपनी खेती में सामर्थ्य से अधिक लागत लगाकर आलू पैदा करता है, लेकिन उसे उपज का वाजिब मूल्य प्राप्त नहीं होता है। न जाने क्या कारण है कि आलू का निर्यात नहीं हो पाता है और किसान बरबादी के कगार पर पहुंचने के लिए बाध्य हो जाता है।

महोदय, मेरा सुझाव है कि अगर सिरसागंज क्षेत्र में आलू पाउडर बनाने की फैक्टरी स्थापित कर दी जाए, तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है और वह बरबादी के कगार से बच सकता है।

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ पर एसीसीएल का मुख्यालय है, एनटीपीसी है, रेलवे ज़ोन, उच्च न्यायालय और केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। लेकिन अब तक यहाँ हवाई सेवा प्रारम्भ नहीं हो पायी है। हवाई अड्डा लगभग बनकर

तैयार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ क्योंकि यह बिलासपुर की जनता की बहुप्रतीक्षित माँग है। यहाँ की जनता इसके लिए उद्वेलित है। इसलिए शीघ्र ही बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारम्भ की जाए। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह माँग करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री हिबी इडन (अर्नाकुलम): माननीय अध्यक्ष, जैसा कि पूरी सभा जानता है कि अगस्त, 2018 के दूसरे सप्ताह में केरल में आई विनाशकारी बाढ़ में 483 लोगों की जान चली गई और 14 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ से करीब 54 लाख लोग प्रभावित हुए थे जिनमें से 34 लाख लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ा था। लगभग 20,000 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। किसानों ने अपनी फसलें खो दीं और बचाव अभियान में भाग लेने वाले मछुआरों को अपनी आजीविका खोनी पड़ी।

महोदय, केरल सरकार ने 5606.7 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मांगा था, जिसमें से केंद्र सरकार ने केवल 2904.85 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। वर्ष 2004 में जब केरल में सुनामी आई थी, तब तत्कालीन राज्य सरकार ने एक पैकेज की मांग की थी और पूरा पैकेज तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा आबंटित किया गया था।

महोदय, मैं केंद्र सरकार से और अधिक निधियां आवंटित करने का अनुरोध करना चाहूंगा। आपदा उपरांत आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण से पता चलता है कि हमें 26,718 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और केरल के पुनर्निर्माण के लिए हमें 31,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे गैर-सरकारी संगठनों और कई अन्य कॉर्पोरेट ने केरल के पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में भाग लिया है। मैं चाहूंगा कि मछुआरों और किसानों के पुनर्वास के लिए केरल राज्य को एक विशेष पैकेज दिया जाए। मैं केरल राज्य के लिए एक विशेष केंद्रीय निधि की सहायता का भी अनुरोध करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं असम के गौहाटी को रिप्रजेंट करती हूँ। यह नॉर्थ-ईस्ट का प्रवेश द्वार है। सबसे बड़ी बात यह है कि गौहाटी के चारों तरफ पहाडियाँ हैं और इसके बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर साल गौहाटी में आर्टिफिशियल फ्लड के

कारण लोग बहुत ही परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आर्टिफिशियल फ्लड का साइंटिफिकली समाधान निकालकर इसे खत्म किया जाए।

जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी, तो सभी लोगों का यही कहना था कि हमें पीने का पानी चाहिए और यह जो हर साल आर्टिफिशियल फ्लड हो रही है, उसे खत्म किया जाए। यह मेरी विनती है, इसे मैं सरकार की नज़र में डाल रही हूँ।

[अनुवाद]

श्री महेश साहू (ढेंकानाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं क्योंकि मैं पहली बार सदस्य की रूप में निर्वाचित हुआ हूं और इस वर्तमान सत्र में पहली बार बोल रहा हूं।

महोदय, आप इस तथ्य से अवगत हैं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल में तालचेर ने भारत सरकार को भारी रॉयल्टी दी है। तालचेर और मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्र की खातिर बहुत बलिदान दिया है। लेकिन बदले में, भारत सरकार हमारी पूरी तरह से उपेक्षा कर रही है। मैं इसे कुछ शब्दों में व्यक्त करने जा रहा हूँ।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.), तालचेर सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है और इसने कोयला उत्पादन के मामले में अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। प्रावधानों के अनुसार ब्राह्मणी कोलफ़ील्ड लिमिटेड (बी.सी.एल.) नामक एक अन्य कंपनी भी स्थापित की जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं की गई है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूँ कि बी.सी.एल. की स्थापना कब की जाएगी। धन्यवाद, महोदय।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मुझे कल पिथापुरम-काकीनाडा मुख्य रेल लाइन के शीघ्र पूरा होने का मुद्दा उठाने की अनुमति दी जाए, लेकिन मुझे आज अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रथम भाषण है और मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों, शुभचिंतकों और काकीनाडा-पीथापुरम मुख्य रेलवे लाइन को पूरा करने के मुख्य आंदोलनकारियों की ओर से मैं यह मुद्दा उठा रही हूँ। यह 30 से 40 वर्षों से चल रहा है, लेकिन यह परियोजना अब तक पूरी नहीं हुई है। हर वर्ष, पीथापुरम-काकीनाडा मुख्य रेलवे लाइन के लिए कुछ धन आवंटित किया जाता है, लेकिन रेलवे विभाग उस लाइन को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री और केंद्र सरकार से लोगों के लाभ के लिए और काकीनाडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए पिठापुरम-काकीनाड़ा मुख्य रेलवे लाइन को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध करती हूं।

धन्यवाद।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगांव): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं आपको मुझे 'शून्यकाल' में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं महाराष्ट्र से हूं। महाराष्ट्र में मेरी कॉन्स्टिट्वेंसी में जो गिरणा रिवर है, उस पर एक बैराज - गिरणा डैम है। 40 सालों में सिर्फ सात बार वह डैम आज तक अपनी केपैसिटी तक फिल-अप हुआ है। 33 वर्षों में वहां कोई रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं लिया गया, इसलिए वहां पानी नहीं आ सकता है। मेरी कॉन्स्टिट्वेंसी में रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लगातार इरिगेशन मिनिस्ट्री से मांग चल रही है।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मिनिस्ट्री को यह सुझाव दिया जाए कि जो नार पार गिरना प्रोजेक्ट है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए तथा एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. भारती प्रवीण पवार एवं डॉ. हिना विजयकुमार गावीत को श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तपन कुमार गोगोई (जोरहाट): अध्यक्ष महोदय, मैं असम के जोरहाट से हूं। असम की छः कम्युनिटीज़ -अहोम, कोच-राजबोंगशी, मोरन, मटक, चुटिया और टी-ट्राइब्स को एस.टी., अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं।

महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन छः कम्युनिटीज़ को जल्द से जल्द अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की व्यवस्था की जाए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री तपन कुमार गोगोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो हफ्तों से कर्नाटक की राजधानी कुछ गलत विषय के लिए चर्चा में है। मंसूर अली खान नाम के एक व्यक्ति ने आईएमए क्रेडिट कोऑपरेटेव सोसायटी लिमिटेड बनाकर लगभग 50 हज़ार गरीब लोगों को धोखा दिया। निवेशकों को ज़्यादा ब्याज देने का लालच दिया गया था। वह दो महीनों से लापता है। इसी घोटाले में 15 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश हुआ है। अभी तक 40 हज़ार मामले बेंगलुरु और अलग-अलग पुलिस स्टेशंस में दर्ज हुए हैं।

अध्यक्ष जी, ये निवेशक बहुत गरीब लोग हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग ऑटो रिक्शा चलाने वाले, सब्जियां बेचने वाले और मज़दूरी कर के घर चलाने वाले हैं। उन्होंने आईएमए में पैसा रखा था, किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, किसी ने नया घर बनाने के लिए रखे थे, किसी ने बच्चे को पढ़ाने के लिए रखे थे। अब उनके पास जमापूंजी के रूप में सिर्फ आंसू बाकी हैं।

सर, यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें सरकार शामिल है। आईएमए के मालिक मंसूर अली खान के रिश्ते कांग्रेस और जेडी (एस) नेताओं के साथ भी हैं। इसी धोखाधड़ी मामले में कर्नाटक के जेडी (एस) के एक मंत्री, कांग्रेस के विधायक, राज्य के बहुत सारे नेता एवं बहुत सारे अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। ... (व्यवधान) कल मंसूर अली खान ने दुबई में बैठकर एक वीडियो क्लिप जारी कर इस घोटाले में बड़े-बड़े व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया है। ... (व्यवधान) आईएमए के एमडी मंसूर अली खान का रिश्ता आतंकवादियों के साथ भी है। ... (व्यवधान) कर्नाटक सरकार

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी।

... (व्यवधान)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : सर, मुझे एक मिनट और दीजिए। ... (व्यवधान) कर्नाटक सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बैठाई है, मगर निवेशक और कर्नाटक की जनता एसआईटी पर विश्वास नहीं कर रही है। ... (व्यवधान) स्वयं राज्य सरकार इस घोटाले में शामिल है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी।

... (व्यवधान)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे: सर, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस मामले को जल्दी दबा देगी। ... (व्यवधान) ऐसा पहले भी हुआ था। ... (व्यवधान) कर्नाटक राज्य सरकार ने बहुत केसेज़ को दबा दिया था। ... (व्यवधान) इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले की सीबीआई और इनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट से जांच करवाई जाए। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी।

…(*व्यवधान*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): मुझे एक मौका देने के लिए मैं वास्तव में आपका बहुत आभारी हूं...(*व्यवधान*) मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैं यह मुद्दा उठाने जा रहा हूं, जब माननीय रेल मंत्री भी यहां उपस्थित हैं।

महोदय, मेरा मुद्दा फुरफुरा शरीफ से डानकुनी तक एक रेल लाइन स्थापित करने के बारे में है। वर्ष 2010 में, तत्कालीन माननीय रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने इस परियोजना की शुरुआत की थी। लेकिन 2014 से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फुरफुरा शरीफ में,मुस्लिम तीर्थयात्रा के लिए विशेष रूप से पीर के मेले के दौरान 1375 में मुक्लिश खान द्वारा निर्मित एक मस्जिद है। उर्स त्योहार के दौरान, यह लाखों तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र होता है। फुरफुरा शरीफ में अबू बक्र सिद्दीकी और उनके पांच बेटों की मजार है, जो *पंच हुजूर कबला* के नाम से मशहूर है। वह एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे।

महोदय, मैं यह आग्रह और प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस योजना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इसे रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इससे कम से कम 20 से 25 प्रतिशत रोजगार मिल रहा था क्योंकि भूमि ले ली गई थी। अब फुरफुरा शरीफ से दनकुनी तक का प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए।

आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है और मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से रेल मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इससे पहले भी, उन्होंने मेरे कई अनुरोधों पर विचार किया है। 17वीं लोक सभा में यह मेरा उनसे पहला अनुरोध है।

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं उनका दोस्त भी हूं।

श्री कल्याण बनर्जी: जी हाँ, महोदय। लेकिन पहले मुझे आपको माननीय मंत्री जी के रूप में संदर्भित करना होगा।

[हिन्दी]

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। छत्रपति शाहू महाराज की जयन्ती के अवसर पर मैं उनकी पावन स्मृति का विनम्र अभिवादन

करती हूं। मैं आपके माध्यम से आज देश में घट रही रैगिंग की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आज कई व्यावसायिक कॉलेजेज में रैगिंग की घटनाएं घट रही हैं। कुछ दिन पहले मुम्बई के एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पायल तड़वी नाम की एक डॉक्टर के साथ भी इसी प्रकार की रैगिंग की घटना घटी। रैगिंग से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करती हूं कि इस केस की निष्पक्ष इन्क्वायरी हो और डॉक्टर पायल तड़वी को न्याय मिले। इसी के साथ मैं सरकार से मांग करती हूं कि एण्टी रैगिंग लॉज़ को और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाए, ताकि देश में कोई दूसरी डॉक्टर पायल तड़वी न बने।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने आज नए सदस्यों को बोलने का जो विशेष अवसर दिया है, यह सचमुच एक अच्छी परंपरा है, जिसकी शुरूआत आपने की है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। पिछले कार्यकाल में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देशी हवाई उड़ान सेवाएं शुरू करने का एक कार्यक्रम जारी किया था। उसमें कुछ हवाई अड्डों का चयन हुआ था। मेरे सतना लोक सभा क्षेत्र में भी उस हवाई अड्डे का चयन हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह कहा था कि उन हवाई अड्डों को परिचालन योग्य बनाने के लिए, उनके रिनोवेशन के लिए, उनका विस्तारीकरण करने के लिए सौ-सौ करोड़ रुपये देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक एक पैसा नहीं मिला।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सतना से हवाई परिचालन शुरू किया जाए, हवाई अड्डे के रिनोवेशन के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाए। उसका जो एरिया है, वह लगभग 1850 मीटर है। इसकी 200 मीटर लम्बाई बढ़ाना जरूरी है। एक प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। मैं उसकी मंजूरी चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): अध्यक्ष जी, मैं दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आपने सभी नए सांसदों को बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए विशेष धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के बीहटा में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के नामकरण के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। स्वामी सहजानन्द सरस्वती जी, जो किसान नेता रहे हैं और फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, उन्होंने एक संत के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित भाव से किसानों की उन्नति और तरक्की के लिए लगा दिया। वह लगातार किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। वह उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, मगर उनका कार्यक्षेत्र बिहार था। खासतौर पर वर्ष 1927 में वह समस्तीपुर [हिन्दी] जिले से हमारे संसदीय क्षेत्र बीहटा में आए थे और बीहटा में उनका स्थायी निवास हो गया था। बीहटा में सीताराम दास द्वारा प्रदत्त भूमि को उन्होंने अपना स्थाई निवास बनाया था। वह लगातार किसानों के लिए काम करते रहे।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पुरखों के नाम पर संस्थानों का नाम रखने का काम किया है। कई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पटना में एक एयरपोर्ट है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अलग से एक एयरपोर्ट खोलने का काम किया है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह अभी निर्माणाधीन है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसका कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाए। राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है, जमीन का आबंटन भी कर दिया है, चारदीवारी भी हो गयी है, मगर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। मगर यह प्रस्तावित है। सरकार ने उसके लिए पैसा भी सैंक्शन कर दिया है।

सर, जब यह एयरपोर्ट बनेगा तो उसका नाम स्वामी सहजानन्द सरस्वती जी के नाम से हो, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। यह लोगों की जनभावना है और इसके लिए अभियान चल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि पटना में बीहटा में निर्माणाधीन एयरपोर्ट

को स्वामी जी के नाम पर रखा जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। हमें आपका संरक्षण भी चाहिए। आप अपने स्तर से इसमें कुछ हस्तक्षेप भी करिए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दम दम): महोदय, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप अपनी भूख की पीड़ा को भूल गए हैं और अपनी कुर्सी पर बैठे हैं ताकि नए और पुराने सदस्यों को मौका मिल सके। यह वास्तव में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि एक अध्यक्ष को कैसे काम करना चाहिए।

मैं 22 जून को झारखंड के सराय कलां में तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या के एक और मामले के बारे में बता रहा हूं। इस सभा में इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है लेकिन मैं यह फिर से बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने इस व्यक्ति को चार दिनों तक हिरासत में रखा। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं और जब उसे अस्पताल लाया गया, तो वह पहले से ही अधमरा था। यह धर्मिक रूप से प्रेरित भीड़ द्वारा की गई निर्मम हत्या थी। 24 साल के युवक की मौत मानवता पर एक धब्बा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति को मारने से पहले उसकी पिटाई की गई और *जय श्री राम, जय हनुमान* बोलने को कहा गया।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भाजपा के सदस्य पश्चिम बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, इसके बजाय आपको झारखंड, भाजपा शासित राज्य और अन्य स्थानों के लोगों की रक्षा करनी चाहिए जहाँ लोगों को पीट-पीटकर मारा जा रहा है। यह पहला मामला नहीं है। यह धार्मिक असहिष्णुता का एक उदाहरण है। हम धार्मिक असहिष्णुता और भीड़ द्वारा हत्या के सभी उदाहरणों के खिलाफ विरोध जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं वास्तव में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसके राष्ट्रीय प्रभाव भी हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद ईरान पर हवाई हमलों से पीछे हटने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का निर्णय दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच संयम का एक दुर्लभ क्षण था। संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान पर लागू अपनी अधिकतम दबाव की रणनीति को कम करने की आवश्यकता है। ईरान परमाणु समझौते का पूरी तरह से पालन कर रहा था। फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया जिसने उसके विकास को रोक दिया। अधिकतम दबाव की रणनीति जैसा कि उद्धृत किया जा रहा है, ने ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव पैदा कर दिया है।

यह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी दबाव के जवाब में ईरान ने परमाणु समझौते को निरस्त करने की धमकी दी जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों से राहत के बदले तेहरान की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाना था। लेकिन अमेरिका के इस बयान का, कि वह ईरानी तेल आयात करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें छूट देना बंद कर देगा, यह भारत पर सीधा प्रभाव डालता है क्योंकि ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। अब, भारत ने ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया है जो न केवल भारत के लिए आयातित तेल की लागत को बढ़ाता है, बल्कि ईरान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस प्रकार के तनावों को कम करने के लिए ईरान और अमेरीका के प्रति अपने दृष्टिकोण को बारिकी के साथ संतुलित करें क्योंकि दोनों देशों में काफी मात्रा में भारतीय हित निहित हैं। जबकि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका रसातल के किनारे पर हैं, भारत को एक रास्ता खोजने के लिए बंद दरवाजों के पीछे अपनी राजनयिक भूमिका निभानी चाहिए।

आज अमेरीका के विदेश मंत्री भारत में हैं और दिल्ली में भी चर्चा हो रही है। आज रात, माननीय प्रधानमंत्री जापान के ओसाका के लिए रवाना हो रहे हैं और वह रूस के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। बंद कमरे में बैठकें करने की आवश्यकता है ताकि चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करें और लाभदायक कार्य करें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री अनुभव मोहंती और डॉ. निशिकांत दुबे को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया। मैं महाराष्ट्र में मछुआरों की स्थिति पर बोलना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर्स का समुद्री तट है और मेरे चुनाव क्षेत्र में ट्राम्बे कोलीवाड़ा, माहुल कोलीवाड़ा, शिवड़ी कोलीवाड़ा, माहिम कोलीवाड़ा और धारावी कोलीवाड़ा में मछुआरे रहते हैं। मछुआरों का पूरा जीवन समुद्र पर निर्भर करता है। पिछले कई सालों से मत्स्य व्यवसाय में उपयोग होने वाली सामग्री की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत छोटी नाव खरीदने के लिए जो ऋण दिया जाता है उस पर 9 परसेंट से लेकर 15.25 परसेंट तक ब्याज लगाया जाता है, जो राष्ट्रीय बैंकों की ब्याज दर से भी ज्यादा है। अभी हमने मत्स्य व्यवसाय करने वालों को किसान का दर्जा दिया है। जिस प्रकार से किसानों का ऋण माफ किया गया है, उसी प्रकार से मछुआरों का भी राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत दिए गए ऋण को माफ किया जाना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, पूरे देश में काजू उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। दो लाख से अधिक श्रमिक काजू से जुड़े काम में लगे हुए हैं, उनमें से लगभग 90 प्रतिशत गरीब महिलाएँ हैं जो काजू उद्योगों में काम कर रही हैं और वे प्रभावित हुई हैं। विभिन्न कारणों की वजह से 400 से अधिक काजू के कारखाने बंद हो गए। केंद्र और राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण इन गरीब काजू उद्योग के मजदूरों का रोजगार छिन गया है। काजू कर्मियों को ई.एस.आई. व पी.एफ़. का लाभ भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। कच्चे काजू पर भारत सरकार की गलत आयात नीति ने काजू श्रमिकों के साथ-साथ काजू कारखाने के मालिकों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यहाँ तक कि केरल सरकार का उपक्रम, कैपेक्स भी गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकृत बैंक काजू उद्योगों को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी नहीं कर रहे हैं और ऋण चुकाने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि विदेशों से कच्चे काजू के आयात को रोका जाए। भारत सरकार ने कच्चे काजू पर कर लागू किया है। यही कारण है कि काजू कारखाने के मालिक इस देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चे काजू का आयात नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार से काजू उद्योग के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा करने का भी अनुरोध करता हूँ। जहाँ तक काजू कामगारों का संबंध है, ई.पी.एफ़. और ई.एस.आई. लाभ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ई.पी.एफ़.ओ. ने हाल ही में फैसला लिया है कि पेंशन का लाभ पाने के लिए एक कर्मचारी को 3,700 कार्य दिवस काम करना चाहिए। इससे काजू श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि 3,700 कार्य दिवसों की सीमा के इस निर्णय को वापस लिया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री देवजी पटेल (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जालौर-सिरोही लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। जालौर-सिरोही शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक पीछे है। सिरोही में हमारा केन्द्रीय विद्यालय माउंटआबू में बना हुआ है, लेकिन हम वहां बच्चों को भेजने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिरोही जिला और जालौर जिला धनुष के आकार में बना हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि हमें सिरोही में एक केन्द्रीय विद्यालय दिया जाए। जालौर जिले में जो सायला क्षेत्र है, वह धनुष आकार का होने के कारण वहां पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए, तब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कृषि आधारित डिस्ट्रिक्ट होने कारण के वहां के बच्चों को पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा। इसलिए केन्द्रीय विद्यालय और एक जवाहर नवोदय विद्यालय की बहुत जरूरत है। अतः मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं इस हाउस का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि फॉरेस्ट फायर है। आज सरकार मैसिव ट्री प्लान्टेशन स्कीम पूरे देश में लागू कर रही है। मुझे लगता है कि यह आपके दिल के भी बहुत करीब है। मैंने पढ़ा है कि आपने भी अपने संसदीय क्षेत्र में एक लाख पौधे लगाने का काम किया है। नेशनल फॉरेस्ट पालिसी के उदिष्ट हमारे देश का 33 प्रतिशत भौगोलिक एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। महाराष्ट्र ने भी इस ओर पहल की है, जिसके तहत 4 करोड़, 13 करोड़ और 33 करोड़ पौधे गत तीन वर्षों में लगाने की मुहिम छेड़ दी गई है। मुझे लगता है कि यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आज ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, अगर उसको कंट्रोल करना है, तो हर एक इंसान को पौधे लगाना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा है, आज जो फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हैं, वह 49 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई हैं। यह फॉरेस्ट फायर सिर्फ नेशनल फॉरेस्ट तक ही सीमित नहीं है। मुंबई में जो अर्बन फॉरेस्ट है, उसके सराउन्डिंग सब अर्बन रीज़न तक भी बढ़ गया है। 6,500 हेक्टेयर फॉरेस्ट अब तक जलकर खाक हो चुका है। उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। यह पता चला है कि जो 90 फीसदी फॉरेस्ट फायर है, वह मानवीय इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है। मैंने भी एक मुहिम छेड़ी और वर्ष 2017-18 में लाखों पौधे लगाने की योजना बनाई। हमने वहां पर हजारों लोगों की मदद से मैन मेड फारेस्ट बनाने की इच्छा

जाहिर की और पौधे लगाए। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि दो साल में, दोनों बार जंगल में आग लगाई गई और किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वह एक यूनियन लेजिस्लेशन लेकर लाएं और जो भी दोषी हों, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी फॉरेस्ट आफिसर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी नेग्लिजेन्स भी फिक्स हो और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हम जो पौधे हर साल लगाते हैं, उसका थर्ड पार्टी आडिट होना चाहिए, ताकि हर साल हम जितने पौधे लगाते हैं, उनमें से अगले साल तक कितने पौधे जिंदा बचे, उसकी गणना की जा सके। उसके तहत यह जो ट्री प्लान्टेशन प्रोग्राम है, वह आगे जारी रहे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गजानन कीर्तिकर को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरुधुनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और मेरे प्रिय मित्र पीयूष गोयल जी का ध्यान शिवकाशी पटाखा उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो पिछले 100 वर्षों से कई संकट से गुजर रहा है। पिछले चार महीनों में, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण पूरा उद्योग बंद पड़ा है। पेसो को अब सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवेदन देनी है और उत्सर्जन का मानक तय करना है।

लेकिन, आज तक केंद्र सरकार की नीति के कारण पेसो ने उत्सर्जन की सीमा को तय नहीं किया है। अक्टूबर/नवम्बर में *दीपावली* आने वाली है। उद्योग जगत इसका खामियाजा भुगत रहा है। इस पर एक लाख कर्मचारी निर्भर हैं। इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके अध्यक्षपीठ पर आसीन होने के बाद मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका दूसरा अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूंगा कि आपने ज़ीरो ऑवर का उत्तर एक महीने में देना

चाहिए, इस प्रकार का आदेश निकाला है, इससे बहुत सारे सांसदों को लाभ होगा। इसलिए मैं फिर से एक बार और आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा हूँ, वह देशभर के लिए है और सभी सांसदों के लिए है। आने वाले दिनों में अगर महानगरों में किसी बात के लिए इंटरनल वॉर होगा, तो ट्रैफिक के लिए होगा, ऐसा मेरा मानना है। यातायात, व्हीकल ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और महानगरों में डेवल्पमेंट प्लान में जो रोड बताए गए हैं, वे फुल विड्थ में डेवल्प नहीं हुए है। इसलिए प्रधान मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को सन् 2022 तक, जब हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, तब तक कुछ कामों को पूरा करने का उन्होंने तय किया है। मैं मानता हूँ कि अगर इस काम को भी वे हाथ में लेते हैं तो सभी महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, वे जागरूक होंगे और सभी रोड को फुल विड्थ में करने का प्रयास करेंगे।

मैं खास कर मुंबई शहर के बारे में बताऊं तो महात्मा गांधी जी ने सन् 1942 में क्विट इंडिया का मूवमेंट प्रारंभ किया था। मुंबई शहर की विशेषता है कि पूरे देश भर का आकर्षण मुंबई शहर है, इसलिए मुंबई शहर में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई न कोई कहने वाला चाहिए। प्रधान मंत्री अगर इस बात को उठाते हैं तो मुंबई शहर की यह समस्या बहुत जल्दी और आसानी से दूर हो जाएगी। [हिन्दी] ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (वडकरा): मैं रमजान और अन्य त्योहारों के बाद खाड़ी देशों में अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले अनिवासी केरलवासियों की सीटों की मांग को भुनाने के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से, विशेष रूप से मेरे राज्य केरल में विमान किराए में हाल ही में हुई अभूतपूर्व वृद्धि से संबंधित मुद्दे को उठाना चाहूंगा।

महोदय, नवीनतम वृद्धि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों के लिए गर्मी की छुट्टी के दौरान हवाई किराए में 200 से 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी के करीब है। त्रिवेंद्रम और पश्चिम एशिया के अन्य गंतव्यों से एक तरफ का किराया मौजूदा 6,000 रुपये से अचानक बढ़कर 12,000 रुपये के आस-पास हो गया है। शैक्षिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के अगले दिन 1 अप्रैल को खाड़ी देशों के गंतव्यों क तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से एकतरफा इकोनॉमी क्लास टिकट का किराया 21,998 रुपये से 88,705 रूपये के बीच था।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। नागर विमानन मंत्रालय को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि केरल से खाड़ी देशों के हवाई किराए को कम किया जा सके।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय रेल मंत्री, पीयूष*जी* भी यहां हैं क्योंकि यह उनसे संबंधित मामला है।

मैं आज जो मुद्दा उठाना चाहता हूँ वह आंध्र प्रदेश राज्य में एक नए रेलवे जोन का निर्माण है। नए रेलवे जोन के निर्माण की मांग कम से कम दो दशक से हो रही है। पिछले कार्यकाल में आपने यह भी देखा है कि मैंने इस मुद्दे को लगातार उठाया था। हम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में भी शामिल किए जाने के बाद से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 27 फरवरी 2019 को माननीय रेल मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि रेलवे जोन को मंजूरी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से हम इसे देखते हैं, महोदय, यह आंध्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव के मद्देनजर किया गया है। वाल्टेयर डिवीज़न, जो सबसे महत्वपूर्ण डिवीज़न है जिसे नए जोन में होना चाहिए, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका 125 साल का इतिहास है।

[हिन्दी]

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पिछले साढ़े तीन घंटे से लगातार बैठे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने

मुझे यहां तीसरी बार आने का मौका दिया है। मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से इतना कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से जो मैट्रो सिटी है, जो बड़ी सिटी है, टाउन है, वहां तो एफ.एम. रेडियो की व्यवस्था है, लेकिन आज देश में बहुत सी ऐसी छोटी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, जहां अभी तक एफ.एम. रेडियो की व्यवस्था नहीं है।

आज मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जैसे स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्ट-अप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया हो। इसके माध्यम से आज देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि जो छोटा सिटी है, वहाँ भी एफएम रेडियो की व्यवस्था हो, जिससे विद्यार्थियों को, स्टूटेंट्स को, सभी को इस एफएम रेडियो की व्यवस्था मिल जाए। मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में एफएम की व्यवस्था है, वहाँ कम वॉल्ट की बैटरी होने से पूरे टाउन को उसकी व्यवस्था नहीं मिल रही है। उसको भी पूरे वॉल्ट की बैटरी मिले। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र के हापुड़ जनपद में केन्द्र सरकार के कई विभाग हैं। वहाँ रेलवे, दिल्ली पुलिस, सेना, अर्ध सैनिक बल इत्यादि हजारों कर्मचारी निवास करते हैं या पूर्व कर्मचारी निवास करते हैं। लेकिन हापुड़ में कोई भी सीजीएचएस का चिकित्सालय नहीं है, जिसके कारण से इन परिवारों को अपनी चिकित्सा के लिए निजी अस्पताल में जाना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि इन परिवारजनों की सुविधा की दृष्टि से, केन्द्रीय सेवाओं में सेवारत इन कर्मचारियों की सुविधा की दृष्टि से एक सीजीएचएस चिकित्सालय हापुड़ के अन्दर खोले जाने की सरकार कृपा करें। मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ। शायद यह रिकार्ड हो जाएगा, क्योंकि आज ज़ीरो अवर पहली बार लिया गया है, जिसमें आपने लगभग ढाई घंटे तक सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 3.03 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 3 बजकर 3 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। केवल उसी का वाचन कीजिएगा, जो इसमें लिखा हुआ है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार में मुजफ्फरपुर जिले और इसके आस-पास के जिलों में जापानी एन्सेफलाइटिस का उन्मूलन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बिहार के मुजफ्फरपुर में हर साल दिमागी बुखार (जापानी इन्सेफेलाइटिस) से बच्चों की हो रही मौत की तरफ दिलाना चाहती हूँ। इस वर्ष भी 120 से ज्यादा बच्चों की मौत 20 दिनों में हो चुकी है। हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के हो रहे इलाज का मुआयना स्वयं बिहार जाकर किया है। इस बीमारी से प्रभावित मुजफ्फरपुर के स्थानों का भी दौरा किया है। यह बीमारी हर साल हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस पर व्यापक रिसर्च की जाए और आने वाले समय में केन्द्र सरकार द्वारा प्रयास किया जाए कि मुजफ्फरपुर के आसपास वाले जिलों में ऐसी बीमारी न पनपे। चिकित्सा विशेषज्ञों ने अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला है कि बीमारी के बाद बच्चों में विकलांगता का खतरा भी बना रहता है। मैं सरकार को धन्यवाद

देना चाहती हूँ कि एम्स की टीम मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में इस भयंकर बीमारी का गहरे स्तर पर अध्ययन कर रही है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हर साल मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में आने वाले समय में हो रही दिमागी बुखार जैसी बीमारी पर नियंत्रण किया जाए और हमेशा-हमेशा के लिए इस भयंकर बीमारी को जड़ से समाप्त किया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : आप बैठिए, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, केवल वही रिकॉर्ड में जाएगा, जो नियम-377 के अन्तर्गत है।

...(व्यवधान) *

माननीय सभापति: डॉ. भारती प्रवीण पवार।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) महाराष्ट्र के दिन्डोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वजल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु सहायता उपलब्ध किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): सर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित अपने संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में पानी की हो रही विकट समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूं। इस संसदीय क्षेत्र के शहरों में 25 से 30 दिनों में केवल एक घंटे पानी लोगों को मिलता है, जिसके कारण महिलाएं एवं बच्चे पानी लेने के लिए लाइन में लगते हैं एवं एक घंटे के बाद लोग बिना पानी के अपने-अपने घर लौट जाते हैं। दिन्डोरी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शुद्ध जल के अभाव में गन्दे तालाब और नहरों से प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रदूषित पानी के सेवन से लोग बीमार भी हो रहे हैं। नासिक जिले में कई डैम हैं, परन्तु उनमें केवल 17 प्रतिशत पानी मई के महीने में था। मेरे संसदीय क्षेत्र में मॉनसून की देरी से किसानों को अपने खेतों को सिंचाई करने में दिक्कत महसूस हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पशुओं को पानी की कमी से चारा एवं पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में जो कुएँ और तालाब हैं, उनमें पानी सूख चुका है। एक अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह तक महाराष्ट्र के तीन हजार गांव सूखे की भयंकर चपेट में आ सकते हैं, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी के अधिकांश गांव हैं।

सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं स्वजल एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जल्द सहायता दी जाए।

माननीय सभापति: श्री दिलीप साईकिया - उपस्थित नहीं।

डॉ. सुजय विखे पाटील - उपस्थित नहीं।

डॉ. सुभाष भामरे - उपस्थित नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल - उपस्थित नहीं।

(तीन) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 ई के निर्माण के वजह से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में

[हिन्दी]

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर) : सभापति महोदय, एन.एच.-58 ई, उदयपुर से झाडोल, फलासीया, खोखरा, गुजरात बॉर्डर तक बनने वाले हाईवे के अन्तर्गत आने वाले भूमि, मकान, आबादी आदि लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अत: शीघ्र ही शिविर लगाकर उन सभी प्रभावित लोगों को तुरन्त मुआवजा दिया जाए तथा इस कार्य में विलम्ब करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर मुआवजा देने की समय सीमा तय की जाए।

माननीय सभापति: श्री ढालसिंह बिसेन - उपस्थित नहीं।

श्री अजय भट्ट - उपस्थित नहीं।

(चार) केरल में चेल्लानम, वाईपिन और कुझुप्पिल्ली के तटीय क्षेत्रों के किनारे एक पत्थर की दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हिबी ईडन (एर्नाकुलम): मेरे संसदीय जोन के तटीय इलाकों जैसे चेल्लानम, वाईपिन और कुझुप्पिल्ली में समुद्री हमला एक प्रमुख मुद्दा है। इन क्षेत्रों में रह रहे लोग, जिनमें ज्यादातर मछुआरे हैं, अपने जीवन के लिए संघर्षरत हैं। चेन्नई आईआईटी की एक अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार इस क्षेत्र में पत्थर की एक दीवार जिसे स्थानीय भाषा में पुलिमुट्टु कहा जाता है, का निर्माण करने से इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को राहत मिलेगी। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि लोगों की पीड़ा को कम करने और इस कार्य के लिए समुचित धनराशि का आबंटन करने के लिए जरुरी कदम उठाए जाएँ।

(पांच) केरल में ईडुक्की जिले के बाढ़ पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

एडवोकेट डीन कुरियाकोस(ईडुक्की): केरल में हाल ही में आई बाढ़ से ईडुक्की सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। लेकिन राज्य सरकार बेबस थी और वे जनता को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में विफल रही है। इसमें हजारों घर और आजीविका छिन गई। नुकसान के आंकड़े समझ से बाहर हैं। हालाँकि, राज्य किसी भी प्रकार का मुआवजा प्रदान करने में विफल रहा है। कई मामलों में कथित तौर पर राजनीतिक झुकाव के आधार पर मुआवजा दिया गया है। नुकसान के आंकड़े अनगिनत हैं। आंशिक रूप से बेघर अभी भी अपने खंडहर घरों में रह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों की आत्महत्या का है जो ज़ब्ती प्रक्रिया के कारण पीड़ित हैं। ज़ब्ती की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोकी जानी चाहिए।

अब एक और मॉनसून केरल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसलिए सरकार को आगे कोई नुकसान होने से पहले पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि नुकसान की फिर से गणना करने और पीड़ितों को समान मुआवजा प्रदान करने के लिए एक और तथ्यान्वेषी दल नियुक्त किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर - उपस्थित नहीं।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे - उपस्थित नहीं।

(छह) राजस्थान के नागौर जिले में रेलवे पुल के निर्माण हेतु समुचित धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, नागौर जिले के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे ब्रिज (पुलिया) के अधूरे निर्माण व कार्य शुरू नहीं होने से आमजन को विभिन्न तकलीफों व रोजमर्रा के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

माननीय सभापति : जो लिखा है, वही पढ़िए। इसके अलावा कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। जो लिखा है, केवल वही रिकॉर्ड में जाएगी।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, राज्य सरकार के अधिकारी केन्द्र से आर्थिक धनराशि किश्त नहीं मिलने की शिकायत पर ठेकेदारों से कार्य व भुगतान नहीं होने पर निर्माण रूके होने की वजह बता रहे हैं। कृपया लोक महत्व के विषय पर चर्चा व जवाब द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

(सात) असम के मंगलदाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): सभापति महोदय, हमारा राज्य असम पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के यातायात के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। [हिन्दी] मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र मंगलदोई में रेल नेटवर्क की आवश्यकता की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदाई रेल नेटवर्क से बिल्कुल ही कटा हुआ है।

मंगलदोई के दोरांग जिले में आज तक रेल लाइन नहीं है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से रेल नेटवर्क से कटा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तटीय क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है तथा दोरांग जिला और उत्तरी कामरूप जिले की आजादी को रेल यातायात की सुविधा नहीं मिलने के कारण यहां उगने वाली प्रचुर मात्रा में सब्जियां और अन्य कृषि उत्पादन से क्षेत्र की जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिला पाता है। इस कारण क्षेत्र की जनता को आर्थिक रूप से काफी क्षति उठानी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द रेल नेटवर्क को बहाल किया जाए और यदि इस संबंध में कोई सर्वे रेल मंत्रालय द्वारा कराया गया है तो उस कार्य को जल्द से जल्द करवा कर रेल लाईन बिछाने का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए जिससे क्षेत्र की जनता को पूर्ण लाभ मिल सके।

(आठ) महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-222 पर दो एन.एच.ए.आई. परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सेना की भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. सुजय विखे पाटिल (अहमदनगर): अहमदनगर शहर महाराष्ट्र और निकटवर्ती राज्यों के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग-222 शहर के मुख्य क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस कारण राजमार्ग पर भारी जाम लग जाता है। ट्रैफिक भीड़ की इस समस्या को हल करने के लिए, एनएचएआई ने पहले ही पुणे-औरंगाबाद राजमार्ग पर क्रमशः 3.08 किलोमीटर लंबी एलिवेट संरचना और एनएच-222 के 40 किलोमीटर लंबे बाईपास पर दो परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया था। इन परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए जल्द से जल्द कुछ रक्षा भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि क्रमशः 0.48 हेक्टेयर और 0.80 हेक्टेयर है जो कुल 1.0827 हेक्टेयर भूमि है। रक्षा भूमि के इन छोटे-छोटे टुकड़ों के कारण परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर नहीं हैं।

रक्षा भूमि नीति के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा और उसके बाद अंतिम मंजूरी मिलेगी। मैं इस महती सदन के माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि रक्षा भूमि अधिग्रहण के इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए ताकि हजारों यात्रियों को यातायात की भीड़ से राहत मिल सके।

(नौ) आवासहीन लोगों के लिए आवासीय योजना की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): भारत सरकार द्वारा आवासहीन सदस्यों को आवास भवन काफी संख्या में प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय संस्थानों में निर्माण हेतु अनुमति दी जाती है, परन्तु वर्तमान में राज्य सरकार अपना शेयर नहीं लगा पाने या कम धनराशि देने के कारण प्रत्येक पंचायतों या नगरीय निकायों में आवास कोटा काफी कम हो गया है, जिससे नामित व्यक्ति आवास बनाने हेतु नाम होने के बाद से आबंटन न मिलने से परेशान है। इससे भारत सरकार की प्रत्येक आवासहीन को आवास देने की नीति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

माननीय सभापति : मैं एक बार और नाम पुकार रहा हूं। अगर सदस्य आ गए हों, तो कृपया अपना काम कर दें।

डॉ. सुभाष रामराव भामरे	-	उपस्थित नहीं।
श्री जगदम्बिका पाल	-	उपस्थित नहीं।
श्री अजय भट्ट	-	उपस्थित नहीं।
डॉ. शशि थरूर	-	उपस्थित नहीं।
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	-	उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.18 बजे

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 और विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अब हम मद संख्या 9 और 10 को एक साथ चर्चा के लिए लेंगे।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):महोदय, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 की संख्यांक .12) को निरनुमोदन करती है। "

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

महोदय, भारत एशिया के विभिन्न देशों में लगभग पहला देश था, जिसने इस बात को समझा कि निर्यात को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे देश से पूरी दुनिया के साथ वाणिज्य को बढ़ाया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए, कैसे भारत में उत्पादित हुई चीजों को पूरी दुनिया के मार्केट्स तक पहुंचाना चाहिए और कैसे लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो एक्सपोर्ट एक बहुत इंपोर्टेंट अंग रहेगा आगे

की अर्थव्यवस्था में, इसको देखते हुए शुरुआत में 1965 में कांडला में सबसे पहले एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन शुरू किया गया था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कुछ सुविधाएं दी गईं कि आप बिना इंपोर्ट ड्यूटी अपने कैपिटल गुड्स ला सकते हैं, मशीनरी वगैरह ला सकते हैं, कुछ आपका रॉ मैटेरियल लगता है, तो उस सामान को बिना ड्यूटी पे किए ला सकते हैं। वहां पर प्रोसेस करके वहीं से आप विदेश भेज सकते हैं।

उस समय लोकल टैक्सेज की वजह से भारत की कई वस्तुएं कम्पिटीटिव नहीं रह पाती थीं, प्रतियोगिता में खड़े नहीं रह पाते थे, वे अपना सामान नहीं बेच पाते हैं। उन सब को भी सुविधा मिलने लगी। वह प्रयोग साधारणत: सफल रहा। दुर्भाग्य से यह बहुत सीमित रहा, हमने बहुत बड़े रूप में

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स नहीं बनाए। देश में सिर्फ सात प्रोसेसिंग जोन बने थे। जब माननीय प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब तक सात एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लग चुके थे। अटल जी ने इस बात के ऊपर गहराई से चिंता की, विदेश के अलग-अलग देशों में क्या मॉडल बनते हैं, कैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को आगे बढ़ाया जाए, उसकी चिंता की। जहां तक मुझे याद है, उस समय के वाणिज्य मंत्री माननीय मुरासोली मारन जी को सिंगापुर और चीन एसईजेड देखने के लिए भेजा गया था कि कैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और आगे सुविधाजनक हो सकता है।

अप्रैल, 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी एनडीए के समय रखी गई। उस पॉलिसी में ये कोशिश की गई कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक इंजन का काम करे। जैसे हमारी रेलगाड़ी चलती है, इंजन पर चलती है और इंजन तेज गति से चलने के लिए शक्ति देता है, वैसे ही एसईजेड को भी देश की अर्थव्यवस्था को इंजन बनाने के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए अटल जी की सरकार ने पॉलिसी बनाई। जहां तक मुझे याद है एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बार्डर पर था और दूसरा गुजरात में था। इस एसईजेड की कल्पना यह थी कि कैसे बड़े पैमाने पर एक जमीन के हिस्से को सरकार उद्योग लगाने के लिए तैयार करे, अलग-अलग प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। कल्पना यह थी कि उसमें साफ-सुथरा वातावरण हो, पर्यावरण की चिंता न हो, उसके लिए चिंता की जाए। प्लग एंड प्ले एवेलेवल हो, जो उद्योग लगाना चाहे, नया व्यापार शुरू करना चाहे, उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधाएं एक जगह पर आसानी से मिले, उसको कई जगहों पर भटकना न पड़े।

अभी बीच में थोड़े समय के लिए लंच ब्रेक हुआ तो मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी का भाषण देखने सुनने का सौभाग्य मिला। उस समय यही विषय वहां चल रहा था, जब कई बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की आलोचना होती है। उसके जवाब में प्रधान मंत्री जी यही बता रहे थे कि हम उस प्रकार का ओल्ड इंडिया नहीं चाहते हैं, जिस ओल्ड इंडिया में लोगों को इंसपेक्टर राज झेलना पड़े, उस ओल्ड इंडिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में उद्योग न पाए। वह अलग-अलग उदाहरणों से बता रहे थे कि हम कैसे नए इंडिया की कल्पना करते हैं। हम भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए काम करते हैं [हिंदी]। यही सिलसिला अटल जी ने 2000 में प्रयास करने का शुरू किया था, अच्छे फिसकल टैक्स बेनिफिट दिए गए। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने अपने-अपने कानून बनाने की प्रक्रिया की, नए प्रयोग को बल देने के लिए केन्द्र और राज्यों से भी कुछ सहयोग मिला, कम से कम कानूनी दांव पेंच हो, कम से कम कठिनाइयां हों, प्लग एंड प्ले, सिंगल विंडो और सरल व्यवस्था से लोग काम कर सकें। यहां जो से वस्तु आएं, वह दुनिया में बिना किसी अड़चन या बिना कोई इम्पोर्ट ड्यूटी के आ सकें। यहां जो वस्तुएं बनती है उसे साधारणत: आसानी से विदेश भेजा जा सके। एक प्रकार एक्सपोर्ट कम्पिटेटीव प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ी सोच उस समय के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के समक्ष रखी थी।

फिर उसको और बल देने के लिए उस समय की सरकार ने 2005 में एस.ई.जेड. के लिए एक कांप्रिहैन्सिव स्पेशल इकोनोमिक जोन्स का एक्ट पारित किया और मैं समझता हूँ, उस एक्ट के बन जाने से, एक प्रकार से एस.ई.जेड. पॉलिसी को और ज्यादा बल मिलना चाहिए था, और ज्यादा उसको गति मिलनी चाहिए थी।

स्पीकर सर, यह जो स्पेशल इकोनोमिक जोन्स की कानून व्यवस्था बनी है, यह सन् 2005 में बनी। सन् 2005 तक जिस-जिस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में लोग काम करते थें, उनमें इंडिविजुअल्स प्रोपराइटरशिप में काम करते थें, कोई एच.यू.एफ में करता था ,कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, कोई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स में काम होते थे। उन सभी को उस समय के कानून में डिफाइन किया गया। जब कानून की डेफिनेशन में पर्सन्स की डेफिनेशन आई, जिन लोगों को यह कानून अप्लाई करेगा, उसमें अलग-अलग प्रकार से कई सारे प्रावधान किए गए और उन प्रावधानों के तहत उस समय जो साधारणत: तरीके थें, जिन तरीकों से लोग कम्पनियां बनाते थे, जिस तरीके से लोगों ने अपने व्यवहार या

अपने व्यापार को प्लान किया, वह उस समय उन्होंने प्रोवाइड किए थे, लेकिन समय बदलता है, समय के साथ-साथ नए-नए तरीके बनते हैं, काम करने के, व्यापार करने के और उस समय की जो डेफिनेशन थी क्लॉज 5 सेक्शन 2 ऑफ दी एस.ई.जेड. 2005 में उसमें पर्सन सीमित था। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे भारत में रहे, चाहे विदेश में रहे, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी हो, कम्पनी हो, चाहे भारत की कम्पनी हो, चाहे विदेश की कम्पनी हो, क्योंकि ये एस.ई.जेड. एक्सपोर्ट के लिए है तो विदेशी कम्पनी भी वहां लगा सकती है। यह प्रावधान बनाया है। साथ ही साथ कोई फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोपराइटरी कन्सर्न हो, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, कई बार कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन उसको पार्टनरशिप का रूप नहीं देते, ए.ओ.पी. बनाते हैं। ऐसे कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ये भी एक अलग कानूनी तरीका है, जिससे लोग मिलकर कोई एक काम करते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। लोकल अथॉरिटी हो, जैसे कि कोई कॉरपोरेशन हो, पंचायत हो या कोई एजेंसी ऑफिस या ब्रांच, ऐसी संस्था का हो जो इंडिविजुअल एच.यू.एफ., कॉ-ऑपरेटिव वगैरह-वगैरह तो उसका कोई ब्रांच ऑफिस भी वहां लग सकता है। इस प्रकार से डेफिनेशन में कुछ चीजें लाई गई, जो उस समय साधरणतया चलती थीं लेकिन समय के बदलने के साथ-साथ एक नया मोड ट्रस्ट आया है। आज के दिन निवेश करने के लिए कई सारी ऐसोसिएशन, कई सारे निवेशक एक ट्रस्ट का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, निवेश करने के लिए। कुछ लोग जो यहां व्यापार या उद्योग जगत से जुड़े हैं, उनको या हमारे विख्यात वकील हैं उनको ध्यान होगा कि एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है-जैसे ए.आई.एफ. ये नया तरीका निकला है, जिससे लोग आजकल निवेश करने लगे है। एक प्रकार से सिमिलर टू ए म्यूच्अल फंड ऑल्टरनेट इनवेस्टमेंट व्हीकल में अलग-अलग कम्पनियां, अलग-अलग निवेशक, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड की कम्पनिया, इंश्योरेंस कम्पनियां ये सब अपना पैसा एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रस्ट के माध्यम से डालती हैं। वह फिर निवेश करता है और जब उस निवेश में से कुछ कमाई होती है, तो जिस-जिस से निवेश किया, उन सभी में वह बंट जाता है। तो एक ट्रस्ट का काम करने का नया रूप आजकल आया है।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक प्रयोग किया है। जैसे लंडन, सिंगापुर, न्यूयार्क, ये बड़े बड़े विश्व के फाइनेन्शियल सेन्टर्स बने, आज विश्व में किसी को कोई बड़ा काम करना हो, बड़े रूप में पैसा इकट्ठा करना हो, जिससे बड़ा व्यापार कर सके, बड़ा उद्योग लगा सकें तो साधारणतया यह इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल

सेन्टर्स जो अधिकांश रूप में पश्चिम में थे, लंडन, न्यूयार्क, आजकल सिंगापुर बनता जा रहा है। एक नया इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल सेन्टर हांगकांग बन गया है।

भारत में इस प्रकार का कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर नहीं हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी ने गुजरात से शुरू किया - गिफ्ट सिटी, जिसमें एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का प्रयास किया गया। वहां से शुरू हुआ, अब मेरी जानकारी में है कि शायद मुंबई में भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने की कल्पना है या बनने जा रहा है। वैसे ही हरियाणा में भी सुनते हैं कि वहां की सरकार प्रपोज कर रही है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बने। इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स में खास तौर पर जब निवेश होता है, जब वहां लोग काम करना चाहते हैं, वहां पर ट्रस्ट का मॉडल काफी इस्तेमाल होता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सोचा कि एसईज़ेड एक्ट में पर्सन की जो डेफिशन है, उसमें ट्रस्ट को भी शामिल किया जाए, जिससे ऐसे ट्रस्ट्स और इन ट्रस्ट्स के माध्यम से बड़े रूप में नविश भारत में भी आए और भारत की भी पेंशन कंपनीज, प्रॉविडेंट फण्ड कंपनीज, इन्श्योरेंस कंपनीज और विदेशी कंपनीज, क्योंकि एसईज़ेड विदेश से सम्पर्क रखता है, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज, सभी को एक अन्य तरीका मिले भारत में निवेश करने का, जिसे कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरीके मंजूरी मिली हुई है। इसलिए एसईज़ेड एक्ट में ट्रस्ट को भी शामिल किया जाए। यह एक फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड है, दुनिया बदलती जा रही है। देश ने तय किया कि अब इस बदलती हुई दुनिया में हमें भी आगे बढ़ना है, हमें कोई पुरानी सोच या पुराने विचारों में, ओल्ड इंडिया में नहीं रहना है, हमें उभरती हुई नई व्यवस्थाओं में भारत को भी आधुनिक बनाना है, भारत को भी नया बनाना है। उसके लिए ट्रस्ट को भी शामिल करना है। यह खास तौर पर सर्विसेज सेक्टर में एन्टिटी बनाने का एक बहुत कॉमन फॉर्म है। उसके लिए म्युचुअल फण्ड्स, डेट इनवेस्टमेंट फण्ड्स आदि सभी को भारत की तरफ आकर्षित किया जाए, एसईज़ेड्स में उनको आकर्षित किया जाए कि वे लोग बड़े रूप में निवेश लाएं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी इसे परवानगी दे दी है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में ट्रस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इनको रिकग्नाइज किया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स का काम ट्रस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इस बिल के माध्यम से हम सिर्फ इतना प्रावधान ला रहे हैं कि ट्रस्ट के रूप में भी लोग एसईज़ेड में काम कर सकते हैं। चूंकि बदलती हुई दुनिया में शायद आगे चलकर और कोई नया तरीका भी काम करने के लिए आ सकता

है तो हमें लगा कि यह अच्छा रहेगा कि जब हम इसे संशोधित कर ही रहे हैं तो ऐसे संशोधित करें कि ट्रस्ट और आगे चलकर यदि कोई नया सिस्टम आए, नई एन्टिटी का रूप आए तो सरकार उसे भी नोटिफाई कर सकती है। इसके लिए बार-बार सदन में न आना पड़े, उसके लिए केन्द्र सरकार को यह पावर दी जाए कि यदि व्यापार करने का ऐसा कोई नया तरीका भारत में आता हो, भारत में हम उसे प्रोत्साहन देना चाहें तो वह उसे नोटिफाई कर सके।

मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस स्पेशल इकोनोमिक जोन्स (अमेडमेंट) बिल, 2019 को एप्रूव करें और हमने जो स्पेशल इकोनोमिक जोन्स (अमेडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2019 के माध्यम से इस सिलसिले को गति देने के लिए इश्यू किया था, क्योंकि चुनाव आ रहा था, लम्बा फ़ासला पड़ने वाला था और हम चाहते थे कि निवेश के कोई प्रपोजल्स अटक न जाएं, उस सबको मद्देनजर रखते हुए इसे ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था, इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके अगर सदन आज इस बिल को पारित कर दे तो मैं समझता हूं कि आगे इस नए रूप से भी बड़े रूप में भारत में निवेश आने का रास्ता बन जाएगा। धन्यवाद।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"यह सभा विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 की संख्या 12) जिसे 2 मार्च, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया, को अस्वीकार करता है।

"कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मुझे यह अवसर देने के लिए सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं इस कानून में पारदर्शिता और *वास्तविक* इरादों की कमी के कारण विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 और विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019 दोनों का विरोध करने के लिए खड़ा हूं।

महोदय, यह एक सुस्थापित संवैधानिक सिद्धांत है कि अनुच्छेद 123 (1) को केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा हो। यह कार्यपालिका द्वारा लाया गया एक स्वतंत्र कानून है। अत: कोई अध्यादेश केवल अत्यधिक आवश्यक परिस्थितियों में ही जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अनुच्छेद 123 में संसद के अधिनियम द्वारा किसी अध्यादेश को प्रतिस्थापित किए जाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

लेकिन इस सभा की परंपराओं, रीति-रिवाजों, परिपाटियों और मिसालों के अनुसार, हम एक अध्यादेश को सभा के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं, भले ही संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अतः मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। लेकिन एक स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र के लिए विधान हेतु अध्यादेश का मार्ग ठीक नहीं है। यह भाजपा द्वारा अपनाई गई स्वीकृत स्थिति है, जब वे विपक्ष में थे। यह बिल्कुल सुशासन नहीं है। लेकिन मैं यह मानता हूँ और माननीय मंत्री तथा सरकार से सहमत हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी जब सरकार को असाधारण या बाध्यकारी परिस्थितियों के मामले में अध्यादेश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि सरकार संसद के बुलाए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। ऐसे में अनुच्छेद 123 (1) के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार होना नितांत अपरिहार्य है। निश्चित रूप से, हम इससे सहमत होंगे।

यहाँ इस मामले में, यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश की समीक्षा की जाए, तो इस अध्यादेश को जारी किए जाने के लिए इस देश में कौनसी अत्यावश्यकता या आपातकालीन या असाधारण या बाध्यकारी परिस्थितियाँ मौजूद है?इस विशिष्ट प्रश्न का माननीय मंत्री जी को जवाब देना है। मुझे सरकार को इस तरह के अध्यादेश को लागू करने के लिए मजबूर करने का कोई कारण या कोई बाध्यकारी परिस्थिति नहीं मिल रही है। चुनाव के समय क्या आपातकाल या तात्कालिकता मौजूद थी? …(*व्यवधान*)… मैं इसकी पुष्टि करूँगा।

महोदय, यह अध्यादेश 2 मार्च, 2019 को जारी किया गया था। 17वीं लोक सभा चुनाव अनुसूची 10 मार्च, 2019 को घोषित की गई और उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो, अध्यादेश की विषयवस्तु क्या है और विधेयक की विषयवस्तु क्या है? यह एक छोटी-सी बात है। यह केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 में 'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा को बदल रहा है। एक अवलोकन करने पर, हम जानेंगे कि यह एक हानिरहित विधेयक है। लेकिन आइए हम इस अध्यादेश के इरादे की जाँच करें। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, विकास और प्रबंधन प्रदान करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

माननीय मंत्री ने परिभाषा भी उद्धृत की है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 (5) के अनुसार:

> "व्यक्ति में एक व्यक्ति शामिल है, चाहे वह भारत का निवासी हो या भारत के बाहर, एक हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी समिति, एक कंपनी, चाहे वह भारत में शामिल हो या भारत के बाहर, एक फर्म, स्वामित्व वाली संस्था, या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, स्थानीय प्राधिकरण और कोई भी एजेंसी, कार्यालय या शाखा जो ऐसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी, संघ, निकाय, प्राधिकरण या कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में हो। "

अर्थात् धारा 2 (v) की परिभाषा के दायरे में लगभग सभी संघ, व्यक्ति या व्यक्तित्व आते हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक आठ दिन पहले 2 मार्च, 2019 को "ट्रस्ट या इकाई" को इस परिभाषा में क्यों शामिल किया जा रहा है?

महोदय, आप कृपया देखें कि जो लोग इस परिभाषा के दायरे में आते हैं वे विशेष आर्थिक क्षेत्र में एन्टिटी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के पात्र हैं। यदि आप अधिनियम की धारा 2 (v) में संशोधन करते हैं, तो आप "व्यक्ति" शब्द की परिभाषा बदल रहे हैं। यानी, अगर किसी एन्टिटी या ट्रस्ट ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई शुरू की है, तो वे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005

के अनुसार लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस अध्यादेश के द्वारा, सरकार ने "ट्रस्ट या एन्टिटी" को शामिल करके "व्यक्ति" शब्द की परिभाषा में संशोधन किया है, जैसा कि [अनुवाद] सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। इसका मतलब है, यह सरकार की इच्छा और कल्पना के अनुसार ऐसा किया जा सकता है। इसलिए, जो भी एन्टिटी या ट्रस्ट, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है, वे विशेष आर्थिक क्षेत्रों में लाभ, रियायतें या प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र है।

महोदय, आप कृपया देखें कि संसद ने वर्ष 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में एक एन्टिटी शुरू करने के हकदार व्यक्ति के दायरे को सीमित कर दिया है।

लेकिन अनुच्छेद 123(1) के अंतर्गत कार्यकारी शक्तियों के द्वारा आपने सरकार को अबाधित विवेक प्राधिकार प्रदान करके परिभाषा को बदल दी है जिससे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई आरंभ करने के लिए किसी भी ट्रस्ट या एन्टिटी को अनुमति प्रदान की जा सके और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभ उसे प्राप्त हो सके। इसमें संसद की क्या भूमिका है?संसद ने वर्ष 2005 में एक कानून पारित किया है। जहाँ तक कानून का संबंध है, इसकी एक व्यापक परिभाषा है। धारा 2(5) एक व्यापक परिभाषा है। यही लोगों की इच्छा थी। यह संसद द्वारा बनाया गया कानून था। 2 मार्च, 2019 को, कार्यपालिका ने संसद का विश्वास हासिल किए बिना एक अध्यादेश के माध्यम से एक कानून लाया, जिसमें एक व्यक्ति की परिभाषा को बदल दिया गया और 'इकाई' और 'ट्रस्ट' शब्दों को शामिल किया गया। इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे क्या मंशा है?इस परिवर्तन से कार्यपालिका ने संसद के अधिकार को छीन लिया है और इस अधिनियम द्वारा आप संसद के अधिकार को कम कर रहे हैं। इस संशोधन से, परिभाषा की शुचिता और मूल उद्देश्य खो गया है। कोई भी एन्टिटी, जिसमें सरकार रुचि रखती है, वह एस.ई.ज़ेड. से लाभ प्राप्त कर सकती है, जिसका अर्थ है कि एस.ई.ज़ेड. लाभ पात्रता सरकार की इच्छा और कल्पना के अनुसार है। फिर, संसद की क्या भूमिका है। यह संसद के प्राधिकार की पूर्णतया अवहेलना है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं इस विधान के अध्यादेश मार्ग का कड़ा विरोध कर रहा हूँ।

संशोधन के बारे में बात करें तोव्यक्ति की परिभाषा में दो शब्दों का समावेश करना होगा अर्थात 'ट्रस्ट' और 'एन्टिटी'। …(*व्यवधान*) यदि आप चाहें तो मैं नियम उद्धृत करूँगा। महोदय, आप कृपया देखें

कि मूल अधिनियम में इन शब्दों को परिभाषित किया गया है या नहीं। कोई परिभाषा नहीं है। मूल अधिनियम में 'ट्रस्ट' को परिभाषित नहीं किया गया है और उसमें 'एन्टिटी' को भी परिभाषित नहीं किया गया है। 'एन्टिटी' से आपका क्या मतलब है? शब्दकोश के अनुसार, विशिष्ट और स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु एक एन्टिटी होती है। इसका मतलब है कि सरकार के कहने पर किसी को भी 'व्यक्ति' के दायरे में लाया जा सकता है, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। मान लीजिए कि सरकार व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों के संघ में रुचि रखती है, इस अधिसूचना द्वारा, वह एस.ई.ज़ेड. लाभ के लिए पात्र हो जाएँगे। यह कैसे हो सकता है?सरकार को इतना बिना किसी रोकटोक के अधिकार कैसे दिया जा सकता है? मैं बार-बार पूछ रहा हूँ कि इसमें संसद की क्या भूमिका है?

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस अध्यादेश को जारी करने की इतनी क्या शीघ्रता है। मुझे यथोचित आशंका है कि यह अध्यादेश सिर्फ इसलिए जारी किया गया है कि कुछ कंपनियों को लाभ हो। हमारे संसदीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपके बाद राइट टू रिप्लाई भी है। आप बाद में कहिएगा। यह छोटा-सा बिल है, केवल 2 घंटे का।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैंने अभी शुरू किया है। मैं अध्यादेश की विषय-वस्तु पर आ रहा हूँ। मैं निष्कर्ष निकालने वाला हूँ। मैं सांविधिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। चूँकि चर्चा विधेयक और अध्यादेश दोनों पर है, इसलिए मैं विधेयक और अध्यादेश पर बोलने का हकदार हूँ। मैं आपके द्वारा दी गयी व्यवस्था का पालन करूँगा। मैं निष्कर्ष निकालूँगा। महोदय, इस विधान के होने में क्या हित है?आम तौर पर, कानून तब बनाया जाता है जब समाज इसकी माँग करता है। यहाँ क्या शीघ्रता है और ऐसी कौनसी माँग है जो समाज कर रही है?मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 2 मार्च, 2019 से, जो कि अध्यादेश जारी होने की तारीख है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कितनी इकाई या ट्रस्ट को अधिसूचित किया गया है। मैं सरकार से विशिष्ट उत्तर जानना

चाहता हूँ कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कितनी एन्टिटी को अधिसूचित किया गया है?इसलिए मैं विधेयक का विरोध कर रहा हूँ।

एस.ई.जेड. अधिनियम के संदर्भ में, जैसा कि माननीय मंत्री ने सही कहा है, एस.ई.जेड. नीति अप्रैल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान पेश की गई थी। हालांकि, एस.ई.जेड. के लिए विधायी मंजूरी 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान दी गई थी, जिसके नियम भी [अनुवाद] 2006 में बनाए गए थे। अकादमिक हित के लिए, मैं सभी तथ्यों को बताना चाहूँगा। सरकार ने सौ मिलियन रोजगार सृजन और 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत हासिल करने और 2025 तक विनिर्माण मूल्य को 1.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

निर्यात को बढ़ावा देने और देश में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीति को 2000 में निर्यात-आयात नीति के एक भाग के रूप में अपनाया गया था। निर्यात को बढ़ावा देने और जी.डी.पी. की वृद्धि को गति देने के लिए इतने प्रोत्साहन/लाभ दिए गए। आयात शुल्क में छूट दी गई है और एक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस है। इतनी कर रियायतें और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पिछले 15 वर्षों के अनुभव से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकी है।

इसके अलावा, यह बताया जा रहा है कि पूरे भारत में एस.ई.ज़ेड. और इकाइयों के परिसर में प्रयुक्त की गई भूमि और अप्रयुक्त भूमि में भारी अंतर है। यह भूमि अधिग्रहण नीति और इन एस.ई.ज़ेड. की मार्ग में दिशा-निर्देशों पर गंभीर सवाल उठाता है।

माननीय सभापति: अब, श्री राजीव प्रताप रूडी।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। प्रस्तावकर्ता को इस तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है!

माननीय सभापति: आप पहले ही बहुत समय ले चुके हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: नहीं, महोदय मैंने तो बस पांच-छह मिनट का समय लिया है।

माननीय सभापति: आपके पास उत्तर देने का अधिकार भी है। अब, कृपया समाप्त करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: हां, महोदय।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार एस.ई.ज़ेड. की अप्रयुक्त भूमि के मुद्दे का समाधान कैसे करेगी।

इन सवालों और सुझावों के साथ, मैं एक बार फिर इस कानून के अध्यादेश मार्ग और इस विधेयक की विषयवस्तु का विरोध करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय सभापति जी, आज विशेष आर्थिक जोन (संशोधन), 2019 विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005 में संशोधन के लिए लाया गया है। इस एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़ंस में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 'पर्सन' शब्द के स्थान पर 'ट्रस्ट या इकाई' को इनक्लूड करना है। 'पर्सन' का डेफिनिशन इसमें दिया गया है, इसमें कहा गया है कि "पर्सन" की परिभाषा में व्यक्ति शामिल हैं, चाहे वे भारत के निवासी हों या भारत के बाहर, साथ ही हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी समितियां और अन्य भी शामिल हैं।

माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से इसकी पृष्ठभूमि बताई। वैसे तो हजारों वर्षों से जिब्राल्टर के मार्ग या स्विस कैनाल से फ्री ट्रेड का कांसेप्ट रहा है। लेकिन पूरे विश्व में पहली बार 1959 में फ्री ज़ोन एस्टैब्लिश हुआ था, जो आयरलैंड के शैनोन में हुआ था। 70 के दशक में ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका में इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ा। उसके बाद कोरिया, मॉरिशस, ताईवान, चाइना में हुआ। चाइना ने तो इसमें एक्सेल ही कर दिया। हम तब तक भारत में इसकी शुरुआत नहीं कर पाए थे। इंटरनैशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि 1986 तक पूरी दुनिया में, भारत में उस समय तक पूरी तरह से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, 176 ज़ोन्स का निर्माण 47 देशों में हो चुका था। 2006 तक, जब यह कानून बना, तब तक पूरी दुनिया में ऐसे 3500 ज़ोन्स बना दिये गये थे, जो लगभग 130 देशों में बनाए गए थे। एक प्रकार से हम थोड़े लेट से ही चल रहे थे, जब इस ओर अभियान चला।

आज पूरी दुनिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो अंश है, वह लगभग 200 बिलियन डॉलर है। यानी एक बिलियन डॉलर सात हजार करोड़ रुपये होता है। आज पूरी दुनिया के अनुपात में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स का जो कंट्रीब्यूशन है, वह लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर है और इसमें लगभग 40 मिलियन लोगों को रोज़गार मिलता है।

इसकी एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई थी, "पर्सन" की परिभाषा में 'ट्रस्ट' शामिल करना। भारत में जिस प्रकार से स्वीकृति देने की प्रक्रिया है, एक बोर्ड ऑफ एप्रूवल है, जिसको कॉमर्स सेक्रेट्री हेड करते हैं। वहाँ आवेदन जाता है। इसमें राज्य सरकारों का भी योगदान है। केन्द्र सरकार उसकी नीति बनाती है। हमने

'पर्सन्स' का डेफिनिशन बताया। भारत में 1965 में कांडला पोर्ट पर सबसे पहला [हिन्दी] एक्सपोर्ट प्रमोशन ज़ोन बनाया गया। वह हमारे लिए एक्सपेरिमेंट था, हमारे लिए शुरुआती दौर था। गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय इसमें मूल उद्देश्य यह था कि पुरानी सरकारों में जो बहुत-से नियंत्रण थे, हमने देखा है, वह गलत नहीं था, भारतवर्ष में उस समय बहुत नियंत्रण थे। बहुत सारे क्लीयरेंसेस के लिए कागज जमा करने पड़ते थे। हमारा उद्देश्य था कि विदेशी निवेश को हम भारत में आकृष्ट करें।

वर्ष 2000 में इसकी पॉलिसी बनाने की रूप-रेखा तैयार हुई। जैसा पीयूष जी बताया कि उस समय एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सरकार में थे। सौभाग्य से मैं 18 साल पहले उस विभाग का मंत्री था। अब काफी समय निकल गया है। हमारे एक मित्र यहां बैठते हैं। वे आज यहां नहीं है, राजा साहब जहां बैठते हैं। उस समय उनके पिताजी मुरासोली मारन भारत सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर थे और मैं उनका छोटा मंत्री था। मेरा सौभाग्य रहा है कि देश के तीन कॉमर्स मिनिस्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला - जिनमें एक मुरासोली मारन थे, एक माननीय अरुण जेटली साहब हैं और एक अरुण शोरी साहब हैं। मैं उस समय छोटा मंत्री था।

डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर के समय मैं मारन साहब के साथ गया था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे आज भी याद है। वे हमारी सरकार, एनडीए के पार्ट थे और उन्होंने उस समय हमें काफी कुछ सिखाया था। इसके साथ-साथ यह सिलसिला चलता रहा। वर्ष 2005-06 तक कोई कानून नहीं बना, इसलिए भारत की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, उसके तहत हम लोगों ने इन इकोनॉमिक ज़ोन्स की शुरुआत की थी।

इसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ यह बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए, विदेशी और घरेलू दोनों निवेशों की अनुमति दी गई और यह आज तक जारी है। साथ ही, राज्य सरकारों की भूमिका की भी परिकल्पना की गई थी, जो राज्य सरकारों ने किया। एसईज़ेड में हम लोगों ने एक प्रोसेसिंग एरिया चिह्नित किया, जहां प्रोडक्शन का काम होगा, लेकिन वह हमेशा छोटा एरिया था और उसके सपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नॉन-प्रोसेसिंग एरिया, जो बहुत बड़ा एरिया था, उसमें सपोर्ट सर्विसेज़, स्कूल्स, मार्केटिंग, इम्प्लॉयेज़

इत्यादि का प्रावधान किया। भारत में अपने आप में यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। उनको इसके एडवांटेजेज़ भी दिए गए। उनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का एडवांटेज दिया गया, इनकम टैक्स से 100 परसेंट एग्ज़म्पशन किया गया, जीएसटी में आज की तारीख में भी उनको पूरे तौर पर एग्ज़म्पशन दिया जाता है। राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने तरीके से एडवांटेजेज़ दिए। उन्होंने एस.ई.ज़ेड. को काफी छूट दी है। प्रत्येक कंपनी या एन्टिटी को लगभग 500 मिलियन डॉलर तक की बाहरी वाणिज्यिक उधारी की अनुमति दी गई थी और सभी को 100 प्रतिशत एफ़.डी.आई. लाने का प्रयास किया गया था।

यह योजना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन भारत में एक बात की चिंता रही। 2005 के एक्ट के बाद महाराष्ट्र में मुंबई में सांता क्रूज़ में एसईज़ेड बना, उसके बाद कोचिन, केरल में बना, सूरत, गुजरात में बना, चेन्नई, तमिलनाडु में बना, आपके यहां स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बना, वाईज़ैग, जहां से आंध्र प्रदेश के हमारे मित्र हैं, वहां बना, उत्तर प्रदेश के नोएडा में हमारे मित्र हैं, वहां बना, मध्य प्रदेश के इंदौर में बना। 5 लाख 7 हज़ार करोड़ रुपये का जो निवेश पूरे भारतवर्ष में हुआ, वह इन्हीं स्थानों पर हुआ। दुर्भाग्य से जो बाकी 20-22 राज्य हैं, वहां इसकी स्थापना नहीं हो पाई।

माननीय मंत्री जी हमारी नीति में निश्चित रूप से राज्य सरकारें महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश, जहां 22-23 करोड़ की आबादी हो, अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में दुनिया का एक देश होता, तो वह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता। अगर आपका उत्तर प्रदेश दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता, वहां भी दिल्ली के बगल में नोएडा में एक एसईज़ेड लगे, तो नीतिगत तौर पर कहीं न कहीं कुछ कमी रही है, जिसके कारण इसका विस्तार नहीं हो पाया। यह झारखंड में नहीं लग पाया। ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : झारखंड में बहुत माइन्स-मिनरल्स हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : दुनिया में अगर एक राज्य है - जो पहले बिहार के साथ था, जब बिहार और झारखंड एक था - जहां सबसे ज़्यादा खनिज सम्पदा, सबसे वैरायटी की खनिज सम्पदा अगर धरती पर दुनिया में कहीं है, किसी एक छोटे से क्षेत्र में है, जहां यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, माइका भी है, मैंगनीज़ भी है, कोल भी है, गोल्ड भी है, तो वह झारखंड है। ... (व्यवधान) वह हमारे पुराने बिहार का पार्ट होता था। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : निशिकांत जी भी बहुत कीमती हैं, ऐसी बात नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: अभी अर्जुन मुंडा साहब यहां थे, लेकिन चले गए। वहां भी आज तक कोई स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन नहीं बन पाया। बिहार तो भगवानों की धरती रही है, वहां भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन नहीं बन पाया। हमारी चिंता है कि यह स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की पॉलिसी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है और वर्ष 2005 के बाद पहली बार वर्ष 2019 में उसमें संशोधन करने की आवश्यकता हुई। इसका मतलब इस पूरी नीति से देश को लाभ हुआ है। हम इसको स्वीकारते हैं। वर्ष 2005-06 में जो एक्सपोर्ट था, वह लगभग 22 हज़ार करोड़ रुपये का था।

ये वर्ष 2016-17 के आंकड़े हैं, बाकी मंत्री जी बता देंगे, वर्तमान में क्या हैं? 5 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट आज एस.ई.जेड. से हो रहा है। मैं एक पत्र दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सदन में इतिहास के बहुत सारे पन्ने रखे जाते हैं। मैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग पत्र रखना चाहूंगा, वह मेरे पास था। आज मैंने अपने संचयीकरण से उठाकर देखा। पीयूष गोयल जी से संदर्भित पत्र है। मैं जिन लोगों का नाम उल्लेख कर रहा हूं वे सब सदन में ही हैं, इसलिए उसकी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। 26 सितम्बर 2006, को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैंकेया नायडू थे। ये संदर्भ इसलिए है कि माननीय मंत्री जी सिर्फ स्मरण कराऊंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करें। उस समय हमारी राजनीतिक पार्टी की तरफ से एक कमेटी बनाई गयी थी, वैंकेया नायडू जी का ये पत्र है। वे उसके कन्वीनर थे, मैं उसका सदस्य था। उस दिन एक और पत्र जारी हुआ था, जिसमें पीयूष गोयल साहब कॉमर्स और ट्रेड सैल के इंचार्ज थे। जब ये कमेटी बनाई गई, ये कॉमर्स और ट्रेड सैल के इंचार्ज थे। इन्होंने उस समय भी बहुत रिकमेण्डेशंस दी थीं और ये पत्र बनाया था। उसमें आज भी आपका मेरे हस्ताक्षर से नाम लिखा हुआ है, जो मैंने आपको निमंत्रण दिया था कि आप आकर उसको बताएं। आपने बहुत अच्छा किया है। इसके साथ-साथ मैं जिस विषय पर आना चाहता हूं, पीयूष जी आपके लिए भी बहुत संदर्भित है और सदन के लिए भी, जो हम लोगों की रिकमेंडेशन है, लखनऊ में एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी

प्रतिवेदन बनाने में पीयूष गोयल साहब का सबसे बड़ा योगदान था: 'विशेष आर्थिक जोनों पर भाजपा समिति की प्रतिवेदन'। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष वैंकेया नायडू जी थे। एस.ई.जेड. की संख्या, आकार और स्थान के` बारे में चर्चा थी, रियल स्टेट के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में चर्चा की गयी थी। उसमें, उत्पादक भूमि और भूमि-स्वामी किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, के बारे में चर्चा थी और जितने ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट करने थे, वे सब माननीय पीयूष गोयल ने उस समय किए। इसमें कर प्रोत्साहन और राजस्व पर प्रभाव के बारे में चर्चा हुई थी। यह एक बहुत अच्छा दस्तावेज है। इसने डी.टी.ए. में व्यवसाय के लिए असमान अवसरों के बारे में भी चर्चा की; एस.ई.ज़ेड. और डी.टी.ए. के बीच इंटरफ़ेस; एस.ई.ज़ेड. और नए उपनगर का विकास; एस.ई.ज़ेड. और आई.आई.टी. क्षेत्र; और प्रशासनिक कमजोरियाँ। इन सबमें एक उचित संतुलन है।

<u>अपराह्न 3.57 बजे</u>

(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन हुए*)

महोदय, इस विषय को माननीय पीयूष गोयल साहब को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप इस मंत्रालय में हैं। समय-समय पर यह विषय उस समय भी हमने उठाया था और आज भी तमाम विषय हैं, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं। ये संदर्भित है, सभी के लिए संदर्भित है। उसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेण्डेशंस थीं, लगभग उन 60 प्रतिशत रिकमेण्डेशंस को हम लोगों ने पूरा किया है। ये बहुत ही रेडिकल रिकमेण्डेशंस थीं। इस सदन को सुनना होगा और मैं सुनाना चाहूंगा। इसमें समरी ऑफ रिकमेण्डेशंस हैं, मैं एक-एक लाईन पढ़ दूंगा। प्रसंस्करण जोन का न्यूनतम जोनका क्षेत्रफल कुल अधिग्रहीत भूमि के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सरकारी एस.ई.ज़ेड. द्वारा कोई उपजाऊ और सिंचित कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। हम किसानों की बात तब भी करते थे और आज भी किसानों की बात करते हैं, यह हमारा लक्ष्य है। हम लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों में भूमि के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना चाहिए और उन्हें वर्गीकृत करना चाहिए। यह निश्चित रूप से किया गया था। फिर हम 'सारांश' के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी संभव हो, किसानों को डेवलपर कंपनियों में इक्विटी शेयर आवंटित किए जाने चाहिए। मुझे पता नहीं है, इसको लागू किया गया है या नहीं। एक अतिरिक्त उपयुक्त

वित्तीय मुआवजा होना चाहिए। विस्थापित खेतिहर मजदूरों और संबद्ध पात्र कामगारों को इन एस.ई.ज़ेड में रोजगार में वरीयता दी जानी चाहिए। विस्थापित होने वाले गरीबों के पुनर्वास के लिए योजना हो।

ये सब विज़न जो हमने रचे थे अभी भी इसी का भाग हैं। यदि कहीं कोई कमी हो तो मुझे यकीन है कि इस अधिनियम में संशोधन के बाद आप प्रशासनिक रूप से इन मुद्दों पर गौर करेंगे। बेशक, उसमें और भी बहुत सी सिफारिशें थीं। एस.ई.ज़ेड से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण का सुझाव दिया गया था।

महोदय, मैं इसलिए यह विषय रख रहा हूं कि ट्रस्ट को जोड़ने के लिए कहा गया है। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। प्रेमचन्द्रन जी ने बीच-बीच में दो-तीन एप्रिहेंशन जाहिर की हैं और एस्पर्शन भी किया है, जो अनुचित है। हमारी सरकार अगर कभी भी कोई कदम उठाती है तो वह देश के हित में है, किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है। उस संकल्प के साथ हम देश की सरकार को लेकर चल रहे हैं। हमें नहीं पता, लेकिन पीयूष गोयल साहब यहां बैठे हैं, ये इस अमेण्डमेंट को लाए हैं और 2005-06 के बाद, 18-19 साल के बाद कोई अमेण्डमेंट लेकर आते हैं तो यह देश के हित में होगा।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

हमें अपनी सरकार पर विश्वास है, हमें अपने देश के प्रधान मंत्री पर विश्वास है कि जो भी कदम उठाया जाएगा वह देशहित में होगा, किसी व्यक्ति या वयक्तियों के हित में नहीं होगा, यह हमारा संकल्प है। भारत में अभी जो स्थिति है, वर्ष 2019 में अभी तक जितने फॉर्मल अप्रूवल आपने दिए हैं, वे 416 एस.ई.जेडस के हैं। जो नोटिफाइड हैं, वे लगभग 360 के आसपास हैं। इन प्रिंसिपल 32 हैं, यह समझ में नहीं आया। आप लोगों में से ही निकालकर लाया हूँ और जो यूनिट्स अप्रूव्ड हैं, अभी तक पूरे भारतवर्ष में वे लगभग 5000 के आसपास हैं।

महोदय, एक छोटी सी चिंता है। मैं आपके माध्यम से पीयूष जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें जमीनों का अधिग्रहण बहुत हुआ। कई प्रकार के एस.ई.जेडस थे, आई.टी. एस.ई.जेडस थे, जो सीमित क्षेत्र में बनाए गए। उनका भी भारत के पूँजी निवेश में और पूँजी बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जो बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ थीं, कोर इंडस्ट्रीज़ थीं, जिनके लिए एस.ई.जेड.बनाया गया, आप देखेंगे कि वर्ष 2019 तक। और यही विषय है, जिस पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करूँगा। मुझे पता है कि अपनी सरकार के संज्ञान में कोई विषय आएगा तो उसे सरकार ऐसे नहीं छोड़ेगी। एक सांसद के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े रहें। लेकिन इसके साथ-साथ हमारा यह भी कर्तव्य है कि सरकार की व्यस्तता में अगर कोई विषय छूट जाता है, कोई विषय वस्तु नहीं आती है, तो उसे भी आपके संज्ञान में लाने का हम प्रयास करें। अभी तक पूरे भारतवर्ष में आपके जो आंकड़े हैं, लगभग 47 हजार हेक्टेयर एस.ई.जेडस के लिए जमीन अभी अधिसूचित है, अधिग्रहित है, नोटिफाइड है, चाहे वह केन्द्र सरकार की तरफ से हो, या राज्य सरकार की तरफ से। वह सभी राज्यों का है और उसमें से सिर्फ साढ़े पाँच, हो सकता है मेरे आंकड़े गलत हों, अगर गलत हों तो अपने अधिकारियों से पूछकर उसे संशोधित कर दें क्योंकि संचिकाओं का ज्ञान न होने के कारण मेरे पास अभी पूरा ज्ञान नहीं है। जो तथ्य पब्लिक डोमेन में है, उसके कारण मैं यह बता रहा हूँ।

महोदय, ये आंकड़े कहीं न कहीं सरकार के आंकड़ों में से ही निकाले हैं, इसलिए अगर इसमें कोई कमी हो तो उसके सुधार की पूरी गुंजाइश है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो अभी पूछकर सुधार कर दें, ताकि लोगों के मन में यह बात न जाए कि हमने कोई ऐसा विषय रखा और 47-48 हजार हेक्टेयर भूमि जो अधिग्रहित की गई पूरे भारतवर्ष की वह भी मूर्त रूप से छः या सात राज्यों में ही हुई है। उसमें से सिर्फ साढ़े पाँच हजार हेक्टेयर का उपयोग हुआ है। अब यह थोड़ा चिन्ता का विषय होता है कि आखिर कितनी लम्बी अवधि तक किसानों की कितनी ज़मीन कौन लेकर कहाँ-कहाँ रखेगा?इस पर अगर कोई स्पष्टीकरण हो, और मुझे विश्वास है कि जो भी विषय हमारे माननीय सदस्य संज्ञान में लाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लाकर रखते हैं और मैंने उसी संदर्भ में रखा है।

पीयूष गोयल साहब, जो आज दो बड़े मंत्रालयों के मंत्री हैं, इससे पूर्व वित्त विभाग का कार्य भी इन्होंने संभाला है। ये आगे भी बड़े-बड़े कार्य संभालते रहेंगे। आपने ट्रस्ट को लाने का जो संशोधन किया है हम बहुत ज्ञान नहीं रखते हैं इन विषयों के बारे में। तकनीकी रूप से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप उस महकमे से आते हैं और मुझे इस बात की खुशी इसलिए भी हो रही है, क्योंकि आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आज से 18 साल पहले जब हम इस तरफ बैठते थे तो उस समय आपके पिता जी भी भारत सरकार में मंत्री थे। एक लंबा इतिहास है। मेरी उम्र चाहे जो भी हो, पर मेरे साथ एक खासियत यह है कि कम से कम 50 ऐसे सांसद इस सदन में हैं, जिनके पिता जी मेरे साथ सांसद रहे थे। उस प्रकार से मेरी सीनियॉरिटी बहुत है। चाहे येरन नायडू साहब हों या अगाथा के पिता जी हों, संजय जायसवाल जी के पिता जी हों, मनीष तिवारी जी के पिता जी के समकक्ष हों, या ओवैसी जी के पिता जी हों। मैं जैसे ही नज़र घुमाऊँगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे। मेरा कार्यकाल बहुत लम्बा रहा है। आखिर में मैं रिटायरमेंट पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यह जरूर कहना चाहूँगा कि इनके पिता जी भी उस समय दो पद होल्ड करते थे हमारी पार्टी में और सरकार में। आज पीयूष गोयल साहब भी मंत्री के रूप में होल्ड कर रहे हैं। यह एक संयोग ही है कि आज भी हमारे बीच में वैसे ही सांसद मौजूद हैं। पीयूष जी का जो वर्किंग स्टाइल है, रेलवे मंत्रालय में पीयूष जी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अगर हमारे प्रेमचन्द्रन जी को कोई शंका है, तो अवश्य उनका निराकरण कीजिए। आपके इस बिल में, जो संशोधन देश के हित में है, ट्रस्ट हो या एंटिटी हो, यह हमारा काम है। जब सदन में एक्ट बनाया जाता है तो उसके अधीनस्थ कानून बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं।

जब रूल्स बनाए जाएंगे ... (व्यवधान) संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम एक्ट बनाते हैं। एक्ट बनाने में, बाहर के लोग भले ही जो समझते हों, लेकिन हर विषय पर प्रेमचन्द्रन जी, चौधरी साहब, संजय जायसवाल जी और हमारे मित्र सुशील जी, हम लोग एक्ट के एक-एक शब्द को पढ़ते हैं और विश्लेषण करते हैं। सरकार उसके बाद रूल्स बनाती है और रूल्स पर भी हम लोग तीन स्थानों पर चर्चा करते हैं। एक तो पार्लियामेंट में करते हैं, उसके बाद रूल्स कमेटी में करते हैं, उसके बाद भी सहमति न बने तो हाई कोर्ट में जाते हैं। हमें सरकार के हर संशोधन पर भरोसा है, हर नियम पर भरोसा है। इस विश्वास के साथ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश में रोजगार उत्पन्न करने और विदेश से निवेश लाने में एक प्रशस्त मार्ग साबित होगा, मैं अपनी तरफ से सरकार के इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि पूरा सदन भी इसको समर्थन देगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं अपने विद्वान सहयोगी श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन का समर्थन कर रहा हूँ और खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विधायी प्रक्रिया, विशेष रूप से अध्यादेश के मार्ग का दुरुपयोग कर रही है।

कानून बनाने वालों के रूप में हमारे लिए, कानून बनाते समय हमें दो प्रमुख कसौटियों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले, हमें यह देखना चाहिए कि किसी विधेयक या अध्यादेश में अधिनियमित किए जाने के लिए पर्याप्त योग्यता है या नहीं। दूसरा, हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मानकों को पूरा करने के लिए उचित प्रक्रिया और विधि को अपनाया गया है या नहीं। किसी विधेयक के गुण-दोष का विश्लेषण इसी कारण से एक अध्यादेश का विश्लेषण करने से अलग होता है, लेकिन आप हमें दोनों को मिलाने के लिए बाध्य कर रहे हैं और मैं ऐसा करूँगा।

बहुत हद तक यह संभव है कि किसी विधेयक का स्वागत किया जाए, जबकि एक अध्यादेश के रूप में यह कानून की दृष्टि से गलत है। दुर्भाग्य से, इस मानदंड पर अक्सर संसद में विचार-विमर्श नहीं किया जाता है। हममें से कोई भी यह नहीं कह रहा है कि हमें अध्यादेशों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम अध्यादेश बनाते हैं, वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें सचेत और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। संविधान को अपनाने से पहले भी, हमने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत अध्यादेशों के दुरुपयोग का अनुभव किया था, जब ब्रिटिश वाइसरॉय किसी भी समय आवश्यक महसूस करता था, अध्यादेशों को लागू कर सकता था और विधानमंडल उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। इसीलिए, जब संविधान का अनुच्छेद 123 बनाया गया, तो उसने संसद के समानांतर एक विधायी प्राधिकरण की वृद्धि को रोकने के लिए अध्यादेश की शक्तियों को सीमित कर दिया था।

अनुच्छेद 123 के अनुसार, एक अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसी आपातकालीन परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो इसे तत्काल कार्रवाई के लिए आवश्यक बनाती हैं। वास्तव में, जब संविधान सभा में इस प्रावधान पर बहस हो रही थी, तो सदस्यों

ने दुरूपयोग की वही आशंका जताई, जो श्री प्रेमचन्द्रन और मैंने आज जताई है और डॉ. अम्बेडकर ने सदस्यों के भय को शांत करते हुए उत्तर दिया कि अध्यादेश की शक्ति का केवल तभी आह्वान किया जा सकता है जब आपातकालीन स्थितियाँ, जो "अचानक और तुरंत उत्पन्न होती हैं" जब संसद का सत्र नहीं होता है।

यहाँ तक कि पिछली सरकार के सबसे महत्वपूर्ण वरिष्ठ पूर्व सदस्यों में से एक, श्री अरुण जेटली, जब वे विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा था, और मैं उद्धृत करता हूँ: "अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश केवल तभी जारी किया जाता है, जब अत्यधिक अत्यावश्यकता के मुद्दे उठते हैं और आगामी संसद सत्र का इंतजार नहीं किया जा सकता। अध्यादेश जारी होने की तिथि और संसद सत्र की तिथि के बीच मामला इतना जरूरी होना चाहिए कि उस अवधि के लिए इंतजार करना मुश्किल हो। हमें खुद से यह पूछने की जरूरत है कि क्या हम अनुच्छेद 123 के तहत आवश्यक संवैधानिक मानकों को पूरा कर पाए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक आर.सी. कूपर मामले में यह भी स्पष्ट किया था कि अध्यादेश राष्ट्रपति के नाम हो सकता है, यह वास्तव में कार्यपालिका की कार्रवाई होती है। अदालत, हालाँकि, मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति की जाँच नहीं कर सकती है और इसलिए, सांसदों के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि किसी अध्यादेश को लागू करने के लिए आवश्यक या दी गई सलाह एक अच्छी सलाह ही हो। डॉ. अम्बेडकर इस बात को लेकर आशावादी थे कि यह संसद कार्यपालिका पर एक मजबूत नियंत्रण के रूप में कार्य करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसा करने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह सरकार इस सदन का सम्मान नहीं करती है और इसकी पूर्ववर्ती सरकार इस महती सदन का बहुत सम्मान करती है।

मुझे डर है कि अध्यादेश की प्रस्तावना इस तत्काल आपातकालीन कार्रवाई के लिए किसी ठोस कारण का उल्लेख करने में विफल रही है। मंत्री को आपातकाल की विशिष्ट प्रकृति के बारे में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है जो अध्यादेश की तारीख, 2 मार्च और 17 जून, 2019 के बीच हुई, जब हमारा संसद सत्र शुरू हुआ। यह बताया जाना चाहिए कि तत्काल अध्यादेश की आवश्यकता क्यों थी, स्थिति की

तात्कालिकता को प्रदर्शित करने के लिए सबूतों का उपयोग किया गया था, और यह संविधान में डॉ. अंबेडकर द्वारा निर्धारित मानदंडों को कैसे पूरा करता था।

मंत्री जी को इस अवधि के दौरान इस अध्यादेश के अनुसरण में उठाए गए कदमों को भी सूचीबद्ध करना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री वास्तव में इस विचार में विश्वास करते हैं कि यह संसद लोकतंत्र का मंदिर है, तो उन्हें इस सभा को सरकार के राजनीतिक एजेंडे के लिए एक रबर स्टैंप के रूप में देखने के बजाय इस सभा के समक्ष कारण बताना चाहिए।

हमारे देश के संस्थापकों और संस्थापिकाओं द्वारा परिकल्पित अध्यादेश प्रक्रिया का उद्देश्य संवैधानिक प्रक्रिया को बढ़ाना था। मुझे यह जानकर खेद है कि इसके बजाय सरकार इन शक्तियों का उपयोग संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने और बिगाड़ने के लिए कर रही है। पिछले हफ्ते, हम सभी ने भारत के संविधान की सेवा करने, उसकी सुरक्षा करने, उसकी रक्षा करने की शपथ ली। यदि हम संवैधानिक रूप से अनिवार्य इन प्रक्रियाओं पर जोर देने में विफल रहते हैं, तो हम संविधान की रक्षा करने की अपनी शपथ में असफल होंगे।

सभापति महोदय, मैं अब अपना ध्यान विधेयक पर ही लाना चाहता हूँ क्योंकि आप दोनों को जोड़ रहे हैं। माननीय मंत्री ने हमें वाजपेयी युग के दौरान आने वाले एस.ई.ज़ेड. के विचार का एक लंबा इतिहास दिखाया है, लेकिन वह उस विशेष अधिनियम का उल्लेख करने में विफल रहे। 2005 में एस.ई.ज़ेड. अधिनियम पारित होने के बाद ही इसे आर्थिक क्षेत्रों को वैधानिक मान्यता मिली। …(*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: मैंने इसका उल्लेख किया।

डॉ. शशि थरूर: जब इसे शुरू किया गया था तब आपने उल्लेख किया था। …(*व्यवधान*) लेकिन, अगर आपने कहा है कि यह पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की आर्थिक दूरदर्शिता के कारण था, तो मैं किसी तरह चूक गया। …(*व्यवधान*)

लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नए भारत को पुराने भारत को भी कभी-कभार श्रेय देना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि कर प्रोत्साहन वाले विशेष क्षेत्रों की आवश्यकता है। ...(*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: माननीय सदस्य कुछ पाठ पढ़ रहे थे, अन्यथा मुझे लगता है कि उन्होंने वही सुना होगा जो मैंने कहा था। …(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: ठीक है, मैं वास्तव में उससे चूक गया। …(*व्यवधान*) मैंने 'डॉ. मनमोहन सिंह' शब्द नहीं सुना, लेकिन अगर आपने यह कहा है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। …(*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: मेरा मानना है कि मुद्दा यह नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन थे, मैंने उन सभी को श्रेय दिया। लेकिन अगर वे श्रेय नहीं चाहते हैं और केवल डॉ. मनमोहन सिंह को ही श्रेय देना चाहते हैं, तो मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि डॉ. मनमोहन सिंह…(*व्यवधान*)

डॉ. शशि थरूर: ईमानदारी से कहूं तो माननीय मंत्री को अपने कद के लायक बातें कहनी चाहिए। …(*व्यवधान*)

लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हमें बताया कि श्रेय के पात्र नेताओं के नामों को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह के पास एक आर्थिक दृष्टि थी और उन्होंने कहा कि मुख्य्य विचार विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का था, जिसमें कर प्रोत्साहन के साथ विनिर्माण, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए अवसर दिए जाएँ।

दुर्भाग्य से, हम अभी तक वर्तमान सरकार के शासन में 2005 के एस.ई.ज़ेड. अधिनियम के सपने को ही साकार नहीं कर पाए हैं। यह देखना निराशाजनक है कि हम सौ मिलियन नए रोजगार सृजित करने के लक्ष्य से बहुत दूर हैं। बेरोजगारी अब लगभग 45 वर्षों में उच्चतम दर पर पहुँच गई है। यू.पी.ए.-2 के दौरान, जब दुनिया मंदी से जूझ रही थी, तब भी डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारे निर्यात में 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेकिन पिछले 5 साल में हमारा निर्यात बमुश्किल 10 फीसदी बढ़ा है।

दरअसल, 2017 में इस सरकार ने संसद को सूचित किया था कि एस.ई.ज़ेड. के लिए अधिसूचित आधी जमीन खाली पड़ी है, यानी 45,711.64 हेक्टेयर जमीन, जो एस.ई.ज़ेड. के लिए अधिसूचित की गई थी, खाली पड़ी है। हमें संसदीय प्रश्नों के उत्तर में सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि 150 एस.ई.जेड. गैर-परिचालन में हैं। मैं माननीय मंत्री जी की सराहना करूँगा अगर वह अपने जवाब में संसद को नवीनतम

आँकड़े उपलब्ध करा सकते हैं कि कितनी एस.ई.ज़ेड. ईकाइयाँ खाली पड़ी हैं। मंत्री जी सभा को यह भी बता सकते हैं कि क्या एस.ई.ज़ेड. की व्यापक समीक्षा की गई है। यदि हाँ, तो एस.ई.ज़ेड. का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह सरकार कौन से संरचनात्मक सुधार करेगी?

माननीय मंत्री महोदय, मुझे खेद है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था। क्या आपने समीक्षा की है और आप कौन से संरचनात्मक सुधार करेंगे?यदि समीक्षा नहीं की गई है, तो क्या आप समयबद्ध तरीके से समीक्षा करेंगे ताकि हमें पता चले कि यह नीति किस आधार पर आगे बढ़ रही है?

हम यह भी जानते हैं कि कुछ एस.ई.ज़ेड. मुकदमों, अदालतों में अटके मामलों के कारण अटके हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी अदालतों को अपने समक्ष लंबित मामलों को निपटाने में कितना समय लगता है। न्याय में देरी वास्तव में न्याय का खंडन है। लेकिन हम हमेशा देरी के लिए न्यायाधीशों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन पर अत्यधिक बोझ होता है। इसलिए, हमें अदालतों को आवंटित धन को बढ़ाने, अतिरिक्त सुविधाएँ स्थापित करने, न्यायिक सुधार करने या एस.ई.ज़ेड. में विशेष अदालतें बनाने की जरूरत है, इससे पहले कि एस.ई.ज़ेड. वास्तव में आर्थिक विकास के लिए एक प्रभावी उपकरण बन सके।

अब, भूमि राज्य का विषय होने के प्रश्न का उल्लेख किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार आसानी से मंजूरी के लिए सिंगल विंडो स्थापित करने और निवेश तथा पूंजी के सहज प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए समान एस.ई.ज़ेड. नीति तैयार करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करने की पहल कर सकती है।

सत्ताधारी दल अपने विशाल जनादेश को देखते हुए, इस उत्तरदायित्व से मुँह नहीं मोड़ सकता और देश के आधे राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र भी सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं। इसलिए, उन्हें वास्तव में वहाँ एस.ई.ज़ेड. शुरू करने से कोई नहीं रोक रहा है।

यह विधेयक सरकार को एस.ई.ज़ेड. अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड(v) में संशोधन करके एस.ई.ज़ेड. अधिनियम के तहत लाभ के लिए पात्र होने के लिए किसी भी एन्टिटी को एक व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि आप उदाहरण के लिए विधेयक में इस परिभाषा के तहत ट्रस्टों को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या माननीय मंत्री हमें ऐसी एन्टिटी या ट्रस्टों का

उदाहरण दे सकते हैं, जिन्होंने अध्यादेश के तहत इस प्रावधान का लाभ उठाया हो?क्या वह हमें उन संस्थाओं के अन्य उदाहरण भी दे सकता है, जो उसके मन में हैं जिन्हें किसी व्यक्ति की परिभाषा में निर्दिष्ट किए जाने के अलावा शामिल किया जाना चाहिए? अधिनियम के तहत लाभ के लिए कौन योग्य हो सकता है, यह सूचित करने के लिए सरकार को बड़ी शक्तियाँ सौंपकर विधेयक, चुनिंदा व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए कानून के दुरुपयोग की गुंजाइश भी बढ़ा सकता है, जैसा कि श्री प्रेमचन्द्रन जी ने भी आरोप लगाया है।

जैसा कि मैंने कहा, वादों और योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, अन्यथा वे बेकार होते हैं। जबकि मुझे माननीय मंत्री महोदय के नेक इरादों पर संदेह नहीं है। मैं इस बात की सराहना करूँगा यदि वह हमें यह बता सकें कि कैसे और क्यों मौजूदा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए और इसका दुरुपयोग कैसे नहीं किया जाएगा। हमने एस.ई.ज़ेड. गतिविधि की आड़ में जमीन हड़पने के आरोप पहले ही सुने हैं। एस.ई.ज़ेड. में हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की क्षमता है। ऐसे समय में जब हम एक अर्थव्यवस्था के रूप में कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं, यह समय हमारे लिए उनकी क्षमता को पूरा करने का है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने कहा, यह संभव है कि आने वाले विधेयक को अस्वीकार किए बिना अध्यादेश को अस्वीकार किया जाए। मंत्री महोदय, मेरे प्रश्न इसी भावना से उठाए गए हैं।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस में, भारत के आर्थिक विकास पर गर्व करते हैं और हम ऐसी किसी भी चीज के रास्ते में नहीं खड़े होंगे जो हमारे देश की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद करे, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि वह सही दिशा में सही काम करे। दूसरे शब्दों में, उन्हें अध्यादेशों का सहारा लेना बंद कर देना चाहिए और इस संसद में विचार तथा बहस के लिए विधेयक पेश करने चाहिए।

जय हिन्द

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदय, विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बहस में भाग लेने के लिए उठते समय, मैं यह कहकर अपने भाषण की शुरुआत करता हूं कि आम तौर पर हम किसी भी प्रकार के अध्यादेश का विरोध करते हैं जब तक कि इसकी तत्काल आवश्यकता न हो। मुझे

लगता है कि इस सरकार की प्रत्येक छोटी बात को एक बहुत बड़ी बात के रूप में प्रस्तुत[अनुवाद] करने की आदत है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की शुरूआत के संबंध में और जब उन्हें शुरू किया गया था, एक ओर श्री पीयूष गोयल और दूसरी ओर डॉ. शशि थरूर ने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन सच यह है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र इस अवसर पर खरे नहीं उतर सके। एस.ई.ज़ेड. की प्रक्रिया और एस.ई.ज़ेड. की जो प्रणाली स्थापित की गई थी, वह एक दयनीय विफलता साबित हुई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत में मुख्यत: महाराष्ट्र में सांताक्रूज, केरल में कोचीन, गुजरात में कांडला और सूरत, तमिलनाडु में चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, पश्चिम बंगाल राज्य में फाल्टा, उत्तर प्रदेश में नोएडा और मध्य प्रदेश में इन्दौर में स्थित हैं जो प्रचालन के लिए तैयार है।

पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला में 1965 में स्थापित किया गया था, जिसका उल्लेख श्री राजीव प्रताप रूडी ने किया है। श्री प्रेमचन्द्रन ने विस्तार से बताया कि वह विधेयक से पहले के अध्यादेश का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ। यह एक निर्णय था जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में अपनाया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उप-धारा (v) में संशोधन का प्रस्ताव है।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान विशेष आर्थिक क्षेत्रों को और अधिक सफल बनाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जून, 2018 में, ठीक एक वर्ष पूर्व, पुणे के भारत फोर्ज के अध्यक्ष बाबा कल्याणी ने 21-सूत्रीय प्रतिवेदन रखी। मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन इसे अंधेरे में रखा गया था। मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि इस सरकार ने एस.ई.जेड. विचारों को लागू करने और उन्हें एक बेहतर संभावना में बदलने के लिए इन 21 टिप्पणियों में से कितनी टिप्पणियों को स्वीकार किया है।

जो एस.ई.ज़ेड. योजनाओं में भाग लेते हैं, उन्हें शून्य कर पर इतनी सारी सुविधाएँ मिलती हैं। किसी भी स्तर पर कोई कराधान नहीं है, न तो केंद्र की ओर से और न ही राज्य की ओर से। इसमें सीमा शुल्क का कवरेज भी मिलता है क्योंकि वे वस्तुएँ जो एस.ई.ज़ेड. क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं, भारतीय बाजारों में बिक्री के लिए नहीं हैं। इन्हें सीधे निर्यात किया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, तृणमूल कांग्रेस द्वारा

विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विचार का पूर्णतया विरोध[अनुवाद] करने का कारण यह है कि ये वस्तुएँ कई चरणों में खुले बाजार में आ जाती हैं और उन्हें उनके वास्तविक मूल्यों पर बेचा जाता है।

अत:, एस.ई.ज़ेड. योजनाओं और विचारों में इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। जहाँ तक एस.ई.ज़ेड. परियोजनाओं का संबंध है, तमिलनाडु बहुत आगे निकल चुका है। वह शिखर पर है। लेकिन कई मामलों में, अन्य राज्यों के मामले में, हमें लगता है कि एस.ई.जेड. परियोजनाएं उस तरीके से नहीं आ रही हैं जैसी कि उम्मीद की जा रही थी।

हम इसका विरोध भी करते हैं क्योंकि एस.ई.ज़ेड. और भूमि अधिग्रहण के बीच संबंध है। भूमि अधिग्रहण बलपूर्वक किया जाता है। कर्नाटक में कुछ दिन पहले तक स्थिति प्रतिस्पर्धा जैसी थी। हमने शुरू से ही भूमि पर किसी भी तरह के जबरन कब्जे का विरोध किया है। चीन में एस.ई.जेड परियोजनाएं आम तौर पर गैर-कृषि भूमि पर बनाई जाती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में, कृषि भूमि का उपयोग एस.ई.जेड. परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

तो, मेरा प्रश्न यह है कि किसानों से जमीन पर जबरन कब्ज़ा करके, जमीन की वास्तविक कीमत न बता कर, सरकार इन एस.ई.जेड. परियोजनाओं को कैसे और किस प्रकार आगे बढ़ा रही है या इसे सफल बना रही है?

एस.ई.ज़ेड. परियोजनाओं को अनेक सुविधाएँ आबंटित की जाती हैं। विचार-विमर्श की शुरुआत करते हुए, पीयूष गोयल जी कई और बातें कह सकते हैं कि भारत के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार्य बनाने के लिए वास्तविक विचार क्या हैं। लेकिन एस.ई.ज़ेड. के ये लघु क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती नहीं दे सकते।

अत:, जिस प्रकार से एस.ई.ज़ेड. की अवधारणा प्रस्तुत की जा रही है, इस परियोजना को दी जा रही पूरी थीम और प्रोत्साहन लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं है।

बहुमत वाली यह सरकार लोगों को मूर्ख बनाने की सोचती है; वे सोचते हैं कि वे सफलता सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अपने पक्ष में सब कुछ सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक

हमारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का संबंध है, हम भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के विस्तार के विचार का पूर्णत: विरोध करते हैं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. (धर्मपुरी):*वनक्कम,*माननीय सभापति महोदय यह मेरी मैडन स्पीच है।

मैं *'द्रविड़म के* गौरव' राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो *उत्तर में* वल्लुवर कोट्टम द्वारा दक्षिण में महान तमिल कवि, तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा तक फैला हुआ है। वह राज्य जो पेरियार की विचारधाराओं, पेरारिगनर अन्ना के सिद्धांतों, समाज सुधारक और दूरदर्शी, महान नेता, *कलैग्नार* और हमारे नेता, *थलापति, थिरु* स्टालिन, जो तीन नेताओं का व्यक्तित्व है, द्वारा पोषित है।

परिवर्तन हमारे भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य है, और हम 17वीं लोक सभा के लिए लोगों के जनादेश को नमन करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। मैं यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में डी.एम.के. गठबंधन ने 39 सीटों में से 38 पर जीत हासिल की है। हमारे गठबंधन भागीदारों और हमारे नेता की बेजोड़ और अद्वितीय कड़ी मेहनत, *थलापति तिरु* स्टालिन को श्रेय दिया जा रहा है। मैं यह भी दोहराना चाहूंगा कि डी.एम.के. पार्टी के सभी 23 सदस्य इसकी विचारधाराओं और सिद्धांतों पर आधारित हैं।

एन.डी.ए. शासन के दौरान, स्वर्गीय *मुरासोली* मारन, जो उस समय वाणिज्य मंत्री थे, ने संचार मंत्री *थिरू* दयानिधि मारन के सहयोग से विशेष आर्थिक जोन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणामस्वरूप, चेन्नई में नोकिया और फॉक्सकॉन जैसी प्रसिद्ध कंपनियां स्थापित हुईं। विकास और सामाजिक-आर्थिक वृद्धि की जड़ों को कांग्रेस शासन द्वारा सोचा, संसाधित, कार्यान्वित और विकसित किया गया था, जिसमें डी.एम.के. एक हिस्सा था। वर्तमान सत्ताधारी दल हमारी कड़ी मेहनत और मेहनत का फल भोग रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से पारित करने की इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि संशोधन किसी भी तात्कालिकता या किसी गंभीर महत्व को नहीं बढ़ाता है। "ट्रस्ट या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई इकाई" वाक्यांशों को शामिल करने से संदेह पैदा होता है कि ट्रस्ट और इकाई की नई जोड़ी गई शर्तों के परिणामस्वरूप एस.ई.जेड. अधिनियम में वांछित संशोधन कैसे होंगे, जो विदेशी कंपनियों को विशेष दर्जा, भूमि और अन्यरियायती दरों पर आवश्यकताएं और सुविधाएं

प्रदान करता है। चूँकि ट्रस्ट गैर-लाभकारी संगठन हैं, इसलिए ईसाई, मुस्लिम और अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा संचालित ट्रस्टों का एक बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया है। एक संशोधन द्वारा और विशेष रूप से एक अध्यादेश के माध्यम से इस शब्द को शामिल करने का उद्देश्य संशोधन के इरादे के बारे में कई प्रश्न उठाता है। ऐसे असंख्य बादल हैं जिनके बारे में संदेहास्पद अनुमान लगाया जा सकता है।

इस सरकार का संशोधन विधेयक में ट्रस्ट को शामिल करके ज्ञात लोगों की सहायता करने का एक छिपा हुआ एजेंडा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि यह संशोधन कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पेश किया जा रहा है, जो सरकार के करीबी हैं। कई व्यापारी एस.ई.ज़ेड. में रुचि रखते हैं ताकि वे सस्ती दरों पर भूमि का अधिग्रहण कर सकें और अपने लिए एक भूमि बैंक बना सकें। इसलिए, परियोजना का संपूर्ण उद्देश्य और उद्देश्य कमजोर नहीं होना चाहिए निहित स्वार्थ। लागू किए गए एस.ई.ज़ेड. के सभी मॉडलों ने सफल परिणाम नहीं दिए थे। तिरूनेलवेली निर्वाचन जोन में नंगुनेरी एस.ई.जेड. अभी तक शुरू नहीं हुआ है और वांछित लाभ नहीं मिला है, और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आपूर्ति संचालित दृष्टिकोण के बजाय माँग आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। कृषि भूमि को खाली करने के लिए संशोधन समय की माँग है।

रोजगार और आर्थिक एनक्लेव के साथ एम.एस.एम.ई. के एकीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। आर्थिक जोन के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार और एस.ई.जेड. में काम करने वाली कंपनियों के बीच सहयोग सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। तमिलनाडु में ए.डी.एम.के. शासन के सहयोग न करने के कारण नोकिया और फ़ॉक्सकॉन जैसी स्थापित कंपनियों का बंद होना एक उपयुक्त उदाहरण होगा। प्रभावी एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली के लिए राज्य सरकार से समर्थन की कमी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक राज्य जिसे कालिंजर के शासन के दौरान तमिलनाडु में उद्योग स्थापित करने वाले सभी प्रमुख ऑटो निर्माताओं के कारण "दक्षिण का डेट्रॉयट" कहा जाता था, अब और प्रमुख ऑटो विनिर्माण कंपनियों तथा अन्य उद्योगों को लाने का अवसर खो चुका है और अब वे पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित हो रहे हैं।

चूँकि वर्तमान राज्य सरकार के साथ व्यापार सुगमता निरर्थक साबित हुई है, इसलिए मैं प्रक्रियागत देरी, अवसंरचनात्मक बाधाओं, सरकारी नीतियों में अनिश्चितता, विशेष रूप से एस.ई.ज़ेड. के सुचारू और सफल कामकाज के लिए कर को दूर करने का सुझाव देना चाहूँगा। इसलिए, मैं सभापति के माध्यम से माननीय वाणिज्य मंत्री से इस विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक को लाने पर मेरे डर को दूर करने का अनुरोध करता हूं।

मैं विशेष आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वे उन श्रम कानूनों के अंतर्गत नहीं आते हैं जो पूरे भारत में लागू हैं। जबकि कारखानों और फर्मों को रियायतें और महत्त्व देने पर जोर दिया जाता है, मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने या नौकरी के लिए अपनी सौदेबाजी क्षमता बढ़ाने के उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है जिसके वे हकदार हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वाणिज्य मंत्री से भी कहना चाहूँगा कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुरी में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करें जो मेरे राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। मेरे जिले में शिक्षित युवाओं के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है क्योंकि वहाँ कोई कारखाने या कंपनियाँ नहीं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुरी में, स्कूली शिक्षा के बाद स्नातक कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों का प्रतिशत राज्य और राष्ट्रीय प्रतिशत की तुलना में सबसे अधिक है। धर्मपुरी का सकल प्रतिशत 98.4 है, जबकि तमिलनाडु का औसत प्रतिशत 48.6 और अखिल भारतीय प्रतिशत 25.8 है।

हमारे अधिकांश ग्रामीण छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है क्योंकि वे अपनी आर्थिक स्थिति और सी.बी.एस.ई. पर आधारित परीक्षा के कारण नीट की कोचिंग के लिए एक बड़ी धनराशि खर्च करने में सक्षम नहीं हैं, जबकि उनके शिक्षण का तरीका राज्य द्वारा समान शिक्षा है। इसलिए, अधिकांश शिक्षित युवा राज्य के बाहर नौकरियां तलाश रहे हैं।

मैं यह देखकर हैरान था कि दिल्ली में संसद के अंदर और बाहर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश लोग हैं। बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, पानी की भारी कमी के कारण कृषि उपज में गिरावट और कावेरी ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार कावेरी का पानी नहीं छोड़ने से मेरा निर्वाचन क्षेत्र विकास में सक्रिय भागीदारी से वंचित है। सितलिंग, चिथेरी और कलसापाडु की पहाड़ियों में लगभग दस जनजातीय गाँव[अनुवाद] बुनियादी

सड़क सुविधाओं से वंचित हैं। वे अपने गाँव तक मिट्टी और चट्टानों के रास्तों से पहुँच सकते हैं। सड़कों की कमी के कारण एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाएँ गाँव तक नहीं पहुँचने के कारण कई लोगों की जान चली गई है। यह अफ़सोस की बात है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी हमारे कई गाँवों की स्थिति दुर्गम हैं।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सरकार परिवारों को खुशियाँ प्रदान करे और लाखों कुशल तथा प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन में रोशनी लाए, जो धर्मपुरी में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने पर सरकार के प्रति कृतज्ञ और आभारी होंगे। मैं "समाज के प्रति कर्तव्य" के अंतर्गत तिरुक्कुरल का एक दोहा उद्धृत करना चाहूंगा।

“पयवमारम उल्लूरप पझाथत्राल सेल्वम नयनुदैयन कनपदीन”

"सदाचारी और परोपकारी व्यक्ति के पास जो धन होता है, वह बस्ती के बीच में लगे फल देने वाले पेड़ के समान होता है, जिसके फल सभी को लाभ पहुंचाते हैं। "

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): महोदय, मुझे इस महती सभा में विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

सर्वप्रथम, इस महती सभा में यह मेरा प्रथम भाषण है। मैं इस अवसर पर अपने वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी गारू को धन्यवाद देती हूँ। मैं श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी गारू को भी धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान काकीनाडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में पीड़ित किसानों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। इस महती सभा में, यह मेरा प्रथम भाषण है और मैं अपनी मातृभाषा तेलुगु में बोलना चाहूँगी।

**... . *इस संदर्भ में, मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री के ध्यान में मेरे निर्वाचन जोन में किसानों को होने वाली परेशानी की ओर लाना चाहता हूं। यह एक छोटा संशोधन विधेयक है, जिसे पहले ही अध्यादेश के माध्यम से लाया जा चुका है। इससे पहले कि मैं इस संशोधन का स्वागत[अनुवाद] करूँ, मैं किसानों के मुद्दों को उजागर करना चाहूँगी। अभी-अभी माननीय सदस्य रूडी ने कहा कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित 45,000 एकड़ भूमि में से 5000 एकड़ में भी उद्योग स्थापित नहीं किए जा सके। माननीय मंत्री जी, काकीनाडा एस.ई.ज़ेड. के पास 10,500 एकड़ भूमि है जिसे 2005 में आवंटित किया गया था, एस.ई.ज़ेड. को मंजूरी देने के 14 वर्षों के बाद भी एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सका है। किसान अनाथों की तरह आँसू बहा रहे हैं। भूमि दिखाई देती है लेकिन वे खेती नहीं कर सकते। खेतिहर मजदूर खाली जमीन देख सकते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। किसान हमारे देश का पेट भरते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

** मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह जल्द ही मनाया जाएगा, ग्राम स्वराज्य एक ऐसी चीज है जहां गांधीजी का मानना था कि पूरा देश गांवों में रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में किसान और गाँव गंभीर संकट में हैं। महोदय, विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान किए जाने के 14 वर्षों के बाद भी किसानों को आजीविका नहीं मिल रही है। किसान हमें खिलाते हैं, लेकिन उन्हें खिलाने वाला कोई नहीं है। कोई भी उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले 14 वर्षों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैं पिछले दस वर्षों से उनके आंदोलन का हिस्सा हूँ, लेकिन किसी को भी किसानों के हितों की चिंता नहीं है। पिछले 5 वर्षों में, मैंने यह सुनिश्चित किया कि आंदोलनकारी किसानों के विरुद्ध एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। लेकिन महोदय, मैं इस तथ्य से शर्मिंदा हूँ कि पिछले 5 वर्षों में कुछ किसानों को केंद्रीय जेलों में बंद कर दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली सरकार ने किसानों को जेल भेजने में संकोच नहीं किया।

जब हम किसानों को अन्नदाता और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी न टूटे। महोदय, वर्ष 2013 में बनाए गए कानून के अनुसार, यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्धारित समय में भूमि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो भूमि वापस ली जा सकती है। जहाँ भी एस.ई.ज़ेड. अभी तक कार्य नहीं कर रहे हैं और जहाँ भी एस.ई.ज़ेड. के लिए उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन भूमि को वापस लिया जाना चाहिए और किसानों को सौंप दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती हूँ कि ऐसी कार्रवाई की जाए।

माननीय सभापति महोदय, किसानों ने इस संबंध में न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया और मामले दायर किए। यद्यपि कुछ भूमि वापस लाई जा सकती थी, बाकि जितनी भी भूमि है, उनमें एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सका। मैं माननीय मंत्री जी से इस स्थिति का संज्ञान लेने का अनुरोध करती हूँ। जब सरकार इतने प्रोत्साहन दे रही है, तो कोई उद्योग स्थापित क्यों नहीं किया गया है?कर में छूट दी गई है और भूमि अधिग्रहण भी हैं, लेकिन अभी भी इन एस.ई.ज़ेड. में कुछ भी नहीं आया है।

वर्ष 2005 में, इन भूमि को 3 लाख रुपये प्रति एकड़ की लागत से अधिग्रहित किया गया था और अब इन्हें 50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से बेचा जा रहा है। इन पहलों से किसे लाभ हो रहा है?माननीय मंत्री महोदय, किसानों के बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। उनकी भूमि न्यायालयों के पास है और वह पुलिस

स्टेशनों और जेलों में हैं। इन 10,500 एकड़ में गाँव हैं। मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, सामुदायिक सभागार और स्कूलों को ध्वस्त कर दिया गया। इन खंडहरों में, किसान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या है। चूँकि एस.ई.ज़ेड. पूरी तरह से खाली नहीं हुए हैं, इसलिए इन भूमि पर गाँव हैं और लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास कोई सड़क या बस की सुविधा नहीं है। उनके पास बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं।

इस संदर्भ में, मैं इन मुद्दों को माननीय मंत्री जी के ध्यान में ला रही हूँ। महोदय, प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र की जाँच किए जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहलों का उल्लेख किया। विकास क्या है? क्या यह किसानों को बर्बाद करना है?क्या यह किसानों और उनके परिवारों को परेशान करना है? कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है?इन मुद्दों को समझने और इन समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण से आगे बढ़कर देखने की आवश्यकता है। उन भूमि पर रहने वाले लोग और किसान कैसे प्रभावित होते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं काकीनाडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जहाँ काकीनाडा एस.ई.ज़ेड. स्थित है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के एस.ई.ज़ेड. के पीड़ितों की ओर से, मैं उनकी समस्याओं को उजागर करूँगी। मुझे उनके हितों की रक्षा करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने अपने पहले भाषण में किसानों के मुद्दों को उजागर किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं युवाओं के लिए बेरोजगारी के एक अन्य मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार हमारे देश में 423 एस.ई.ज़ेड. अनुमोदित हैं, इसमें सुधार किया जा सकता है। इन एस.ई.ज़ेड. से किसे लाभ हो रहा है। कृपया काकीनाडा एस.ई.ज़ेड. के बारे में पूछताछ करें, जहाँ आज तक कोई रोजगार सृजित नहीं किया जा सका है। एस.ई.ज़ेड. के माध्यम से युवाओं को विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के नाम पर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो सही नहीं है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें। एस.ई.ज़ेड. हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही किसानों और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हित भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन एस.ई.ज़ेड. से रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। काकीनाडा एस.ई.ज़ेड. के

किसानों की समस्याओं का उचित तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। इन मुद्दों को हल करने के बाद ही इन एस.ई.ज़ेड. में विकास होना चाहिए। किसान खुश और संतुष्ट होने चाहिए। और हमें उनकी समस्याओं का उचित समाधान करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। *

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक जो आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 2005 के बाद एक अत्यावश्यक भाव ऐसा है कि इसमें सुधार करने की जरूरत थी, संशोधन करने की जरूरत थी। आप संशोधन करके फिर एक बार बिल यहां लाए हैं।

महोदय, आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। भारी संख्या में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लोगों, युवा-जवानों के हाथों के लिए जो काम चाहिए, आज उसकी उपलब्धता नहीं है। मुंबई में एक बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। लाखों की संख्या में वर्कर्स वहां काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई और लाखों घरों के दु:ख सामने आ गए। मुंबई में ऐसी कई बड़ी कंपनीज, जैसे प्रीमियर, कमानी वगैरह थीं। हमारे श्रीरंग बारणे जी जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, लेकिन हर वर्ष कोई न कोई कंपनी बंद हो जाती है। उसका व्यवहार बंद हो जाता है। हालांकि जैसे 4 महीने पहले जेट एयरवेज बंद हुई, तो 10 से 12 हजार वर्कर्स रास्ते पर आ गए। उनका भविष्य अंधेरे में छा गया। ऐसे वक्त में खास कर इस देश में रोजगार की निर्मिति कैसे हो सकती है। स्वयं रोजगार की तरफ चलें, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो भी ग्रेजुएट होते हैं, उनमें सारे के सारे लोगों को नौकरी मिलनी ही चाहिए, ऐसी उनकी अपेक्षा रहती है।

नौकरी की उपलब्धता कैसे करा सकते हैं, इसलिए ऐसे इकोनोमिक जोन तैयार करके आने वाले जो उद्योग है, आने वाली जो इंडस्ट्री है, उन्हें संरक्षण देने की जरूरत है, उन्हे फैसिलिटी देने की जरूरत है। आज दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग क्यों नहीं आते। पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र स्टेट में है। पानी का बिल महंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल महंगा और बाकी के टैक्सेज भी सीमा पार करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री को आने नहीं देते हैं, ये गुजरात या गोवा में जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार होता है तो उन्हें कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। जो भी उद्योग लगाने वाले लोग हैं, जो भी उद्योगपति हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। शिव सेना हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हमेशा बोलते

थे कि जैसे वर्कर्स के साथ हम लोग रहते हैं, वैसे ही उद्योगपतियों को भी संरक्षण देने की जरूरत है। एक उद्योगपति के माध्यम से एक हजार लोगों को रोजगार मिलता है और एक हजार परिवारों का संरक्षण होता है। आज मंत्री महोदय ने बिल लाकर इसमें एक सुलभता का निर्माण किया है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

मैं एक विनती करना चाहता हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लोग विरोध क्यों करते हैं? जहां अच्छी खेती होती है, जहां फल का उत्पादन होता है, दुर्भाग्य से वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं होना चाहिए। वहां की भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अगर वहां एसईजेड की जाती है तो लोग रास्ते पर उतरते हैं, आंदोलन करते है। उनके आंदोलन को देखकर इकोनॉमिक जोन का जो ऑर्डिनेस है या गजेट है, उसे वापस लेना पड़ता है। जहां अन्न उत्पादक भूमि है, जहां बैरन लैंड है वहां आप ज्यादा से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करें। चाहे देशी उद्योगपति हों या परदेश से आने वाले उद्योगपति हों, उनका स्वागत इस देश में होना चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के इस कार्यकाल में एफडीआई का जो कन्सेपट आया, उससे ऐसा हुआ कि अब ज्यादा से ज्यादा परदेशी उद्योपतियों को लगता है कि अपने देश में एक अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है। दुर्भाग्य से इंडस्ट्री बंद क्यों होती है? हमारे देश में यूनियनबाजी ज्यादा होती है। यूनियन के माध्यम से आंदोलन करें या डिमांड रखें, इंडस्ट्री बंद करे, एक ऐसा भी वक्त था। सौभाग्य से अब यह कम हो चुका है। हम सभी लोग चाहते हैं कि देश में उद्योग आएं। हम सभी चाहते हैं कि सरकार को ऐसे उद्योगों को सहूलियतें देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। टैक्स एक्जम्पशन, जैसे सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, प्रोफेशन टैक्स हो या वैट हो। टैक्सेशन में ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देकर देश में आने वाले उद्योगों का स्वागत करना चाहिए। यह संशोधन विधेयक भविष्य के लिए अच्छा होगा और भारत के उद्योग क्षेत्र में भी एक नया परिवर्तन होगा, ऐसी मेरी धारणा है। मैं एक बार फिर मंत्री महोदय का अभिनंदन करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[हिंदी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, मैं (विशेष आर्थिक जोन) संशोधन विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछली एनडीए सरकार इस संशोधन पर अध्यादेश ला चुकी है, अब इसे कानून बनाने पर चर्चा कर रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा एफ में संशोधन के बाद अधिसूचित ट्रस्ट या कोई कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी कोई इकाई स्थापित करने की हकदार हो जाएगी। इसके साथ ही केन्द्र सरकार को समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने की सहूलियत भी हो जाएगी।

अभी जो नियमन है उसमें सेज (विशेष आर्थिक जोन) में ट्रस्ट को इकाई लगाने की अनुमति नहीं है। संशोधन के बाद सेज (विशेष आर्थिक जोन) में निवेश को बढ़ावा मिलेगा जैसा देखा गया है कि देश में अधिकांश औद्योगिक घराने किसी न किसी ट्रस्ट को स्थापित कर उसके द्वारा निवेश को प्राथमिकता देते हैं।

अत: सरकार द्वारा उठाया गया कदम काफी अच्छा है। इससे एस.ई.जेड. में उद्योगों की स्थापना में बढ़ोतरी होगी। अब विदेशी निवेशकों में भी आत्म-विश्वास जगेगा। रोजगार भी सृजन होगा। साथ ही साथ निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी।

महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार पिछड़ा प्रदेश है। श्री रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास है। बिहार में औद्योगिक क्रान्ति लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारे नेता और बिहार के मुख्य मंत्री जी लगातार प्रयास करते रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सात एस.ई.जेड. हैं। राज्य और निजी क्षेत्र द्वारा 11 एस.ई.जेड. स्थापित है। 420 प्रस्तावों को हरी झण्डी दी गई है। वर्तमान में 355 अधिसूचित एस.ई.जेड. में से कुल 223 एस.ई.जेड. कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि छोटे-छोटे राज्यों में एस.ई.जेड. की स्थापना की अनुमति दी गई, फिर भी बिहार जो प्रगति के पथ पर है, पिछड़ा राज्य है, वहां उसकी अनदेखी की गई है।

सभापति महोदय, एस.ई.जेड. अधिनियम-2005 की मूल भावना से निर्यात संवर्धन एवं संबंधित बुनियादी ढाँचे के सृजन में राज्य सरकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका की परिकल्पना की गई है, किंतु मैं

खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछली सभी सरकारों ने बिहार की एस.ई.जेड. की स्थापना में अनदेखी की है। जिसका जीता-जागता उदाहरण है कि बिहार में एक भी एस.ई.जेड. के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए मंजूरी नहीं दी गयी है। जबकि छोटे-छोटे राज्यों को भी इस केटेगरी में शामिल किया गया है। एस.ई.जेड. एक ऐसा अधिनियम है, जिसके द्वारा निवेशकों को छूट देकर इकाई लगाने के लिए आकर्षित किया जाता है। अगर बिहार के हित की बात केंद्र सरकार को करनी है तो मेरी मांग है कि वहाँ भी एस.ई.जेड. के तहत इकाई लगाने की अनुमति केंद्र सरकार को देनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिहार में एस.ई.जेड. की स्थापना करे जिससे कि वह बिहार के लोगों को भी उद्योग लगाने में आसानी हो, विदेशी निवेशक आए और बेरोजगारों को भी रोजगार मिले। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाईटेड की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, धन्यवाद

मैं विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित 2019 के इस संशोधन विधेयक पर विचार-विमर्श करना प्रारंभ करता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने बहुत सही उल्लेख किया है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की अवधारणा 1965 में तैयार की गई थी और इसे सबसे पहले कांडला में शुरू किया गया था। जब भी कोई नई सरकार आती है तो वह चाहती है कि नई योजना हो या पुरानी योजना नए नाम से बन जाए; और इसलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र की यह अवधारणा अस्तित्व में आई।

जहां तक मुझे याद है, जब इस सभा में इस विधेयक पर विचार किया जा रहा था और अंततः 2005 में इसे पारित किया गया था, उस समय पूरा विपक्ष अनुपस्थित था। हमने विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया। एस.ई.ज़ेड. पर विधेयक पर कुछ आपत्तियां उठाने वाली एकमात्र पार्टी की केवल एक बड़ी आपत्ति थी: एस.ई.ज़ेड.में व्यापार संघवाद की अनुमति देना। वे वाम मोर्चा के सदस्य थे। सभा के पटल पर की गई प्रतिबद्धता जिसे तत्कालीन सरकार द्वारा और बाद में उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया था, ये हम सभी देख सकते हैं।

अभी भी शिवसेना के माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का मूल उद्देश्य भारत को अन्य देशों के बराबर लाने में सक्षम बनाना है जो अपने उत्पादों या वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं ताकि हम प्रतिस्पर्धी बन सकें। माननीय सदस्य द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। इस सभा में मंत्री श्री मुरासोली मारन ने इस विचार पर व्यापक अध्ययन किया था कि यदि चीन अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को विकसित कर सकता है और विश्व बाजार पर कब्जा कर सकता है, तो वे अपने उद्यमियों को क्या लाभ प्रदान कर सकते हैं ताकि वे अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें जिन्होंने वास्तव में विश्व बाजार पर कब्जा करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

यदि एक एशियाई देश, जैसा कि उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के एशियाई बाघ कहा जाता था, विश्व बाजार पर कब्जा कर सकता है – चीन ने अंततः उन्हें पछाड़ दिया और विश्व बाजार पर कब्जा कर लिया - हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते?हमारा पहले भी एक उद्यम है, जो 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था,

लेकिन बाद में ज्यादा काम नहीं हुआ। मुझे लगता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र और संबंधित राज्य सरकारों के निर्माण का कारण है, क्योंकि भूमि राज्य की है, उन्हें भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया गया था।

इसके बाद, जैसे-जैसे बहस चलती गई, इस सभा में सवाल उठे कि एस.ई.जेड. के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है और क्या यह केवल रियल एस्टेट को विकसित करने के लिए किया जा रहा है; यदि ऐसा है तो इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। उस वक्त तत्कालीन वाणिज्य राज्य मंत्री ने सबसे आगे की कतार में खड़े होकर कहा था कि हैदराबाद की एक इमारत को भी विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कोलकाता के पास एक, तीन मंजिला इमारत भी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भूमि कोई मापदंड नहीं है। वह अपनी बात के इतने पक्के थे कि सूरत में एक इमारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र भी स्थापित किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति हीरा उद्योग से जुड़ा था।

मूल विचार, जिस आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया था, वह यह था कि निवेश बाहर से आएगा, स्वदेशी निवेश भी होगा लेकिन जो तकनीक बाहर से आ सकती है वह तुलनात्मक रूप से शुल्क मुक्त होगी। यह कर भुगतान के सभी झंझटों से मुक्त होगा क्योंकि यह उन प्रमुख समस्याओं में से एक थी जिसका जिक्र ज्यादातर निवेशक हमेशा करते थे। इस प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्र अस्तित्व में आया।

मेरे अच्छे मित्र श्री रूडी जी लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आए कुछ सुझावों के बारे में बता रहे थे। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने ये जानकारी स्वदेशी जागरण मंच को क्यों नहीं दी या उन्होंने वह सारी जानकारी स्वदेशी जागरण मंच से जुटाई है ताकि वे मंत्री के साथ बैठ सकें और इस मुद्दे को सुलझा सकें। इस तरह हम बेहतर तरीके से प्रगति कर सकते हैं।

श्री पीयूष गोयल: मैं स्वदेशी जागरण मंच का भी बहुत सक्रिय सदस्य रहा हूं और मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि उन्होंने भारतीय उद्योग, विशेष रूप से छोटे उद्योग, कारीगरों और हस्तशिल्प निर्माताओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और, इसलिए, ऐसे किसी भी उद्देश्य का श्रेय स्वदेशी जागरण मंच को देने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब: 'मालिक का अभिमान पड़ोसी की ईर्ष्या है' एक विज्ञापन है जो शायद ओनिडा टेलीविजन के माध्यम से मुंबई से आया था मुझे नहीं पता कि यह मौजूद है या नहीं लेकिन यह क्लिप हमेशा सभी के दिमाग में रहती है। अहंकार और ईर्ष्या दोनों ही मनुष्य के लिए अच्छी चीजें नहीं हैं।

[हिंदी]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): लेकिन उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं उसका फाउण्डर मेंबर हूं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदय, क्या श्री निशिकान्त दुबे और श्री राजीव प्रताप रूडी को सदस्यों को परेशान करने के लिए तैनात किया गया है?वे वरिष्ठ सदस्य हैं, अच्छे वक्ता हैं और उनके पास अच्छा काम करने की पर्याप्त गुंजाइश है। …(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*…(व्यवधान)***

[हिन्दी]

माननीय सभापति : महताब जी, आप अपनी बात कहिए।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : ये वे बिंदु हैं जिन पर मैंने कई बार स्वदेशी जागरण मंच से बातचीत की है। अपने स्वदेशी उद्यमियों की रक्षा करना हमारे देश के हित में है। मैं एफ.डी.आई. के पहलू पर बाद में आऊंगा बशर्ते मुझे समय दिया जाए।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन सरकार को अध्यादेश का रास्ता अपनाने से बचना चाहिए। यह बात श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, डॉ. शशि थरूर और श्री सुदीप बंधोपाध्याय पहले ही कह चुके हैं। लेकिन मैं यहां सिर्फ इसका जिक्र करना चाहूंगा। संविधान में निहित तात्कालिकता पर्याप्त नहीं है। जो तर्क दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा कि इसे यहां लाने की क्या जल्दी थी।

अपराह्न 5.01 बजे (श्रीमती मीनाक्षी लेखी *पीठासीन हुईं*)

इस विधेयक में केवल एक चीज का उल्लेख किया गया है कि आप दो शब्दों में एक संशोधन कर रहे हैं, 'एक ट्रस्ट' या 'कोई इकाई'। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मैं 'एक ट्रस्ट' या 'कोई इकाई' लाऊं। इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से बाद में नियमों में परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन मुझे जिस बात पर आपत्ति है, वह यह है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है। यहां, मेरी आपत्ति नीति पर एक कानून से संबंधित है। यह गैर- भेदभावपूर्ण और बिना किसी विवेक के होना चाहिए। सरकार को जितना कम विवेकाधीन अधिकार दिया जाए, उतना ही अच्छा है। पिछले दस सालों में हमने अपने देश में क्या देखा है?अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के पास हैं। अधिक गड़बड़ी हुई है। तो, आप इसमें ये क्यों ला रहे हैं - 'एक ट्रस्ट' या 'कोई इकाई' जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए? इसे सरकार द्वारा अधिसूचित क्यों किया जाना चाहिए? आप थोड़ी अड़चन डाल रहे हैं या आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह आपके कार्यकाल के दौरान नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे कानून में शामिल कर लेते हैं, तो यह बाद में हो सकता है।

एस.ई.ज़ेड. नीति अप्रैल, 2000 में शुरू की गई थी। एस.ई.ज़ेड. अधिनियम वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया था। वर्ष 2006 में नियम बनाए गए थे। इसमें मुख्य्य विशेषताएं क्या हैं? मैं इसका पूरा वर्णन नहीं करने जा रहा हूं - 'एक प्राध्किृत शुल्क मुक्त एन्क्लेव को एक जोन के रूप में माना जाएगा'।

मैडम, क्या आप चाहती हैं कि मैं अभी बोलना बंद कर दूँ?

माननीय सभापति: नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप समाप्त कर दें।

श्री भर्तृहरि महताब: तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नहीं था। लेकिन शुरुआत में इस विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय दिया गया। हमारे पास एक और घंटा है।

माननीय सभापति: हमारे पास कई अन्य दलों की सूची है और कई अन्य प्रतिभागी भी हैं। तीन मिनट के बजाय दस मिनट पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो, यह इस कारण से है, आप बस समाप्त कर सकते हैं और अपनी बातों को छोटा और संक्षिप्त बना सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे पाँच मिनट चाहिए और मैं पाँच मिनट में समाप्त कर दूँगा।

माननीय सभापति:महोदय, कृपया दो मिनट का समय लें।

श्री भर्तृहरि महताब:दो मिनट का कोई मतलब नहीं है। मैं 18 साल बाद पहली बार यह कहूंगा कि इस सदन में एस.ई.ज़ेड. की प्रगति पर विचार किया जा रहा है। यह विधेयक हमें अपने देश में एस.ई.ज़ेड. के कामकाज की समीक्षा करने का अवसर देता है। क्या हुआ था?अलग-अलग शासनों या सरकारों के दौरान एस.ई.ज़ेड. के विचार के विकास के लिए जो प्रतिबद्धता की गई थी, उसे कुचल दिया गया। मैट थोप दिया गया था हालांकि कुछ वादे किए गए थे कि इसे थोपा नहीं जाएगा। आयकर लगाया गया था, हालांकि एक वादा किया गया था कि यह अमुक तिथि तक नहीं लगाया जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है और हमें माननीय मंत्री जी से जवाब चाहिए। अगर मुझे कम समय दिया जाता है तो मैं इन सभी मुद्दों को नहीं उठा पाऊंगा। इन मुद्दों को दोहराया नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे किसी और ने उठाए हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने एक प्रतिवेदन का जिक्र किया। वह प्रतिवेदन छह महीने के भीतर श्री बाबा कल्याणी द्वारा संकलित किया गया था। देखिये, क्या कहता है वह प्रतिवेदन? वह प्रतिवेदन इस संशोधन में परिलक्षित नहीं होता है। मैं उस प्रतिवेदन की बारीकियों में नहीं जा रहा हूं, हालांकि मेरे पास सभी विवरण हैं और मेरे पास वह प्रतिवेदन भी है लेकिन मैं इसे मंत्री जी से समझना चाहूंगा। बीते दिसंबर में, जब राज्य सभा में एक सवाल उठा था कि आप उस प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं या नहीं, जो उत्तर दिया गया वह यह था कि यह विचाराधीन है। कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया था और एक बिंदु यह था कि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता एस.ई.ज़ेड. का विचार था और अब यह विनिर्माण प्रतिस्पर्धा है जिसे लाया जा रहा है। क्या विश्व बाजार के साथ व्यापार प्रतिस्पर्धा और स्वदेशी बाजार के लिए विनिर्माण प्रतिस्पर्धा है? एस.ई.ज़ेड. के लिए वास्तव में क्या किया जा रहा है?

ओडिशा में हमारे पास पांच एस.ई.ज़ेड. हैं। देश में ऐसे भी राज्य हैं जहां कई एस.ई.ज़ेड. हैं। हमारे पास एस.ई.ज़ेड. से संबंधित कुछ मुद्दे हैं लेकिन यहां मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि उस समिति ने जिन तीन ई का उल्लेख किया है, उनके संबंध में सरकार की क्या स्थिति है। इसका मतलब रोजगार और आर्थिक परिक्षेत्रों से है। क्या आप एस.ई.ज़ेड. का नाम बदल रहे हैं? सरकार क्या सोच रही है?मसौदे का कितना हिस्सा स्वीकार किया गया है या आप अभी भी कुछ और डाटा मांग रहे हैं जैसा कि पिछले दिसंबर में कहा गया था?क्या आपको अमेरिका के *संरक्षणवाद* के कारण अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध होने तक और समय चाहिए? अमेरिकियों के लिए अमेरिका। हमने भारतीयों के लिए भारत भी सुना। हम कुछ समय के लिए विवाद पर सो सकते हैं लेकिन यहां एक अवसर है और विचार किया जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के दबाव के कारण हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और हमें एस.ई.ज़ेड. प्रावधान पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। आप इसे क्यों करना चाहते हैं? क्या चीन ऐसा कर रहा है या अन्य देश कर रहे हैं?यह वास्तव में किसकी मदद करता है? मेरी राय है कि तीन ई निर्यात से प्रोत्साहन लिंकेज से दूर हो जाएंगे और इसलिए एस.ई.ज़ेड. के निर्माण के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा की स्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

अंतिम बिंदु, जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा, वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। इसमें विचार था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा। मैं अपने देश में एफ.डी.आई. के पिछले पांच वर्षों के प्रवाह को

नहीं ले रहा हूं। पिछले वर्ष 2017 के पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई थी। क्या ट्रस्ट और संस्थाओं को जोड़ने का यह प्रावधान हमारे देश में अधिक एफ.डी.आई. लाएगा? अगर ऐसा होता है तो इस कदम का समर्थन किया जाएगा। अगर इन तीन महीनों के बीच ऐसा हुआ है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन आज विश्व व्यापार में सन्नाटा छाया हुआ है। विश्व बाजार में आज यह गिरावट में है। क्या हम एस.ई.जेड. में और निवेश की उम्मीद कर रहे हैं? बहुत-सी चीजें करने की जरूरत है। कुछ कॉस्मेटिक बदलाव न करें। यह प्रतिवेदन आपके सामने है। वित्त मंत्रालय का भी एक पूर्ण अध्ययन है। यह वित्त मंत्रालय के समक्ष है। मुझे लगता है कि आप भी इससे वाकिफ हैं। आप इस पर चर्चा करके इसे सुलझाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): सभापति महोदया, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इसलिए मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगी।

माननीय सभापति: आपका माइक ऑन नहीं है।

श्री पीयूष गोयल: वह बहुत ही मृदुभाषी हैं।

श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले: हम एक ही राज्य से आते हैं और इसलिए आज वह मुझसे अच्छी बातें कह रहे हैं।

मैं कई बिंदुओं को दोहराना नहीं चाहूंगी लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इस विधेयक के समर्थन में खड़ी हूं क्योंकि एस.ई.जेड. एक ऐसी चीज है जो रोजगार सृजन के लिए राष्ट्र के हित में है। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूं। श्री महताब जी ने जो कहा उससे मैं और मंत्री जी को कुछ पता चलेगा। क्या हम व्यापार से विनिर्माण की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हम विनिर्माण की ओर बढ़ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा कल्याणी प्रतिवेदन जिसका उल्लेख श्री महताब जी ने किया है - आज ज्यादातर लोगों ने इस प्रतिवेदन को पढ़ा है - यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है क्योंकि वह देश के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक है और उन्होंने भारत के स्वदेशी विकास में योगदान देने में असाधारण रूप से अच्छा काम किया है। संयोग से वह उसी जिले और राज्य से आते हैं जिससे मैं आती हूं और इसलिए मुझे बहुत गर्व है कि महाराष्ट्र राज्य एस.ई.जेड. के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहा है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं। मंत्री जी ने सीधा सवाल किया कि इस पूरे विधेयक में आपने कितनी सिफारिशें ली हैं जो उनकी ओर से आई हैं? मुझे लगता है, इस मामले में अभी भी बहुत हिचकिचाहट है। उन्होंने केवल 'ट्रस्ट' शब्द लिया है।

मैं इस तथ्य की सराहना करती हूं कि यह एक छोटा विधेयक है लेकिन महताब जी ने कहा कि हर नीति में समय के साथ बदलाव और नवीनता लाने की जरूरत होती है। अगर आप एस.ई.जेड. का इतिहास देखें, तो वे शायद 20 साल पहले आए थे जब हमने पहली बार शुरुआत की थी। उसके बाद कई सरकारें

आई। स्वर्गीय मुरासली मारन ने इसे किया; तब श्री कमलनाथ, डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वाणिज्य मंत्री थे। लेकिन मुझे लगता है, अब मुद्दे बदल गए हैं। एक समय था जब विकास हो रहा था और हम केवल कारों के निर्माण में लगे हुए थे। एस.ई.जेड. केवल आयात के लिए थे। आज, नई तकनीक क्या है? आज हर चीज में चिप है और हर चीज में बैटरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ही भविष्य है। तो, क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स में एस.ई.जेड. को आगे ले जा रही है, जिसके लिए बड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत है? आज बहुत से एस.ई.जेड. अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी ने 'प्लग एंड प्ले' की बात की। मैं उसकी सराहना करती हूँ। क्या यह वास्तव में एक वास्तविकता है? यह आपकी सरकार *बनाम* हमारी सरकार के बारे में नहीं है। आप भी अब पांच साल से सरकार में थे। तो, अब आपके पास अपनी पीठ थपथपाने के कम कारण हैं। पांच साल का समय काफी होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आप भूमिकारूप व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि चाहे बिजली हो, परिवहन या रसद, क्या हम एस.ई.जेड. को अधिक लचीलापन दे सकते हैं?बहुत सारी कंपनियाँ एक बंदरगाह और विमानपत्तन में निवेश करने को तैयार हैं और एस.ई.जेड. सभी के लिए सस्ता होने पर बुनियादी ढांचे की लागत साझा करती हैं। मुझे खुशी होगी अगर माननीय मंत्री जी इस पर कुछ कह सकते हैं।

मैं श्री राउत द्वारा कही गई बातों से हैरान थी और उन्होंने जो हस्तक्षेप किया उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शिवसेना भागीदार है और उन्होंने बात की कि महाराष्ट्र राज्य कैसा आज विकास की कहानी में कैसा है। उन्होंने बिजली और पानी की ऊंची कीमतों के बारे में बात की। हुआ यूं कि उद्योग मंत्री भी शिवसेना के हैं और वे दोनों सरकारों में हैं, केंद्र में हैं। केंद्र और राज्य में भी हैं। इसलिए, मुझे लगता है, यह मेरे लिए कर्णप्रिय था जब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में बिजली महंगी है। यह 7/- रुपये है और महाराष्ट्र कैसे कहेगा कि यह प्रतिस्पर्धी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अरविंद सावंत): उन्होंने तथ्यों को रखा है।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : मुझे बहुत खुशी है कि शिव सेना सच बोल रही है। कोई सच कह रहा है।

श्री अरविंद सावंत: शिव सेना हमेशा सच बोलती है।

श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले: मुझे खुशी है कि वे ऐसा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे परंपरा को जारी रखेंगे।

सभापति महोदया, यह आंध्र प्रदेश में 7/- रुपये है और महाराष्ट्र में 9/- रुपये। हम इसे कायम नहीं रख सकते। तो, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि एक समान अवसर हो और हस्तक्षेप करे ताकि महाराष्ट्र का विकास हो? महाराष्ट्र केवल 'मैग्नेटिक महाराष्ट्र' कार्यक्रम के आयोजन से विकसित होता है। लेकिन कुछ भी मैग्नेटिक नहीं हुआ और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यहां तक कि राउत ने जी ने भी यह कहा है। मुझे खुशी है कि श्री सावंत आज यहां हैं और मुझे याद है कि पिछली लोक सभा में उन्होंने सेज़ में नोकिया की स्थिति का जिक्र किया था। जब तमिलनाडु में नोकिया का प्लांट बंद हुआ तो करीब 5000 लोगों की नौकरियां चली गईं। तो, माननीय मंत्री जी इस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालेंगे? यहां तक कि श्री महताब जी ने इसमें शामिल नियमों के बारे में भी बताया। कंपनियां आएंगी और जाएंगी; संपत्ति और जमीन उनके पास रहेगी। गरीब लोगों का क्या होता है? यह सरकार बहुत नरम है और हर हस्तक्षेप में वे कहते हैं कि वे एक 'जमीनी सरकार' हैं। इसलिए, 'जमीनी सरकार' को पहले अमीरों और प्रसिद्ध लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें मालिकों की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि पिरामिड में नीचे के लोगों यानि मजदूरों की बात करनी चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि वे उस पिरामिड के तल पर स्थित लोगों के बारे में अपना रुख स्पष्ट करें जिसके बारे में वे दावा करते हैं कि वे इसी से सरकार को चला रहे हैं।

मेरे दो त्वरित प्रश्न हैं। मैं दोहराना नहीं चाहूंगी लेकिन वह हमारा रुख था। अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी? हम सभी जानते हैं कि अध्यादेश क्या है। मैं इसे दोहराने वाली नहीं हूं। लेकिन मैं फिर से अपने सभी साथियों का समर्थन करती हूं और पूछती हूं कि अध्यादेश क्यों लाया गया और इसकी क्या जरूरत थी। मैंने जो कुछ थोड़ा पढ़ा और समझा है, अगर माननीय मंत्री जी - मैं पेशे से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं और माननीय मंत्री जी एक एकाउंटेंट हैं और इसलिए वे इस बारे में मुझसे कहीं अधिक स्पष्ट रूप से जानते हैं - इस बिंदु को स्पष्ट कर सकते हैं।

लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूं। एक अखबार का प्रतिवेदन है जिसे मैंने पढ़ा नहीं है। ट्रस्टों पर सीएजी का एक प्रतिवेदन था जो केवल इसी सरकार में आई थी और इसका संदर्भ एनडीए सरकार-I के कार्यकाल के दौरान पीएसी से है।

मैं समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहती हूं:

"समिति की इच्छा है कि आयकर विभाग के तहत विशेषज्ञ समूह का गठन उल्लंघनों को देखने के लिए किया जा सकता है क्योंकि कर चोरी और एक चैरिटेबल ट्रस्ट या एक सामान्य ट्रस्ट का दुरुपयोग होता है। "

चूंकि आप एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, आप कृपया सभा को और मुझे जो इन सभी चीजों के लिए नौसिखिया हैं, कृपया समझा सकते हैं। ट्रस्टों पर पी.ए.सी. प्रतिवेदन एक बात बताता है और आपने केवल एक शब्द 'ट्रस्ट' शामिल किया है। यदि आप कृपया स्पष्ट कर सकें कि वास्तव में सरकार की लाइन क्या है, तो मुझे खुशी होगी क्योंकि यह आपकी सरकार की पी.ए.सी. जो कहती है और आप जो करना चाहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है।

महोदया, मैं अपनी आखिरी बात पर आ रही हूं और मैं आपसे अपनी मित्रता का फायदा नहीं उठाऊंगी। मुझे माननीय मंत्री जी से एक त्वरित प्रश्न पूछना है। माननीय मंत्री इन ट्रस्टों को जोड़ रहे हैं, लेकिन अध्यादेश आने के बाद कितने ट्रस्टों को निवेश का मौका मिला है? ...(*व्यवधान*) 2 मार्च से अध्यादेश जारी होने के बाद अब तक कितने लोगों ने एस.ई.जेड. में निवेश किया है?

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): महोदया, मैं अध्यादेश और विधेयक के बारे में बात करने में कोई समय बर्बाद नहीं करने जा रहा क्योंकि सभी टिप्पणियाँ पहले ही की जा चुकी हैं। लेकिन मैं इस देश में एस.ई.जेड. से संबंधित कुछ मुद्दों को छूने और कुछ सुझाव देने के लिए कुछ समय लेना चाहूंगा जो मेरे विचार से मूल्यवान इनपुट होंगे।

महोदया, एस.ई.जेड. के पीछे के वास्तविक उद्देश्यों को कमजोर किया जा रहा है। एस.ई.जेड. आज लोगों के लिए लैंड बैंक बन गए हैं। इसलिए, मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि एस.ई.जेड. के लिए जमीन देते समय विभिन्न स्तरों और विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर कितनी नौकरियां सृजित होने जा रही हैं, इस संदर्भ में एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उस प्रतिबद्धता को पहले ही पूरा किया जाना चाहिए।

स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।

हमें उस कर राजस्व को भी देखना होगा जो इन एस.ई.जेड. द्वारा सृजित होने जा रहा है। एस.ई.जेड. के लिए जमीन देते समय इसके लिए भी शर्तें होनी चाहिए। अगर ये सभी वादे पूरे हो जाते हैं तो सरकार द्वारा विकासकर्ताओं के लिए भी न्यूनतम कीमत पर जमीन देना निश्चित रूप से सार्थक है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सम्मान के रूप में सृजित रोजगार के अवसर और सृजित राजस्व स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे और इसमें सुधार होगा। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि इस देश में सबके लिए ईज़ ऑफ लिविंग होनी चाहिए।

इस तरह सृजित संपत्ति अनुदानित भूमि की भरपाई करेगी। एस.ई.जेड. के पीछे यही सिद्धांत है और इस देश में सफल एस.ई.जेड. के कई जीवंत उदाहरण हैं, लेकिन साथ ही, और भी अधिक विफलताएं हैं जहां भूमि को निष्क्रिय रखा जाता है और उत्पादक उपयोग नहीं किया जाता है जहां डेवलपर्स का इरादा संदिग्ध होता है क्योंकि वे इन भूमि बैंकों पर गुप्त उद्देश्यों के साथ बैठे रहते हैं। इसलिए, हमें यह देखना होगा कि हम ऐसी नीति कैसे बनाते हैं जो एस.ई.जेड. के विकास को प्रोत्साहित करती है और संदिग्ध इरादे रखने वाले डेवलपरों को हतोत्साहित करती है।

एस.ई.जेड. की स्थापना में मुख्य बिंदुओं में से एक, जैसा कि कई सदस्य पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, भूमि अधिग्रहण है। जिन भू-स्वामियों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उन्हें आम तौर पर वास्तविक बाजार मूल्य से कम मिलता है - आधिकारिक मूल्य नहीं - और पड़ोसियों की भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। एस.ई.जेड. की सीमा के बाहर छोड़ी गई जमीन की कीमत बढ़ जाती है। तो, मूल भूमि मालिकों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। उनकी जमीनें बाजार भाव से कम कीमत पर ली जा रही हैं, जबकि उनके पड़ोसी की जमीन की कीमत बढ़ रही है, जिससे उस क्षेत्र में भी पूरे सामाजिक समीकरण बिगड़ रहे हैं।

एक विचार जिस पर हम निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं, वह यह कि इस प्रकार की वृद्धि और उन लोगों के बीच कुत्सित भावनाओं को रोकने जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है - लैंड पूलिंग का विचार है। लैंड पूलिंग को हमने अमरावती में बहुत प्रभावी ढंग से किया है। हमें 34,000 एकड़ से अधिक जमीन मिली है और मुझे आशा है कि वाई.एस.आर.सी.पी. इसे ध्यान में रख रहा है कि यह 30,000 से अधिक किसानों से आयी है जो अब सोच रहे हैं कि अमरावती में उनका भविष्य क्या है। उन्हें इसके बारे में जरूर कुछ करना होगा। लेकिन लैंड पूलिंग एक ऐसा विचार है जिस पर एस.ई.जेड. के लिए निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है।

महोदया, और भी बेहतर, हम उस विचार पर विचार क्यों न करें, जिसका समय, मुझे लगता है, आ गया है - ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र का विचार। विशेष आर्थिक क्षेत्र के बजाय जहां सीमा होती है, जहां जमीन की सीमित आपूर्ति होती है, वहां जमीन की कीमतें आसमान छूती हैं, उद्योग के लिए जमीन की कीमतें महंगी हो जाती हैं, और जमीन अधिग्रहण से बहुत दुःख होता है, क्या हम ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र के विचार पर विचार नहीं कर सकते हैं? पहले से विकसित क्षेत्रों में जाने के बजाय, आप प्रत्येक ऐसे जिले को लें जहां मानव विकास सूचकांक एक निश्चित स्तर से नीचे है और उन सभी क्षेत्रों को ये प्रोत्साहन प्रदान करें ताकि जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जहां लोगों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है वहां रोजगार सृजित किया जा सके। मेरा मानना है कि ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदया, यह संशोधन विधेयक एक दिखावटी प्रकार का विधेयक मात्र है। ...(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री बशीर, आपके पास बोलने के लिए बस तीन मिनट हैं।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर : ठीक है महोदया।

वास्तव में, यह सरकार इस विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 पर एक बहुत प्रभावी कानून ला सकती थी। सरकार के सामने तीन बहुत प्रभावी दस्तावेज थे। एस.ई.जेड. पर कैग का एक प्रतिवेदन है। दूसरा, जैसा कि पूर्व वक्ताओं द्वारा सही ढंग से बताया गया है, हमारे पास बाबा कल्याणी समिति का एक प्रतिवेदन है जो इस उपकर के कार्यकरण का विस्तृत विवरण देता है। इसी तरह इस सेज़ को चलाने का हमारा खुद का ढाई साल का अनुभव है। 28 नवंबर 2014 की कैग का प्रतिवेदन क्या कहता है, और मैं इसे उद्धृत करता हूं:

> "एस.ई.जेड. के सभी जोन द्वारा इच्छित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की उपलब्धि में महत्वपूर्ण कमी को ध्यान में रखते हुए, सरकार को गैर-परिचालन और कम प्रदर्शन वाले जोन के विकास में बाधा डालने वाले कारकों की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।
> "

यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बहुत ही प्रभावी अवलोकन है। सरकार को कम से कम इस पर गौर करना चाहिए। महताब *जी* पूछ रहे थे कि आपने उसके बारे में क्या कार्रवाई की। वह दस्तावेज उनके सामने था। तीसरा हमारा अपना अनुभव है। पिछले ढाई साल से हम इसे चला रहे हैं। उस अनुभव से, मुझे लगता है, इस एसईजेड के प्रभावी कामकाज के लिए बहुत सारे सुधारात्मक उपाय किए जाने हैं।

महोदया, हम सभी जानते हैं कि इस एस.ई.जेड. को बहुत सारी रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जैसे आयात के लिए उदारीकृत एन.ओ.सी., नियमित निर्यात आयात कस्टम प्रक्रिया से छूट और ऐसी तमाम चीज़ें। इसी तरह आय कर छूट और उप अनुबंध पर निर्माण प्रक्रिया देने की स्वतंत्रता भी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं, हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि इन उदारीकृत रियायतों का दुरुपयोग न हो। अगर आप पैरेंट एक्ट को देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि उसके लिए कोई सेफगार्ड नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

अब इस प्रतिवेदन पर बात करते हैं, यह एक बहुत लंबा प्रतिवेदन है और मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने 'ईईई सिस्टम' यानी आर्थिक विकास, रोजगार और आर्थिक एनक्लेव का सुझाव दिया है। उन्होंने कई प्रभावी सिफारिशें की हैं, जिनमें विनिर्माण और सेवा एस.ई.जेड. के लिए अलग-अलग नियमों और प्रक्रियाओं का निर्माण, एकीकृत औद्योगिक और शहरी विकास वॉक-टू-वर्क जोन को बढ़ावा देना और 3ई में एम.एस.एम.ई की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। उन्होंने विनिर्माण और सेवा कंपनियों को 3ई में पता लगाने में सक्षम बनाने का भी सुझाव दिया है,इत्यादिदुर्भाग्य से, आपने इस प्रकार की बहुत प्रभावी सिफारिशों के बारे में एक छोटा-सा विचार भी नहीं किया है। लेकिन आप कर सकते थे। कानून बनाने की प्रक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आपने इन सभी बातों को जोड़ दिया होता तो आप एक बहुत प्रभावी कानून बना सकते थे।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। यह जमीन डेवलपर को सौंप दी गई है। ... (*व्यवधान*) मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। कृपया इसकी जांच की जाए कि इष्टतम उपयोग किया गया है या नहीं।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एस.ई.जेड. में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि भूमि को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए एस.ई.जेड. बना रहे हैं। यदि आप एस.ई.जेड. के लिए कृषि भूमि लेते हैं तो यह सही नहीं है क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल ढाँचे का महत्वपूर्ण स्वरूप है। यह चीन में नहीं किया जा रहा है। चीन में, उन्होंने एक विशिष्ट प्रावधान किया है कि इस उद्देश्य के लिए कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, सरकार ने इस बिंदु पर अपना दिमाग भी नहीं लगाया है। आप यह कर सकते थे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर):माननीय सभापति जी, मैं विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में संशोधन करना चाहता है और उस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना चाहता है जिसे 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित किया गया था।

इस विधेयक में एक छोटा-सा संशोधन किया गया है, अर्थात 'ट्रस्ट या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य एनटीटी' शब्द 'व्यक्ति' की परिभाषा में शामिल किए गए हैं और इस संशोधन की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। इसलिए आज यह किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वे कौन से ट्रस्ट हैं जिन्हें 2 मार्च, 2019 को अध्यादेश जारी होने के बाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एस.ई.जेड. की स्थापना, विकास और प्रबंधन करने की अनुमति दी गई है?

महोदया, हम सभी समझते हैं कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित और विकसित किए जा रहे हैं। अगर हम पूरे देश पर नज़र डालें तो भारत में लगभग 355 अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, जिनमें से 223 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्यात कर रहे हैं। इनमें से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, इसके बाद गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य हैं। वर्ष 2017-18 तक इन्होंने 19,77,216 रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह आँकड़ा और बड़ा हो सकता है तथा ये अवसर भारत के अन्य राज्यों में भी बढ़ सकते हैं।

<u>अपराह्न 5.27 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूँ, जो जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और हमारे राज्य के कुछ हिस्से हैं जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, *पूर्वांचल*, जिसमें मेरा निर्वाचन जोन मिर्जापुर भी पड़ता है और बुंदेलखंड भी है जहाँ से रोजगार के अवसरों की तलाश में हर साल मजदूरों का देश के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर पलायन होता है। इसलिए, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उत्तर प्रदेश वास्तव में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए विकासकर्ताओं की प्राथमिकता में नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को प्राथमिकता सूची में लाया जाए, क्योंकि विकासकर्ताओं की प्राकृतिक प्रवृत्ति अधिक समृद्ध राज्यों की ओर बढ़ने की होती है, इससे ऐसे क्षेत्र और अधिक समृद्ध हो जाते हैं और पिछड़े क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं मिलता है। तो, यह आपके हाथ में है। आप चाहें तो इन राज्यों को प्राथमिकता पर ला सकते हैं ताकि ऐसे राज्यों को भी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास का लाभ मिल सके।

मुझे लगता है कि यह हमारे लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करने का भी समय आ गया है कि वे देश में परिवर्तन लाने और जिन उद्देश्यों के लिए हमारे देश में आए हैं, उन्हें पूरा करने में कहाँ तक सफल रहे हैं। भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का मूल्यांकन करने और नीति को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के उपाय सुझाने के लिए 2018 में एक समिति का गठन किया गया था। अपनी प्रतिवेदन में, समिति ने कई कारण बताए हैं जो संभावित रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

समिति ने एस.ई.ज़ेड. नीति में कई बदलावों की भी सिफारिश की है। वे इस प्रकार हैं, निर्यात वृद्धि से व्यापक आधार वाले रोजगार और आर्थिक विकास के ढांचे में बदलाव, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण और सेवा के लिए अलग नियमों और प्रक्रियाओं का निर्माण, व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम ढांचे का निर्माण और राज्यवार सहजता के साथ तालमेल व्यापार पहल करने, डेवलपर्स और किरायेदारों के

लिए प्रक्रियात्मक छूट के संचालन और निकास मुद्दों में सुधार तथा नए निवेश, परिचालन आवश्यकताओं और निकास से संबंधित मामलों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल।

मैं माननीय मंत्री से समझना चाहती हूँ कि इन सिफारिशों को कहाँ तक स्वीकार किया गया है और मंत्रालय ने अब तक यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है कि हम इस तर्ज पर आगे बढ़ें और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतने छोटे अमेंडमेंट पर इतनी ज्यादा रुचि माननीय सदस्यों ने दिखाई है। लगभग 13 माननीय सांसदों ने अपने सुझाव दिए हैं और प्रश्न भी पूछे हैं। समय के अभाव में मैं शायद विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं माननीय सदस्यों की चिंताओं पर अपने विचार रखने की पूरी कोशिश करूंगा। माननीय प्रेमचंद्रन जी, शशि थरूर जी, भर्तृहरि जी और सुदिप्तो जी को चिंता थी कि ऑर्डिनेंस लाने में जल्दबाजी क्यों की गयी। मैं समझता हूं कि अगर सभी माननीय सदस्य अपने गिरेबान में देखें तो ध्यान में आएगा कि कितने सारे ऐसे कानून यह सरकार लाना चाहती थी, जिससे देश की आर्थिक प्रगति और विकास को और तेज गति मिलती, बल मिलता। लेकिन अलग-अलग प्रकार के डिसटर्बेंसिस के कारण कभी यह सदन, कभी दूसरा सदन और कभी तो दोनों सदन नहीं चलते थे। इसके कारण जनता के द्वारा पूर्ण बहुमत की सरकार का आदेश दिए जाने के बावजूद और इस सदन से पारित होने के बाद भी राज्य सभा के न चल पाने के कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते थे। इन डिसटर्बेंसिस और डिलेज़ के कारण कई विषय रह गए, जिस कारण से ऑर्डिनेंस का रूट लेना पड़ा, खास तौर से देश में एफडीआई लाने के लिए।

जैसा कि भर्तृहरि जी ने बताया कि देश में इनवेस्टमेंट आए और देश की आर्थिक प्रगति में देरी न हो। स्टेटमेंट में भी लिखा गया है, इंटरनेशनल फाइनैंशियल सैंटर्स वगैरह इस देश में आएं, निवेश आए, अलग-अलग प्रकार के जो मॉडर्न इनवेस्टमेंट के व्हीकल्स हैं, वे भी इस देश में आ सकें। इसमें विलम्ब होने से किसी को लाभ या हानि नहीं थी, जैसे ही ध्यान में आया और सेबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके तहत अल्टरनेट इनवेस्टमेंट फण्ड्स को अलाऊ किया गया कि वे भी इनवेस्ट करें। इसके बाद सरकार को लगा कि यह अच्छा रहेगा कि देश में अल्टरनेट इनवेस्टमेंट फण्ड्स के माध्यम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो फाइनेंस के क्षेत्र में हैं और इंटरनेशनल फाइनैंशियल सर्विसिस सैंटर्स के रूप में काम करते हैं, उनको भी अलाऊ किया जाए। हमने लिखा भी है कि 26 नवम्बर, 2018 को जब सेबी ने अल्टरेनेट इनवेस्टमेंट फण्ड्स को ट्रस्ट के माध्यम से इंटरनेशनल फाइनैंशियल सैंटर्स में ऑपरेट करने के लिए अनुमति दी थी। साथ ही साथ रिज़र्व बैंक ने ट्रस्ट की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। किसी ने चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर सीएजी रिपोर्ट के बारे में कहा, किसी ने कहा कि ट्रस्ट की डेफिनेशन नहीं दी

गयी है। इसकी डेफिनेशन उसके रेगुलेटर्स देते हैं। पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल कौन है? लिमिटेड कम्पनी क्या है? पार्टनरशिप क्या है? यह सब हर कानून में नहीं दिया जाता है। यह मेन कानून में दिया जाता है और सेबी ने उसको ठीक तरीके से पूरा समझाया है। 26 नवम्बर को उसकी डेफिनेशन और अनुमति आयी। उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बजट सेशन आने वाला था। यह छोटा सेशन था, क्योंकि इंटरिम बजट आना था। उस समय कई सारे

इंट्रप्शन्स और डिस्टर्बेंसिस के कारण कोई नया कानून लाने की सम्भावना नहीं थी। चूंकि ऑपरेटिंग बॉडीज़ फाइनैंशियल सेक्टर में लाने के लिए ट्रस्ट एक कॉमन फोरम है, ऐसी परिस्थिति में इस ऑर्डिनेंस को पारित किया गया। मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन में भी राष्ट्रपति महोदय को यह जिम्मेदारी दी गई है कि ऑर्डिनेंस को लाने की जरूरत है या नहीं। यह सब देखकर ही वे ऑर्डिनेंस को पारित करते हैं। मैं एक लाइन क्वोट करना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था -

और मैं उद्धृत करता हूँ:

"सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की नेतृत्व की स्थिति थी। प्रौद्योगिकी के साथ वित्त का तेजी से जुड़ाव हो रहा था। हमारे लिए यह बहुत स्पष्ट हो रहा था कि प्रौद्योगिकी के साथ संयुक्त वित्त, या फ़िनटेक जैसा कि इसे कभी-कभी कहा जाता है, भारत के भविष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। "

उनके मन में पूरे समय यह कल्पना रहती थी: "भारत को वित्त के जोन में एक विचारशील नेता कैसे बनाया जाए?" आखिर कब तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा। कब भारत अपनी खुद की एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी हो। खासतौर से भारत की एक बहुत बढ़िया लोकेशन है। हम ईस्ट और वैस्ट के बीच में हैं। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर को दिनभर चलाएं, तो एक प्रकार से जैपनीज़ मार्केट जब स्टार्ट होती हैं, तब से लेकर अमेरिकन मार्केट जब खत्म होती हैं, तब तक भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को एक कान्फिडेंस दिलाएगा, एक अपार्चूनिटी दिलाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर के रूप में। यह ट्रस्ट मॉडल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह एक प्रकार से स्टैब्लिस्ट मॉडल, विदेशों में बल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत भी उसको अपने यहां लाना चाहता है। इसीलिए एआईएफएस वगैरह को ऑपरेट करने के लिए आरबीआई, सेबी द्वारा

परवानगी मिलने के बाद ऐसा तय किया गया कि इसको पारित कर दिया जाए। यह बहुत साधारण था, इसके पीछे किसी छुपी हुई चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन और ये और वो में जाने की जरूरत नहीं है।

जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वास्तव में इसको भी उस ट्रस्ट के साथ देखा जाए। यह इतनी पारदर्शी सरकार है कि हम जो काम करते हैं, उसे बड़े खुले तरीके से और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटकर, सुनाकर, समझाकर करते हैं। इसमें कोई[हिन्दी] घुस जाएगा, कोई एन्टिटी घुस जाएगी, ट्रस्ट जो सेबी और आरबीआई अप्रूव करे। ऐसे ही कल कोई और एन्टिटी का मॉडल आए, तो उसके लिए परवानगी है सेन्ट्रल गवर्नमेंट, उस टाइप की एन्टिटीज़ को भी अलाउ करें। यह स्वाभाविक है कि अगर करेंगे, तो वह पार्लियामेंट के सामने पेश होगा। जब भी ऐसी किसी एन्टिटी को अलाऊ किया जाता है, पार्लियामेन्ट्री रुल्स में इसके स्टैबिलाइज्ड प्रावधान हैं।

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वैसे तो मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाह रहा था, लेकिन एसईजेड के सभी रुल्स, सभी प्रावधान जो 2005 के एसईजेड एक्ट में हैं, वह 2003 में रूल्स द्वारा पूरे तरीके से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आ गए थे। उल्टे जो 2005 के एक्ट का प्रिऐम्बल है, मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा-

> "जबकि विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति में निहित है, विशेष आर्थिक जोन डेवलपर और इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और अन्य सुविधाएं संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं और परिपत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इसलिए, वर्तमान प्रणाली निवेशकों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और माल तथा सेवाओं के निर्यात के लिए क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना के लिए पर्याप्त धन देने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं देती है। न्यूनतम विनियामक व्यवस्था के साथ एक दीर्घकालिक और स्थिर नीति ढांचा देने और शीघ्र और एकल खिड़की मंजूरी तंत्र प्रदान करने के लिए, विशेष आर्थिक जोनों के लिए एक केंद्रीय अधिनियम अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के अनुरूप आवश्यक पाया गया है। "

तब भी हमारे रूल्स को कानून में इसलिए परिवर्तित किया गया कि विश्व का भारत के ऊपर एक कान्फिडेंस बढ़े। साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रैक्टिस को क्वोट किया गया है। हम भी इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह ट्रस्ट को अलाउ करने के लिए यह अमेंडमेंट लाए हैं।

एक और बात कही गई कि यह एसईजेड सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। कुछ माननीय सांसदों ने यह भी जिक्र किया कि कुछ फिस्कल बेनिफिट्स, इनकम टैक्स वगैरह के बेनिफिट्स न होने के कारण ये एसईजेड सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। खासतौर से यह विषय माननीय शशि थरूर जी ने रेज़ किया जो कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। ... (व्यवधान) मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की ही सरकार थी, यूपीए की सरकार की थी, जिसमें कांग्रेस लीड करती थी, जिसने 2011-12 में जो सभी कन्सेशन्स वाजपेयी जी की सरकार ने दिए थे, इन्कम टैक्स कन्सेशन्स एसईजेड को प्रमोट करने के लिए, यह सब कांग्रेस ने वर्ष 2011-12 में विदड्रा किए। जो बेनिफिट्स एसईजेड डेवलपर्स को मिलते थे, जो बेनिफिट्स यूनिट्स को मिलते थे, वे बेनिफिट्स 2011 से विदड्रा किए। डिविडेन्ड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1 जून, 2011 से लेवी कर दिया, जो डिविडेन्ड एसईजेड डेवलपर्स देते थे। फरवरी, 2011 में बजट प्रपोजल्स में जितने बेनिफिट्स एसईजेड के थे, उन सबको विदड्रा करके, जो एडवर्स इम्पैक्ट एसईजेड ग्रोथ में आया, मैं सीधा उनको आंकड़ों से बता सकता हूं।

सन् 2009-10 तक नए एसईज़ेडस के प्रपोज़ल्स आती हैं, अप्रूव हो रही थीं, कोई विड्रॉ नहीं करना चाह रहा था। सन् 2011 में इनके आने के बाद से डीनोटिफिकेशन ऑफ एसईज़ेड के लिए जिस तेज़ी से रिक्वेस्ट रिसीव हुए, तो यूपीए-2 में एसईज़ेडस को डीनोटिफाई करने के लिए 67 रिक्वेस्ट्स आए। सिर्फ यूपीए-2 के पांच वर्ष के कार्यकाल में यह हुआ और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने इनकम टैक्स बैनिफिट्स विड्रॉ कर के इस पूरे एसईज़ेड लॉ की धज्जियां उड़ा दीं। मैं समझता हूँ कि साथ ही साथ जो लैण्ड के इश्युज़ हैं, लैण्ड के इश्युज़ में कई माननीय सांसदों ने विषय उठाया फार्मिंग लैण्ड वगैरह का, एसईज़ेड्स के संबंध में एक स्पष्ट प्रावधान है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स कोई एसईज़ेडस को अप्रूव नहीं करेगा। जहां राज्य सरकार ने या तो पहले, या प्रपोज़ करती है कंप्लसरी एक्विज़िशन ऑफ लैण्ड। साथ ही साथ राज्य सरकार को एडवाइज़ किया गया है कि लैण्ड एक्विज़िशन की पहली प्रायोरिटी वेस्ट एण्ड बैरन लैण्ड की होनी चाहिए। अगर लेनी भी पड़े तो सिंगल क्रॉप ली जाए और अगर बहुत जरूरी हो कि थोड़ी डबल

क्रॉप लेनी पड़े, कंटिग्विटी बनाने के लिए तो वह दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है। यह एसईज़ेड लैण्ड के लिए है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ज़मीन अभी तक एसईज़ेड में पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुई है तो उसके लिए भी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। यूपीए के समर्थक दल तृणमूल कांग्रेस ने आज लैण्ड एक्विज़िशन की बड़ी बात कही है। सन् 2005 में यह कानून पास हुआ, तब तो तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। तब क्यों नहीं उन्होंने अपोज़ किया कि एसईज़ेड के लिए लैण्ड एक्वायर होगा? यह आज आफ्टरथॉट कहां से आ गया? इसी प्रकार से माननीय बहन सुप्रिया सूले जी और कई माननीय सांसदों ने बाबा कल्याणी जी की रिपोर्ट का जिक्र किया है। मैं वास्तव में बाबा कल्याणी जी को धन्यवाद दूंगा। वे मेरे ही राज्य से ही आते हैं, जिधर से सुप्रिया जी आती हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एसईजेड पॉलिसी को स्टडी किया है। समय के अभाव में उसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। लेकिन हमने एक-एक रिक्मेंडेशन को, कुछ रिक्मेंडेशंस को तो ऑलरेडी पूरी तरीके से लागू कर दिया है, ऐसी पांच रिक्मेंडेशंस हैं। तीन रिक्मेंडेशंस जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर से मैं कर सकता हूँ, 31 जुलाई तक अनुमानित है कि मैं कर लूंगा। एक रिक्मेंडेशन है, जिसमें रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे, उनको 15 सितंबर तक करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कुछ रिक्मेंडेशंस हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यु के साथ और बाकी मंत्रालय या राज्य सरकार के साथ प्रावधान और रूल्स बदलने पड़ेंगे। ऐसी छह रिक्मेंडेशंस हैं। हमारा अनुमानित समय 30 नवंबर तक का है। साथ ही साथ कुछ रिक्मेंडेशंस हैं, जिनमें एक बार फिर एसईज़ेड एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। उन अमेंडमेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं। मैं बाकी विभागों के साथ चर्चा कर के एक बार पुन:इस सदन के सामने आऊंगा, तब आप और जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं। मैं उन सबका भी ज़रूर जवाब दूंगा। आज के लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस अमेंडमेंट का समर्थन कर, हमने जो कोशिश की है कि जल्द से जल्द देश-दुनिया के लोग भारत में निवेश करें और उसको चुनाव की भागा-दौड़ी में विलंब न करें, उसका आप समर्थन करें।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: महोदय, माननीय मंत्री जी ने बाबा कल्याणी के नेतृत्व वाली समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है जिसे सदन के साथ साझा नहीं किया गया है। …(*व्यवधान*) क्या वह प्रतिवेदन सदन के सामने रख सकते हैं? …(*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: मैं आपको जरूर भेजूंगा। मुझे लगता है कि यह वेबसाइट पर भी उपलब्ध है लेकिन अगर नहीं है, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। …(*व्यवधान*) यह वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बाबा कल्याणी जी के समिति के प्रतिवेदन पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। यह मेरे पास भी है और ग्रंथालय में भी है।

महोदय, मैंने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। पहला प्रश्न यह है कि अध्यादेश को लागू करने की इतनी जल्दी क्या थी? दुर्भाग्य से, इसका उत्तर नहीं दिया गया है। …(*व्यवधान*) मूल अधिनियम वर्ष 2005 में बनाया गया था। सरकार का मूल अधिनियम में 2019 तक 'ट्रस्ट' या 'एंटिटी' शब्द शामिल करके संशोधन करने का कोई इरादा नहीं था।

मेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करने की क्या तात्कालिकता है? यही वह प्रश्न है, जो अभी भी अनुत्तरित है।

दूसरा बिंदु जो मैं उजागर करना चाहूँगा वह यह है किएक और प्रश्न जो हमने माननीय मंत्री जी से पूछा है किकितनी कंपनियों या कितनी संस्थाओं या कितने ट्रस्टों को मान्यता और अधिसूचित किया जा रहा था ताकि उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम या संशोधित अध्यादेश के तहत लाभ मिल सके? यह दूसरा प्रश्न है जो अनुत्तरित रहता है।

श्री पीयूष गोयल: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का ही समय लूँगा।

सबसे पहले, मैंने अभी-अभी 2005 के कानून का हवाला देते हुए समझाया है कि अंतरराष्ट्रीय जगत निश्चितता चाहता है। नवंबर 2018 में जब सेबी ने ट्रस्ट के रूप में वैकल्पिक निवेश कोष की इजाजत दी, तो हम चाहते थे कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को विश्वास मिले। वे ए.आई.एफ़. के रूप में आ सकते हैं। लेकिन आपने संसद को चलने नहीं दिया, खासकर उस दूसरे सभा को, जहाँ हमारे पास बहुमत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फिर विपक्ष से अपील की है कि हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन जिस एजेंडे के लिए भारत की जनता ने हमें वोट दिया है, उसे लागू करने में हमारा साथ दें।

इसी तरह, एक अत्यावश्यकता थी कि हम चाहते थे कि दुनिया भारत में निवेश करना शुरू करे। मार्च, 2020 में सनसेट क्लॉज़ आ रहा है। इसलिए हमने सोचा कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, हम इसमें छह महीने की देरी क्यों करें?

जहाँ तक आवेदनों की संख्या का संबंध है, हमें इस संशोधन के तहत अब तक छह आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो मुझे लगता है कि यह देखते हुए कि पूरे देश में चुनाव हो रहे थे, एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसके बावजूद, मुझे लगता है, निवेशकों को भरोसा था कि भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार आएगी। इसलिए छह आवेदन आए हैं। एक को केवल एक या दो दिन पहले मंजूरी मिली तथा पाँच और मंजूरी प्रक्रियाधीन हैं। यह सब भारत में आने के लिए अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के हित में है। मुझे यकीन है कि यह सभा चाहता है कि यह देश प्रगति करे और भारत के लोग उस प्रगति से लाभान्वित हों।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान।

[अनुवाद]

श्री भगवंत मान (संगरूर): आपका बहुत - बहुत धन्यवाद महोदय। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : अंत में, माननीय मंत्री ने यहां 'ट्रस्ट' की परिभाषा के संबंध में उल्लेख किया है। मैं माननीय मंत्री जी के तर्क को स्वीकार करता हूँ। मंत्री जी ने कहा कि यदि मूल अधिनियम में 'ट्रस्ट' को परिभाषित नहीं किया गया है, तो सामान्य खंड अधिनियम लागू होगा। लेकिन जहाँ तक 'एंटिटी' शब्द का संबंध है, कोई सामान्य खंड परिभाषा नहीं है।

श्री पीयूष गोयल: आप ऐसे अनुभवी सांसद हैं। कृपया शब्दों को पढ़ें; यह सरकार द्वारा अधिसूचित एंटिटी है। एन्टिटी की कोई परिभाषा नहीं है। ट्रस्ट भी एक एंटिटी है। स्वामित्व एक एंटिटी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक एंटिटी है। हम एक आधुनिक सरकार हैं। अगर दुनिया निवेश के किसी नए तरीके के साथ आती

है, तो उस एंटिटी को सूचित किया जाएगा। हम एक एंटिटी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: यदि 'संस्था' शब्द को मूल अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, तो मेरी कड़ी आपत्ति यह है कि, सरकार की इच्छा के अनुसार, सरकार किसी इकाई या किसी व्यक्ति या किसी समूह को निर्धारित कर सकती है जो एस.ई.जेड. लाभ के लिए हकदार हैं। हम यही आपत्ति उठा रहे हैं। ये वे बिंदु हैं, जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं समाप्त करता हूं, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा।

श्री भगवंत मान।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान : मिनिस्टर साहब का एसईजेड का जो प्रस्ताव है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब के आस-पास जो स्टेट हैं, वह टैक्स हैवन स्टेट हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू है। हालांकि पंजाब में बहुत ही फर्टाइल जमीन है, लेकिन 533 किलोमीटर जो एरिया है, वह पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। वहाँ पर कोई बड़ी फसल तो हो नहीं सकती, कुछ तो कंटीली तार में आती है। वहाँ के लोग या तो बेरोज़गार हैं या फिर ड्रग्स में जाते हैं। क्या आप ऐसा कुछ प्रावधान कर सकते हैं कि पंजाब के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्री आए, क्योंकि हमारे पंजाब के नौजवान या तो आई.ई.एल.टी.एस. करके बाहर जा रहे हैं या इधर-उधर भटक रहे हैं। मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बिल है।

श्री भगवंत मान: मिनिस्टर साहब मेरा एक सजेशन है। जैसे पर्ल कम्पनी है, उसने करोड़ों रुपये की जमीन हड़प ली। क्या ऐसी चिट फंड कम्पनियों द्वारा हड़पी हुई जमीन को एक्वायर करके उनके पैसे वापस नहीं हो सकते? सर, मेरे एक-दो क्वेश्चन हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम एस ई जेड का स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे पंजाब की भी थोड़ी सलाह ले लीजिए।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, वर्ष 2005 से एस.ई.जेड. की संकल्पना अस्तित्व में है। आप बस उस अवधारणा को विरासत में प्राप्त कर रहे हैं जिसकी कल्पना यू.पी.ए. सरकार ने की थी।

श्री पीयूष गोयल: मैंने अभी एस.ई.जेड. के इतिहास का उल्लेख किया था।

[हिन्दी]

डॉ. निशिकांत दुबे: 2003 में रूल बन गया था।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: पहला एस.ई.जेड. छह दशक से भी अधिक समय पहले शुरू किया गया था। 2005 में यह अधिनियम अस्तित्व में आया। एस.ई.जेड. की अवधारणा को कम करने की कोशिश न करें।

[हिन्दी]

डॉ. निशिकांत दुबे: एस ई जेड रूल वर्ष 2003 में बना।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मंत्री जी जवाब दे देंगे। आप रहने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: चीन में एस.ई.जेड. एक सफल कहानी क्यों रही है जबकि हम वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे हैं?एस.ई.ज़ेड. चीन में मैन्युफैक्चरिंग का इंजन बन गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रस्तावित कितने एस.ई.ज़ेड. अभी भी चालू नहीं हो पा रहे हैं? कार्यशील और अकार्यशील एस.ई.जेड. की संख्या कितनी है और कितने खाली पड़े हैं?

इसके अलावा, हमारे एस.ई.ज़ेड. के बुनियादी ढांचे में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है और उनका एस.ई.ज़ेड. का कुल कारोबार कितना है? क्या आपके पास 2014 और 2019 के बीच कोई तुलनात्मक विवरण है?एस.ई.ज़ेड. क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है?

क्या आपको लगता है कि एस.ई.ज़ेड. के साइट चयन से समस्याएँ पैदा हो रही हैं? साइट का चयन कैसे निर्धारित किया जाता है?हमारे देश के चार राज्यों गोवा, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड में एस.ई.ज़ेड. क्यों नहीं है?इसके पीछे कारण क्या हैं? झारखंड एक खनिज संपन्न राज्य है। दुबे जी झारखंड से आते हैं।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): यहां एस.ई.जेड. जोन में किसानों की समस्याओं का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है। किसानों ने अपनी कृषि भूमि दे दी है और अब उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आजीविका के लिए कोई आय नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बाबा कल्याणी के प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों का प्रश्न उठाया था।

श्री पीयूष गोयल: मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया था। आप सभा में नहीं थे।

श्री भर्तृहरि महताब: ठीक है।

श्री पीयूष गोयल : महोदय, मुझे जवाब देना है।

माननीय अध्यक्ष : आपकी इच्छा हो तो जवाब दे दीजिए।

[हिन्दी]

श्री पीयूष गोयल : महोदय, वैसे तो जवाब देने को कुछ है नहीं। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसे पंजाब राज्य को तय करना पड़ेगा कि लैंड एक्विजिशन, लैंड का क्या करना है, इसे वे तय करते हैं।

भर्तृहरि जी, मैंने बाबा कल्याणी रिपोर्ट का पूरा निचोड़ करके कि किस-किस में हमने काम कर लिया है, किस पर डेड लाइन के साथ काम आगे होने वाला है, सब डिटेल्स हमने दी हैं। किसानों के इश्यूज आपकी राज्य सरकार को ही हल करने पड़ेंगे। लैंड एक्विजिशन और फार्मर के साथ जो संबंध है, वे स्टेट के संबंध हैं। उसमें केन्द्र सरकार कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकती है।

जहां तक लोक सभा में काँग्रेस पार्टी के नेता माननीय अधीर रंजन जी का प्रश्न है, पहली बात तो एस.ई.ज़ेड. फेल नहीं हुआ है। एक तरफ तो आप एस.ई.ज़ेड. की क्रेडिट ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि फेल हो गया। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कहा है। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स का मतलब फेल होना नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: अगर कुछ फेल्योर है, अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आया तो पूरे तरीके से शत प्रतिशत गुनाह काँग्रेस पार्टी ने किया। इन्कम टैक्स के सारे कंसेशंस विदड्रॉ किए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)**

श्री पीयूष गोयल: जो अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, वे एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी चाहते हैं। अगर आप स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी को बीच में चेंज करते रहेंगे तो कौन निवेशक आएगा? इसलिए आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए।

वर्ष 2014 में इम्प्लॉयमेंट साढ़े बारह लाख था, वह बढ़ कर आज लगभग साढ़े बीस लाख हो गया है। मेरे ख्याल से आठ लाख नए जॉब्स एस.ई.ज़ेड्स. में आए हैं। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो वर्ष 2014 में पाँच

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लाख से कम था,वह आज सात लाख से अधिक है। सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में हैं। आप बेफिक्र रहिए, एस.ई.ज़ेड. हमारी सरकार में सेफ है और देश हमारे ऊपर विश्वास करता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्याक 12) का निरनुमोदन करती है। "

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 धारा 2 का संशोधन

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मैंने खंड 2 में दो संशोधनों के लिए अधिसूचना दी है, जो ट्रस्ट या एन्टिटी के बारे में है। मेरा एकमात्र व्यक्तिपरक खंड यह है कि ट्रस्ट एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट होना चाहिए, जिसमें कम से कम 20 वर्षों का कार्यात्मक अनुभव हो ताकि ट्रस्ट पर कुछ नियंत्रण किया जा सके। अन्यथा, ट्रस्ट के अंतिम लाभार्थी को कोई नहीं जानता होगा। मैं खंड 2 के संशोधन संख्या 1 और 2 को प्रस्तुत करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,--

"ट्रस्ट या किसी एन्टिटी" के लिए

प्रतिस्थापित करें", पंजीकृत सार्वजनिक न्यास जिसके पास न्यूनतम बीस वर्ष का कार्यात्मक अनुभव हो"। (1)

पृष्ठ 1, पंक्ति 7 और 8,--

"ट्रस्ट या एन्टिटी" *के लिए*

प्रतिस्थापित करें ", पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट जिसके पास न्यूनतम बीस वर्ष का कार्यात्मक अनुभव हो"। (2)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आपकी सहमति हो तो सदन का समय इस विधेयक के पास होने तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय अध्यक्ष : सदन का समय इस विधेयक के पास होने तक बढ़ाया जाता है।

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पीयूष गोयल: मैं प्रस्ताव करताहूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल गुरुवार, दिनांक 27 जून 2019 को सुबह 11 बजे पुन: समवेत होने तक स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 27 जून, 2019 / 6 आषाढ़, 1941(शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित